

विनियोग लेखे

2013-14

झारखण्ड सरकार

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv-xvi
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र विनियोग लेखे-	xvii-xix
1. कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	1-23
2. पशुपालन विभाग	24-31
3. भवन निर्माण विभाग	32-39
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	40-42
5. राज्यपाल सचिवालय	43
6. निर्वाचन	44-45
7. निगरानी	46
8. नागर विमानन विभाग	47-49
9. सहकारिता विभाग	50-57
10. ऊर्जा विभाग	58-65
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	66-67
12. वित्त विभाग	68-72
13. ब्याज संदाय	73-78
14. ऋण की वापसी/अदायगी	79-81
15. पेंशन	82-86
16. राष्ट्रीय बचत	87-88
17. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	89-90
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	91-101
19. वन एवं पर्यावरण विभाग	102-108
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	109-125
21. उच्च शिक्षा विभाग	126-135
22. गृह विभाग	136-144
23. उद्योग विभाग	145-155
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	156-159
25. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	160-161
26. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	162-175
27. विधि विभाग	176-179
28. झारखण्ड का उच्च न्यायालय	180

29. खनन एवं भूतत्व विभाग	181-182
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	183-187
31. संसदीय कार्य विभाग	188
32. विधान मंडल	189-190
33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	191-193
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग	194
35. योजना एवं विकास विभाग	195-202
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	203-206
37. राजभाषा विभाग	207
38. निबंधन विभाग	208-209
39. आपदा प्रबंधन विभाग	210-216
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	217-223
41. पथ निर्माण विभाग	224-231
42. ग्रामीण विकास विभाग	232-242
43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	243-249
44. मानव संसाधन विकास विभाग	250
45. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	251-256
46. पर्यटन विभाग	257-260
47. परिवहन विभाग	261-266
48. नगर विकास विभाग	267-283
49. जल संसाधन विभाग	284-297
50. लघु सिंचाई विभाग	298-306
51. कल्याण विभाग	307-326
52. कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	327-334
53. मत्स्य	335-342
54. डेयरी	343-347
55. ग्रामीण कार्य विभाग	348-355
56. पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग	356-366
57. आवास विभाग	367-368
58. माध्यमिक शिक्षा	369-378
59. प्राथमिक एवं जन शिक्षा	379-390
60. समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	391-404
परिशिष्ट	405

प्रस्तावना

वर्ष 2013-14 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

राज्य में राष्ट्रपति शासन रहने के कारण संसद के द्वारा मूल बजट पर मत दिया गया। अनुदान का उपशीर्षवार विस्तृत विवरण लोक सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विनियोग लेखे में दर्शाये गये मूल बजट का उपशीर्षवार ब्यौरा वित्त विभाग द्वारा तैयार किया गया। यद्यपि प्रथम अनुपूरक, द्वितीय अनुपूरक एवं तृतीय अनुपूरक अनुदान पर राज्य विधान मंडल द्वारा मत दिया गया।

2. इन लेखाओं में :

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“अनुपूरक” अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

“पुनर्वि०” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्यर्पण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
1. कृषि एवं गन्ना विकास विभाग दत्तमत्त	9,82,74,59	1,50,00	4,16,22,02	1,49,99
2. पशुपालन विभाग दत्तमत्त	1,62,12,53	1,26,59,60
3. भवन निर्माण विभाग दत्तमत्त	1,00,20,15	1,85,90,00	88,81,11	1,12,94,87
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग दत्तमत्त	33,36,60	17,52,82	...
5. राज्यपाल सचिवालय प्रभारित	7,91,95	6,96,65
6. निर्वाचन दत्तमत्त	38,25,65	37,35,31
7. निगरानी दत्तमत्त	13,92,13	12,61,05
8. नागर विमानन विभाग दत्तमत्त	23,23,23	2,79,99,00	1,03,54	1,10,00,00
9. सहकारिता विभाग दत्तमत्त	83,95,47	20,66,00	71,82,71	10,65,00
10. ऊर्जा विभाग दत्तमत्त	22,54,96,44	7,66,88,00	15,36,81,89	1,75,34,48
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दत्तमत्त	20,91,21	10,00,00	15,43,60

सारांश

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

5,66,52,57	1
35,52,93
11,39,04	72,95,13
15,83,78
95,30
90,34
1,31,08
22,19,69	1,69,99,00
12,12,76	10,01,00
7,18,14,55	5,91,53,52
5,47,61	10,00,00

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
12. वित्त विभाग दत्तमत्त	2,41,81,39	75,40,00	2,32,04,79	62,76,46
13. ब्याज संदाय प्रभारित	24,75,01,72	26,14,43,54
14. ऋण की वापसी/अदायगी प्रभारित	18,15,34,00	19,96,92,26
15. पेंशन दत्तमत्त	31,11,26,00	34,84,30,55
16. राष्ट्रीय बचत दत्तमत्त	2,68,09	2,25,33
17. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग दत्तमत्त	61,09,44	52,91,84
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग दत्तमत्त	11,44,20,24	5,73,65,26
19. वन एवं पर्यावरण विभाग दत्तमत्त	3,31,55,40	60,00	2,71,05,74
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग दत्तमत्त	11,37,75,51	3,18,55,28	9,66,62,82	1,66,17,96
21. उच्च शिक्षा विभाग दत्तमत्त	6,62,97,85	4,91,77,87

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

9,76,60	12,63,54
....	1,39,41,82 (1,39,41,81,631)
....	1,81,58,26 (1,81,58,25,558)
....	3,73,04,55 (3,73,04,55,392)
42,76
8,17,60
5,70,54,98
60,49,66	60,00
1,71,12,69	1,52,37,32
1,71,19,98

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
22. गृह विभाग दत्तमत्त	28,86,37,43	99,54,50	26,84,79,88	76,05,59
23. उद्योग विभाग दत्तमत्त	2,91,98,01	2,00,00	1,71,17,56	2,00,00
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग दत्तमत्त	59,05,32	52,23,52
25. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग दत्तमत्त	2,10,93	1,43,29
26. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग दत्तमत्त	10,18,25,19	7,10,12,95
27. विधि विभाग दत्तमत्त	2,11,96,78	1,83,93,82
28. झारखण्ड का उच्च न्यायालय प्रभारित	48,19,90	43,16,07
29. खनन एवं भूतत्व विभाग दत्तमत्त	27,55,28	18,53,42
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दत्तमत्त	1,91,69	1,75,45,00	1,28,92	87,41,13
31. संसदीय कार्य विभाग दत्तमत्त	69,93	34,40
32. विधान मंडल दत्तमत्त	50,60,95	48,75,70
प्रभारित	23,25	16,47

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

2,01,57,55	23,48,91
1,20,80,45
6,81,80
67,64
3,08,12,24
28,02,96
5,03,83
9,01,86
62,77	88,03,87
35,53
1,85,25
6,78

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग दत्तमत्त	20,51,30	...	17,20,24	...
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग प्रभारित	7,76,50	...	5,28,18	...
35. योजना एवं विकास विभाग दत्तमत्त	6,42,88,95	1,09,28,17
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग दत्तमत्त	2,14,86,84	3,63,50,00	2,01,84,56	3,21,01,76
37. राजभाषा विभाग दत्तमत्त	14,74,59	14,17,51
38. निबंधन विभाग दत्तमत्त	22,89,20	18,76,65
39. आपदा प्रबन्धन विभाग दत्तमत्त	4,64,06,17	3,16,07,21
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दत्तमत्त	3,97,44,88	1,43,63	2,71,77,94
41. पथ निर्माण विभाग दत्तमत्त	2,78,43,62	22,25,94,06	2,19,70,82	18,77,25,81
42. ग्रामीण विकास विभाग दत्तमत्त	7,56,87,41	5,99,00,00	5,38,75,89	2,49,41,97
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग दत्तमत्त	73,18,52	1,70,15,00	54,73,40	52,56,35

सारांश - क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

3,31,06
2,48,32
5,33,60,78
13,02,28	42,48,24
57,08
4,12,55
1,47,98,96
1,25,66,94	1,43,63
58,72,80	3,48,68,25
2,18,11,52	3,49,58,03
18,45,12	1,17,58,65

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
44. मानव संसाधन विकास विभाग दत्तमत्त	37,71,51	37,06,10
45. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दत्तमत्त	1,03,61,17	32,46,00	84,36,95	2,17,89
46. पर्यटन विभाग दत्तमत्त	9,94,40	18,25,00	8,41,60	15,44,55
47. परिवहन विभाग दत्तमत्त	1,17,78,31	19,40,00	22,29,41	7,38,92
48. नगर विकास विभाग दत्तमत्त	13,95,01,20	25,13,19	4,93,83,94	14,57,68
49. जल संसाधन विभाग दत्तमत्त	3,31,95,86	16,60,00,00	2,46,82,19	5,29,04,44
50. लघु सिंचाई विभाग दत्तमत्त	82,43,07	3,18,90,00	63,02,58	1,26,05,30
51. कल्याण विभाग दत्तमत्त	8,75,88,10	1,52,72,00	6,27,91,63	80,61,52
52. कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग दत्तमत्त	84,37,96	16,45,00	49,33,82	12,11,57
53. मत्स्य दत्तमत्त	53,80,56	7,36,80	35,73,12	3,76,20
54. डेयरी दत्तमत्त	1,17,78,28	10,00,00	68,81,19	10,00,00

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	

65,41
19,24,22	30,28,11
1,52,80	2,80,45
95,48,90	12,01,08
9,01,17,26	10,55,51
85,13,67	11,30,95,56
19,40,49	1,92,84,70
2,47,96,47	72,10,48
35,04,14	4,33,43
18,07,44	3,60,60
48,97,09

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
55. ग्रामीण कार्य विभाग दत्तमत्त	2,05,88,13	9,76,65,41	1,27,58,52	8,99,51,22
56. पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग दत्तमत्त	23,37,93,48	2,75,00	8,69,88,66	2,70,99
57. आवास विभाग दत्तमत्त	10,86,18	6,00,00	1,32,66	6,00,00
58. माध्यमिक शिक्षा दत्तमत्त	7,99,93,39	94,63,46	5,82,89,35	73,07,81
59. प्राथमिक एवं जन शिक्षा दत्तमत्त	43,69,23,80	8,00,00	26,28,96,60	5,27,13
60. समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग दत्तमत्त	12,36,38,45	1,08,00,00	8,41,04,99	1,02,62,96
कुल दत्तमत्त :-	3,00,13,98,76	87,53,22,33	2,08,23,17,01	51,95,49,55
कुल प्रभारित :-	25,39,13,32	18,15,34,00	26,70,00,91	19,96,92,26
कुल जोड :-	3,25,53,12,08	1,05,68,56,33	2,34,93,17,92	71,92,41,81

सारांश-क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रुपयों में)	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
78,29,61	77,14,19
14,68,04,82	401
9,53,52
2,17,04,04	21,55,65
17,40,27,20	2,72,87
3,95,33,46	5,37,04
95,63,86,30	35,57,72,78	3,73,04,55
8,54,23	1,39,41,82	1,81,58,26
95,72,40,53	35,57,72,78	5,12,46,37	1,81,58,26

विनियोग लेखे का सारांश -क्रमांत

निम्नलिखित दत्तमत अनुदान में अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है :-

राजस्व प्रभाग :

15 पेंशन

निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों में अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है :-

राजस्व प्रभाग :

13 ब्याज संदाय

पूंजी प्रभाग :

14 ऋण की वापसी/अदायगी

चूंकि अनुदान और विनियोग, व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2013-14 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(हजार रुपयों में)		(हजार रुपयों में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	2,08,23,17,01	51,95,49,55	26,70,00,91	19,96,92,26
घटाएँ - कुल वसूलियाँ	21,29,19	2,01,08,99
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में दिखाया गया है।	2,08,01,87,82	49,94,40,56	26,70,00,91	19,96,92,26

उपर्युक्त में संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और सवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाइनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियाँ के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले झारखण्ड सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक:
नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

**अनुदान संख्या - 1 - कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2401	फसल कृषि-कर्म		
2402	मृदा तथा जल संरक्षण		
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	9,39,41,03}	9,82,74,59	4,16,22,02	-5,66,52,57
अनुपूरक	43,33,56}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(जनवरी 2014	:	48,38,00		55,38,00
10 फरवरी 2014	:	2,00,00		
25 मार्च 2014	:	5,00,00)		

पूँजी :

मूल	1,50,00}	1,50,00	1,49,99	-1
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 5,66,52.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 10,15.30 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 32,53.26 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 65.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 43,33.56 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 55,38.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,66,52.57 लाख) से ₹ 5,11,14.57 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 80-सामान्य, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग, 04-बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,55.78 लाख की बचत, जो कि ₹ 35,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2401 फसल कृषि-कर्म 102 खाद्यान्न फसलें 04 बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम-कृषकों को धान एवं अन्य बीजों की उपलब्धता (योजना)	12,00.00	9,82.17	-2,17.83
2.	43 पॉइलट वेदर बेस्ट क्रॉप इंस्योरेन्स स्कीम (योजना)	1,00.00	0.52	-99.48
3.	103 बीज 01 बीज संवर्द्धन फार्म (गैर-योजना)	4,41.94	3,27.57	-1,14.37
4.	105 खाद तथा उर्वरक 01 कम्पोस्ट खाद योजना (गैर-योजना)	1,00.42	66.62	-33.80
	मूल 4,41.32 } अनुपूरक 0.62 }			
	मूल 98.32 } अनुपूरक 2.10 }			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	107 वनस्पति रक्षण 09 पौधा संरक्षण योजना (गैर-योजना)			
	मूल 6,96.99}	6,96.99	6,22.41	-74.58

उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 2,17.83 लाख, ₹ 99.48 लाख, ₹ 1,14.37 लाख, ₹ 33.80 लाख एवं ₹ 74.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

6.	109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 01 प्रमण्डलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 71,60.60}	51,60.60	40,42.74	-11,17.86
	पुनर्वि० -20,00.00}			

₹ 20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत कम संख्या में जन सेवकों का पदस्थापन होने के कारण हुई थी। ₹ 11,17.86 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

7.	26 प्रतिशील कृषकों को प्रोत्साहन एवं पारितोषिक (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	9.82	-30.18

₹ 30.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

8.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	2,20.78	-29.22
	अनुपूरक 50.00}			
	पुनर्वि० -50.00}			

₹ 79.22 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	29 माइक्रो-इरीगेशन की योजना (योजना)			
	मूल 5,50.00}	9,50.00	6,94.93	-2,55.07
	अनुपूरक 4,00.00}			
10.	119 बागवानी तथा वनस्पति फसलें 01 उद्यान विकास योजना (फल विकास योजना सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 3,39.61}	3,39.61	2,80.28	-59.33
11.	05 सब्जी विकास योजना (रोगमुक्त प्रमाणित आलूबीज योजना) (गैर-योजना)			
	मूल 3,09.42}	3,09.42	1,54.76	-1,54.66
12.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	3,80.91	-1,19.09
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 2,55.07 लाख, ₹ 59.33 लाख, ₹ 1,54.66 लाख एवं ₹ 1,19.09 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
13.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 1,50.00}			
	अनुपूरक 30.00}	1,50.00	1,32.47	-17.53
	पुनर्वि० -30.00}			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	29 माइक्रो इरिगेशन सिस्टम (योजना)			
	मूल 4,50.00}	2,88.00	1,27.93	-1,60.07
	पुनर्वि० -1,62.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 47.53 लाख एवं ₹ 3,22.07 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
15.	90 कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन की योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	13.91	-86.09
16.	91 आर०के०भी०वाई० स्ट्रीम-I एवं स्ट्रीम-II (योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	9.56	-9,90.44
17.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 18,00.00}	18,00.00	5,51.98	-12,48.02
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 86.09 लाख, ₹ 9,90.44 लाख एवं ₹ 12,48.02 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
18.	17 विभागीय आधारभूत संरचनाओं का विकास (योजना)			
	मूल 14,00.00}			
	अनुपूरक 5,64.00}	18,64.00	11,41.80	-7,22.20
	पुनर्वि० -1,00.00}			

₹ 8,22.20 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	19 एक्सटेन्सन रिफार्मस (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	2,96.56	-1,03.44
20.	26 प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन एवं पारितोषिक (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	9.53	-50.47
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹1,03.44 लाख एवं ₹50.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)				
21.	28 राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 6,00.00}			
	अनुपूरक 1,20.00}	6,00.00	5,29.88	-70.12
	पुनर्वि० -1,20.00}			
22.	29 माइक्रो-इरीगेशन सिस्टम योजना (योजना)			
	मूल 10,00.00}	6,24.00	3,11.21	-3,12.79
	पुनर्वि० -3,76.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,90.12 लाख एवं ₹ 6,88.79 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
23.	43 पॉइलट वेदर बेस्ट क्रॉप इंस्योरेन्स स्कीम (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	1.91	-1,48.09

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
24.	48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) (योजना)			
	मूल 60.00}	1,29.00	30.13	-98.87
	अनुपूरक 69.00}			
25.	55 पौष्टिक फल पौधा एवं सब्जी का विकास (योजना)			
	मूल 1,10.00}	1,10.00	83.68	-26.32
26.	65 प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रचार-प्रसार (योजना)			
	मूल 1,35.00}	1,35.00	40.59	-94.41
27.	71 राज्य मशाला मिशन हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,50.00}	3,00.00	1,50.00	-1,50.00
	अनुपूरक 1,50.00}			
28.	72 राज्य औषधीय मिशन हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 75.00}	1,92.00	75.00	-1,17.00
	अनुपूरक 1,17.00}			
29.	74 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रत्यक्ष (के०यो०यो०)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	1,72.25	-8,27.75

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
30.	81 राज्य जैविक मिशन हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 5,50.00}	6,48.00	5,50.00	-98.00
	अनुपूरक 98.00}			
31.	90 कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन की योजना (योजना)			
	मूल 11,00.00}	15,00.00	8,30.54	-6,69.46
	अनुपूरक 4,00.00}			
32.	91 आर०के०भी०वाई० स्ट्रीम-I एवं स्ट्रीम-II (योजना)			
	मूल 1,30,00.00}	1,30,00.00	56,95.14	-73,04.86
33.	800 अन्य व्यय 17 विभागीय आधारभूत संरचनाओं का विकास (योजना)			
	मूल 11,00.00}	13,34.00	5,60.25	-7,73.75
	अनुपूरक 2,34.00}			
34.	48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) (योजना)			
	मूल 40.00}	96.00	17.28	-78.72
	अनुपूरक 56.00}			
35.	65 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रत्यक्षण (के०यो०यो०)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	1,55.53	-8,44.47

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
36.	90 कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन की योजना (योजना)			
	मूल 8,00.00 } अनुपूरक 4,00.00 }	12,00.00	6,62.67	-5,37.33
37.	91 आर०के०भी०वाई० स्ट्रीम-I एवं स्ट्रीम-II (योजना)			
	मूल 1,02,74.00 }	1,02,74.00	57,44.71	-45,29.29
38.	2402 मृदा तथा जल संरक्षण 001 निदेशन एवं प्रशासन 05 मुख्यालय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 90.45 } अनुपूरक 0.75 }	91.20	60.02	-31.18
39.	101 मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण 01 सर्वे स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 2,31.95 } अनुपूरक 5.72 }	2,37.67	1,75.63	-62.04
40.	02 भूमि सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 93.74 }	93.74	61.71	-32.03
41.	05 भूमि संरक्षण और अनुसंधान (योजना)			
	मूल 2,50.00 }	2,50.00	1,97.08	-52.92

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
42.	06 बंजर भूमि का विकास (योजना)			
	मूल 8,00.00}	9,00.00	6,14.24	-2,85.76
	अनुपूरक 1,00.00}			
43.	10 राईस फेलो भूमि विकास (योजना)			
	मूल 7,00.00}	7,00.00	6,19.00	-81.00
44.	102 मृदा संरक्षण 04 क्षेत्रीय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 14,27.14}	14,81.72	10,88.22	-3,93.50
	अनुपूरक 54.58}			
45.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 06 बंजर भूमि का विकास (योजना)			
	मूल 8,50.00}	9,00.00	7,20.34	-1,79.66
	अनुपूरक 50.00}			
46.	2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 01 फसल कृषि-कर्म 277 शिक्षा 02 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 1,41.76}	1,43.43	93.83	-49.60
	अनुपूरक 1.67}			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
47.	80 सामान्य			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	15 राज्य में कृषि महाविद्यालयों की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 11,00.00}	11,00.00	8,82.23	-2,17.77
48.	2435 अन्य कृषि कार्यक्रम			
	01 विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	12 एग्रीकल्चर कन्सलटेन्सी एवं इभेल्यूशन सर्विस (योजना)			
	मूल 90.00}	90.00	2.10	-87.90
49.	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	106 भार और माप का विनियमन			
	02 माप एवं तौल का मानकीकरण (गैर-योजना)			
	मूल 3,31.46}	3,31.46	2,49.66	-81.80
50.	03 राज्य विधिक माप शाखा का सुदृढीकरण (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 4,00.09}	4,00.09	1,55.22	-2,44.87

उपर्युक्त अट्ठाईस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2401 फसल कृषि-कर्म 109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 20 मैक्रोमैनेजमेंट की योजना (के०प्रा०यो०)	5,40.00	-5,40.00
2.	20 मैक्रोमैनेजमेंट की योजना (योजना)	60.00	-60.00
3.	65 प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रचार-प्रसार (योजना)	1,15.00	-1,15.00
4.	79 टिकारु कृषि उप-मिशन को अनुदान (के०प्रा०यो०)	10,80.00	-10,80.00
5.	79 टिकारु कृषि उप-मिशन को अनुदान (योजना)	1,20.00
	पुनर्वि० -1,20.00}
6.	80 राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना को अनुदान (योजना)	2,00.00	-2,00.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	113 कृषि इंजीनियरी 78 कृषि यांत्रिकीकरण उप-मिशन को अनुदान (के०प्रा०यो०)	13,50.00	-13,50.00
8.	78 कृषि यांत्रिकीकरण उप-मिशन को अनुदान (योजना)
9.	84 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत चयनित कृषि यंत्र एवं उपकरण/उपस्कर हेतु आर्थिक सहायता हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)	7,20.00	-7,20.00
10.	84 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत चयनित कृषि यंत्र एवं उपकरण/ उपस्करण हेतु आर्थिक सहायता हेतु अनुदान (योजना)
11.	85 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत कस्टम हार्डिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)	14,40.00	-14,40.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	85 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत कस्टम हाईरिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,60.00}
	पुनर्वि० -1,60.00}			
13.	86 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत उच्च तकनीक उत्पादकता उपकरण केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,00.00}	9,00.00	-9,00.00
14.	86 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत उच्च तकनीक उत्पादकता उपकरण केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
15.	87 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में कृषि प्रक्षेत्र यांत्रिकीकरण का संवर्द्धन हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,00.00}	9,00.00	-9,00.00
16.	87 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में कृषि प्रक्षेत्र यांत्रिकीकरण का संवर्द्धन हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
17.	88 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत लघु एवं सीमांत किसानों के लिये उपयुक्त कृषि यांत्रिकीकरण अपनाने हेतु उपादान अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,00.00 }	9,00.00	-9,00.00
18.	88 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत लघु एवं सीमांत किसानों के लिये उपयुक्त कृषि यांत्रिकीकरण अपनाने हेतु उपादान अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00 }
	पुनर्वि० -1,00.00 }			
19.	89 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत कृषि प्रक्षेत्र यांत्रिकीकरण हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,00.00 }	9,00.00	-9,00.00
20.	89 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत कृषि प्रक्षेत्र यांत्रिकीकरण हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00 }
	पुनर्वि० -1,00.00 }			
21.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 20 मैक्रोमैनेजमेंट की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,70.00 }	2,70.00	-2,70.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
22.	20 मैक्रोमैनेजमेंट की योजना (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	-30.00
23.	43 पॉइलट बेदर बेस्ट क्रॉप इंश्योरेन्स स्कीम (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	-50.00
24.	67 मृदा सुधार एवं प्रबंधन की योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	-1,00.00
25.	78 कृषि यांत्रिकीकरण उप-मिशन को अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,50.00}	4,50.00	-4,50.00
26.	79 टिकाऊ कृषि उप-मिशन को अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,80.00}	1,80.00	-1,80.00
27.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 20 मैक्रोमैनेजमेंट की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,40.00}	5,40.00	-5,40.00
28.	20 मैक्रोमैनेजमेंट की योजना (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	-60.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
29.	49 बीज ग्राम कार्यक्रम (के०यो०यो०)			
	मूल 7,70.00 }	7,70.00	-7,70.00
30.	58 बीज प्रमाणन एजेन्सी को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00 }	50.00	-50.00
<p>उपर्युक्त तीस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
31.	59 राज्य बीज निगम को अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00 }
	पुनर्वि० -5,00.00 }			
<p>कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
32.	60 उर्वरक संग्रहण हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00 }	2,00.00	-2,00.00
33.	64 झारखंड कृषि कार्ड योजना (योजना)			
	मूल 60.00 }	60.00	-60.00
34.	66 कृषि अनुदान (योजना)			
	मूल 2,26.00 }	2,26.00	-2,26.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
35.	67 मृदा सुधार एवं प्रबंधन की योजना (योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	-8,00.00
36.	75 राष्ट्रीय जैविक खेती का विकास (के०यो०यो०)			
	मूल 50.00}	50.00	-50.00
37.	76 कीटनाशी प्रयोगशाला की स्थापनाएं (के०यो०यो०)			
	मूल 75.00}	75.00	-75.00
38.	78 कृषि यांत्रिकीकरण उप-मिशन को अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 27,00.00}	27,00.00	-27,00.00
39.	78 कृषि यांत्रिकीकरण उप-मिशन को अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}
	पुनर्वि० -3,00.00}			
40.	79 टिकाऊ कृषि उप-मिशन को अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 14,40.00}	14,40.00	-14,40.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
41.	79 टिकाऊ कृषि उप-मिशन को अनुदान (योजना)			
	मूल 1,60.00}
	पुनर्वि० -1,60.00}			
42.	80 राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना को अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	-3,00.00
43.	84 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत कृषि यंत्र एवं उपकरण/उपस्कर हेतु आर्थिक सहायता हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 10,80.00}	10,80.00	-10,80.00
44.	84 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत कृषि यंत्र एवं उपकरण/उपस्कर हेतु आर्थिक सहायता हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,20.00}
	पुनर्वि० -1,20.00}			
45.	85 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत कस्टम हार्डिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 21,60.00}	21,60.00	-21,60.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
46.	85 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत कस्टम हार्डिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 2,40.00}
	पुनर्वि० -2,40.00}			
47.	86 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत उच्च तकनीक उत्पादकता उपकरण केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,00.00}	9,00.00	-9,00.00
48.	86 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत उच्च तकनीक उत्पादकता उपकरण केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
49.	87 एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में कृषि प्रक्षेत्र यांत्रिकीकरण का संवर्द्धन हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,00.00}	9,00.00	-9,00.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
50.	87	एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में कृषि प्रक्षेत्र यांत्रिकीकरण का संवर्द्धन हेतु अनुदान (योजना)		
	मूल	1,00.00 }
	पुनर्वि०	-1,00.00 }		...
51.	88	एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों के लिये उपयुक्त कृषि यांत्रिकीकरण अपनाने हेतु उपादान अनुदान (के०प्रा०यो०)		
	मूल	9,00.00 }	9,00.00
				-9,00.00
52.	88	एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों के लिये उपयुक्त कृषि यांत्रिकीकरण अपनाने हेतु उपादान अनुदान (योजना)		
	मूल	1,00.00 }
	पुनर्वि०	-1,00.00 }		...
53.	89	एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत कृषि प्रक्षेत्र यांत्रिकीकरण हेतु अनुदान (के०प्रा०यो०)		
	मूल	9,00.00 }	9,00.00
				-9,00.00
54.	89	एस.एम.ए.एम. के अन्तर्गत कृषि प्रक्षेत्र यांत्रिकीकरण हेतु अनुदान (योजना)		
	मूल	1,00.00 }
	पुनर्वि०	-1,00.00 }		...

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
55.	800 अन्य व्यय 49 बीज ग्राम कार्यक्रम (के०यो०यो०)			
	मूल 7,15.00}	7,15.00	...	-7,15.00
56.	51 राष्ट्रीय जैविक खेती विकास (के०यो०यो०)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
57.	64 झारखंड कृषि कार्ड योजना (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	...	-30.00
58.	68 मृदा सुधार, प्रबंधन एवं भूमि विकास की योजना (योजना)			
	मूल 6,00.00}	6,00.00	...	-6,00.00
59.	71 कीटनाशी प्रयोगशाला की स्थापना (के०यो०यो०)			
	मूल 75.00}	75.00	...	-75.00
60.	2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 80 सामान्य 277 शिक्षा 15 राज्य में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 6,00.00}	6,00.00	...	-6,00.00

अनुदान संख्या - 1 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
61.	2435 अन्य कृषि कार्यक्रम 01 विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण 102 श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं 12 एग्रीकल्चर कन्सल्टेन्सी एवं इभेल्यूशन सर्विस (योजना)	60.00	...	-60.00
62.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 11 कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)	30.00	...	-30.00

उपर्युक्त इक्कतीस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 2 - पशुपालन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2403 पशुपालन			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व:			
मूल	1,59,44,96}	1,62,12,53	1,26,59,60
अनुपूरक	2,67,57}		-35,52,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
(2 जुलाई 2013	:	50,00	31,77,13
31 मार्च 2014	:	31,27,13)	

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 35,52.93 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 2,39.44 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 22.38 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 5.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,67.57 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 31,77.13 लाख), अंतिम बचत (₹ 35,52.93 लाख) से ₹ 3,75.80 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2403- पशुपालन, 101-पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य, 03- अस्पताल, औषधालय और अन्य स्थापनाएं (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,81.30 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 49,15.49 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2403 पशुपालन 101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 02 पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका-चालू योजना) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,10.00}	66.45	67.13	+0.68
	पुनर्वि० -1,43.55}			
2.	02 पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका-चालू योजना) (योजना)			
	मूल 70.00}	51.01	20.54	-30.47
	पुनर्वि० -18.99}			
3.	24 अस्पताल, औषधालय तथा अन्य स्थापनाएं (योजना)			
	मूल 4,07.00}	3,51.74	3,58.41	+6.67
	पुनर्वि० -55.26}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,43.55 लाख एवं ₹18.99 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की कम विमुक्ति के कारण हुई थी। क्रम सं०-1 के अन्तर्गत ₹ 0.68 लाख के अन्तिम अधिक व्यय एवं क्रम सं०-2 के अन्तर्गत ₹ 30.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

₹ 48.59 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	26 पेट क्लीनिक (योजना)			
	मूल 1,60.00}	50.70	20.70	-30.00
	पुनर्वि० -1,09.30}			

₹ 1,39.30 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

5.	27 पशु अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,00.00}	1,98.47	1,85.72	-12.75
	पुनर्वि० -1,01.53}			

₹ 1,01.53 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की कम स्वीकृति मिलने के कारण हुई थी। ₹ 12.75 लाख की अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

6.	27 पशु अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	75.29	44.03	-31.26
	पुनर्वि० -24.71}			

₹ 55.97 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

7.	102 पशु तथा भैंस विकास 06 पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना (प्रमाणित साढ़ों के ग्राम्य क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय विस्तार प्रखण्डों में वितरण सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 14,04.48}			
	अनुपूरक 7.23}	12,52.23	12,39.26	-12.97
	पुनर्वि० -1,59.48}			

पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 97.00 लाख के प्रावधान में कटौती, ₹ 62.48 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 12.97 लाख की अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	106 अन्य पशुधन विकास 12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (योजना)			
	मूल 13,44.00}	2,86.02	2,76.02	-10.00
	पुनर्वि० -10,57.98}			

₹ 10,57.98 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निधि की कम विमुक्ति के कारण हुई थी। ₹ 10.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

9.	37 राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र (योजना)			
	मूल 3,34.00}	1,68.86	1,70.66	+1.80
	पुनर्वि० -1,65.14}			
10.	109 विस्तार तथा प्रशिक्षण 34 प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 50.00}	2.18	2.29	+0.11
	पुनर्वि० -47.82}			

उपर्युक्त दोनों मामलो में ₹ 1,63.34 लाख एवं ₹ 47.71 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

11.	789 अनूसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 2,28.00}	1,28.46	1,28.37	-0.09
	पुनर्वि० -99.54}			

₹ 99.54 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निधि की कम विमुक्ति के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	13 सूकर प्रजनन इकाई (योजना)			
	मूल 2,04.00}	1,06.18	1,01.98	-4.20
	पुनर्वि० -97.82}			
13.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 03 निदेशालय और क्षेत्रीय प्रशासन (योजना)			
	मूल 6,64.00}	5,22.64	3,58.64	-1,64.00
	पुनर्वि० -1,41.36}			
उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 1,02.02 लाख एवं ₹ 3,05.36 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
14.	12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 2,13.00}	1,61.56	1,61.56	...
	पुनर्वि० -51.44}			
₹ 51.44 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निधि की कम विमुक्ति के कारण हुई थी।				
15.	37 राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र (योजना)			
	मूल 3,10.00}	2,76.30	2,75.73	-0.57
	पुनर्वि० -33.70}			
₹ 34.27 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
16.	3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 01 जनगणना 001 निदेशन और प्रशासन 03 पशु गणना (के०यो०यो०)			
	मूल 7.20}			
	अनुपूरक 2,11.63}	1,58.56	1,66.61	+8.05
	पुनर्वि० -60.27}			

₹ 60.27 लाख की प्रत्याशित बचत मार्गदर्शन के आधार पर व्यय किये जाने/भारत सरकार द्वारा घरों की संख्या निर्धारित किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 8.05 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2403 पशुपालन 001 निदेशन और प्रशासन 03 निदेशालय और क्षेत्रीय प्रशासन (योजना)			
	मूल 36.00}	36.00	-36.00

₹ 36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

2.	101 पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 31 पशु रोग नियंत्रण (के०यो०यो०)			
	मूल 42.00}			
	पुनर्वि० -42.00}

भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 42.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	102 पशु तथा भैंस विकास 36 जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (योजना)			
	मूल 50.00}			
	पुनर्वि० -50.00}
	₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			
4.	106 अन्य पशुधन विकास 06 पशु चिकित्सा परिषद को सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 20.00}			
	पुनर्वि० -20.00}
	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशुपालन विभाग, राँची से दिनांक 31/03/2014 को स्वीकृत्यादेश प्राप्त हुआ था और उसी तिथि को प्राधिकार-पत्र निर्गत कर दिया गया था। अतः प्रत्यर्पण आदेश में दिया गया यह कारण कि महालेखाकार से प्राधिकार-पत्र प्राप्त नहीं हुआ, मान्य नहीं है।			
5.	06 पशु चिकित्सा परिषद को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 20.00}	11.00	-11.00
	पुनर्वि० -9.00}			

₹ 9.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी। ₹ 11.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 2 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	08 गो सेवा आयोग को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशुपालन विभाग, राँची से दिनांक 31/03/2014 को स्वीकृत्यादेश प्राप्त हुआ था और उसी तिथि को प्राधिकार पत्र निर्गत कर दिया गया था। अतः प्रत्यर्पण आदेश में दिया गया यह कारण कि महालेखाकार से प्राधिकार-पत्र प्राप्त नहीं हुआ, मान्य नहीं है।

7.	14 प्रजनन प्रक्षेत्र (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(v) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2403 पशुपालन			
102 पशु और भैंस विकास			
05 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (गैर-योजना)			
मूल 4,41.08}	3,55.00	3,83.45	+28.45
पुनर्वि० -86.08}			

पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3.15 लाख के प्रावधान में कटौती, ₹ 82.93 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 28.45 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 3 - भवन निर्माण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2059	लोक निर्माण-कार्य		
2216	आवास		
4059	लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व:

मूल	86,01,66}	1,00,20,15	88,81,11	-11,39,04
अनुपूरक	14,18,49}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी:

मूल	1,46,00,00}	1,85,90,00	1,12,94,87	-72,95,13
अनुपूरक	39,90,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 39,90,00
(फरवरी 2014)

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 11,39.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 (₹ 11,00.10 लाख) और फरवरी 2014 (₹ 3,18.39 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 14,18.49 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 80-सामान्य, 001-निदेशन और प्रशासन, 04-भवन निर्माण (कार्य सम्पादन) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,15.68 लाख की बचत, जो कि ₹ 27,77.56 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2059 लोक निर्माण-कार्य 80 सामान्य 001 निदेशन और प्रशासन 01 निदेशन (गैर-योजना)			
	मूल 2,51.58 } अनुपूरक 1.17 }	2,52.75	2,19.32	-33.43
2.	03 भवन निर्माण-पर्यवेक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 3,65.24 } अनुपूरक 70.08 }	4,35.32	3,82.77	-52.55
3.	06 निदेशन-एच०ई०सी० से लिये गये सचिवालय भवन एवं अन्य भवनों पर व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 5.00 } अनुपूरक 11,00.02 }	11,05.02	6.78	-10,98.24
4.	2216 आवास 05 साधारण पूल आवास 053 रखरखाव तथा मरम्मत 03 लोक निर्माण-राज्य में लोक निर्माण भवन सम्बन्धी लघु निर्माण (गैर-योजना)			
	मूल 4,00.00 }	4,00.00	2,68.11	-1,31.89

उपर्युक्त चार मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2059 लोक निर्माण-कार्य			
80 सामान्य			
053 रखरखाव तथा मरम्मत			
06 नगर निगम एवं नगरपालिका कर (गैर-योजना)			
मूल 30.00}	30.00	-30.00

₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(v) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में कटौती अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2059 लोक निर्माण-कार्य			
80 सामान्य			
053 रखरखाव तथा मरम्मत			
13 गैर-आवासीय भवनों का अनुरक्षण तथा मरम्मति (गैर-योजना)			
मूल 30,00.00}	29,47.13	34,84.53	+5,37.40
पुनर्वि० -52.87}			

₹ 52.87 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 5,37.40 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

(vi) अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2059 लाक निर्माण-कार्य 80 सामान्य 053 रखरखाव तथा मरम्मत 07 श्रमपुस्त कर्मचारियों के लिए वेतन (गैर-योजना)	16.50	16.50	47.83
मूल	16.50}	16.50	47.83
			+31.33

₹ 31.33 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूँजी:

(vii) ₹ 72,95.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 39,90.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(viii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 39,90.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 72,95.13 लाख) से ₹ 33,05.13 लाख कम था।

(ix) शीर्ष 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 01-कार्यालय भवन, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 54-कार्यालय भवन (योजना) के अन्तर्गत ₹ 59.32 लाख की बचत, जो कि ₹ 21,50.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4059 लोक निर्माण-कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01 कार्यालय भवन 051 निर्माण 39 कोर्ट भवन/आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (के०प्रा०यो०)	8,40.00	8,40.00	40.00
	मूल	8,40.00}	8,40.00	40.00
				-8,00.00

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	51 कोर्ट भवन (आवासीय/गैर-आवासीय) (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	3,08.10	-91.90
3.	53 कोर्ट भवन (आवासीय/गैर-आवासीय) (योजना)			
	मूल 7,00.00}	17,00.00	12,92.04	-4,07.96
	अनुपूरक 10,00.00}			
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 8,00.00 लाख, ₹ 91.90 लाख एवं ₹ 4,07.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
4.	54 परिसदन (योजना)			
	मूल 1,00.00}	10.00	10.00
	पुनर्वि० -90.00}			
₹ 90.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 39 कोर्ट भवन/आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 4,20.00}	4,20.00	2,09.36	-2,10.64
6.	48 प्रशिक्षण/निरूपन/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/परामर्शी शुल्क (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	1,68.72	-2,31.28

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	51 कार्यालय भवन (योजना)			
	मूल 3,00.00}	12,00.00	8,76.20	-3,23.80
	अनुपूरक 9,00.00}			
8.	52 परिसदन (योजना)			
	मूल 40.00}	1,40.00	1,02.38	-37.62
	अनुपूरक 1,00.00}			
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 2,10.64 लाख, ₹ 2,31.28 लाख, ₹ 3,23.80 लाख एवं ₹ 37.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
9.	53 कोर्ट भवन (आवासीय/गैर-आवासीय) (योजना)			
	मूल 50,00.00}	12,00.00	11,68.46	-31.54
	पुनर्वि० -38,00.00}			
₹ 38,31.54 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
10.	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01 सरकारी रिहायसी भवन 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 10 आवासीय भवन (योजना)			
	मूल 5,00.00}	11,50.00	9,96.74	-1,53.26
	अनुपूरक 6,50.00}			

₹ 1,53.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

(x) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4059 लोक निर्माण-कार्य पर पुंजीगत परिव्यय 01 कार्यालय भवन 051 निर्माण 48 प्रशिक्षण/निरूपण/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/परामर्शी शुल्क (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 07 जिला गेस्ट हाउस/ अन्य परिसदन (योजना)			
	मूल 20.00}	20.00	...	-20.00
3.	39 कोर्ट भवन/आवासीय भवन/ कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट भवन से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,60.00}	12,60.00	...	-12,60.00

उपयुक्त तीन मामलों में ₹ 1,00.00 लाख, ₹ 20.00 लाख एवं ₹ 12,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 3 - क्रमांत

(xi) अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4059 लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 कार्यालय भवन 051 निर्माण 50 परिसदन (योजना)	40.00	1,83.35	+1,43.35
2.	52 कार्यालय भवन (योजना)	8,00.00	9,95.28	+1,95.28

उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 1,43.35 लाख एवं ₹ 1,95.28 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014) ।

**अनुदान संख्या - 4 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2013 मंत्रिपरिषद्			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			

राजस्व:

मूल	31,60,61}	33,36,60	17,52,82	-15,83,78
अनुपूरक	1,75,99}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(24 जनवरी 2014)

23.07

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 15,83.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 47.53 लाख), दिसंबर 2013 (1,24.96 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 3.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,75.99 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 23.07 लाख), अंतिम बचत (₹ 15,83.78 लाख) से ₹ 15,60.71 लाख कम था।
- (iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2013 मंत्रिपरिषद्			
	101 मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन			
1.	01 मंत्रिगण (गैर-योजना)			
	मूल	8,64.39}	9,31.89	3,46.65
	अनुपूरक	67.50}		-5,85.24

अनुदान संख्या - 4 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान 02 मंत्रियों का वैवेकिक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 36.00 }	36.00	3.00	-33.00
3.	108 दौरा खर्च 01 मंत्रिगण का यात्रा व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 60.01 }	60.01	33.31	-26.70
4.	2052 सचिवालय- सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 01 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (मुख्यमंत्री सचिवालय) (गैर-योजना)			
	मूल 2,29.26 }	2,41.36	1,73.08	-68.28
	अनुपूरक 12.10 }			
5.	24 मंत्रिमंडल सचिवालय (समन्वय एवं प्रोटोकॉल) (गैर-योजना)			
	मूल 4,40.12 }	4,87.65	2,87.06	-2,00.59
	अनुपूरक 47.53 }			

उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 5,85.24 लाख, ₹ 33.00 लाख, ₹ 26.70 लाख, ₹ 68.28 लाख एवं ₹ 2,00.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 4 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	25 मंत्रिमंडल सचिवालय (मुख्य सचिव, सचिवालय) (गैर-योजना)			
	मूल 1,32.51}	1,32.95	1,24.48	-8.47
	अनुपूरक 23.50}			
	पुनर्वि० -23.06}			
<p>₹ 23.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः दो पदाधिकारियों एवं एक निजी सहायक के स्थानांतरण किये जाने (₹ 20.00 लाख) एवं कम व्यय (₹ 3.00 लाख) के कारण हुई थी। ₹ 8.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
7.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि 01 राज्य अतिथि गृह (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.08}	2,00.08	1,50.11	-49.97
8.	02 झारखण्ड भवन- स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 5,58.28}	5,76.04	4,21.63	-1,54.41
	अनुपूरक 17.76}			
9.	800 अन्य व्यय 11 झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	76.57	-4,23.43

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 49.97 लाख, ₹ 1,54.41 लाख एवं ₹ 4,23.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

विनियोग संख्या - 5 - राज्यपाल सचिवालय
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
राजस्व:			
मूल	6,44,95}	7,91,95	6,96,65
अनुपूरक	1,47,00}		-95,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 95.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, दिसम्बर 2013 (₹ 1,12.00 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 35.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,47.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 090 सचिवालय 01 सचिवालय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल	3,74.22}		
	अनुपूरक	15.00}	3,88.78	3,22.03
	पुनर्वि०	-0.44}		-66.75
2.	103 पारिवारिक स्थापना 05 बाग एवं उद्यान (गैर-योजना)			
	मूल	33.94}	33.94	23.05

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 66.75 लाख एवं ₹ 10.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 6 - निर्वाचन
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2015	निर्वाचन			
राजस्व:				
मूल	25,25,65}	38,25,65	37,35,31	-90,34
अनुपूरक	13,00,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 90.34 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 13,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) शीर्ष 2015-निर्वाचन, 102-निर्वाचन अधिकारी, 01-मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना (गैर-योजना), 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, 07-राष्ट्रीय मतदाता दिवस (गैर-योजना) एवं 108-मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना, 02-मतदाताओं के पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 33.75 लाख, ₹35.23 लाख एवं ₹ 20.53 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹5,88.58 लाख, ₹ 5,00.00 लाख एवं ₹ 4,02.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
105	संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
05	ई.वी. एम. टेस्टिंग एवं एफ.एल.सी. (गैर-योजना)			
अनुपूरक	2,00.00}	2,00.00	48.09	-1,51.91

₹ 1,51.91 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 6 - क्रमांत

(iv) अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
105 संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार			
01 लोक सभा का आम निर्वाचन (गैर-योजना)			
मूल 1,30.01}	1,30.01	2,88.43	+1,58.42

₹ 1,58.42 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 7 - निगरानी
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
राजस्व:				
दत्तमत				
मूल	13,51,70}	13,92,13	12,61,05	-1,31,08
अनुपूरक	40,43}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (13 फरवरी 2014)				2,20

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 1,31.08 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 (₹ 33.93 लाख) और फरवरी 2014 (₹ 6.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 40.43 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) ₹ 1,31.08 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध मात्र ₹ 2.20 लाख अभ्यर्पित किया गया था।
- (iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	104 सतर्कता 03 तकनीकी परीक्षक कोषांग (गैर-योजना)			
	मूल 1,40.95}	1,29.95	1,18.08	-11.87
	पुनर्वि० -11.00}			

नवनियुक्त 7 सहायकों, 5 प्रशाखा पदाधिकारियों एवं 1 अवर सचिव के वेतन का भुगतान करने हेतु उपशीर्ष मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग को निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 11.00 लाख रुपये की कटौती की गई। ₹ 11.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

2.	04 अन्वेषण ब्यूरो (गैर-योजना)			
	मूल 11,03.23}	11,24.23	10,11.72	-1,12.51
	अनुपूरक 21.00}			

₹ 1,12.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 8 - नागर विमानन विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
3053	नागर विमानन			
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:				
मूल	23,01,01}	23,23,23	1,03,54	-22,19,69
अनुपूरक	22,22}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
पूंजी :				
मूल	शून्य}	2,79,99,00	1,10,00,00	-1,69,99,00
अनुपूरक	2,79,99,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
टीका और टिप्पणियाँ:				
राजस्व:				
(i) ₹ 22,19.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसंबर 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 22.22 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।				
(ii) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				

अनुदान संख्या - 8 - क्रमशः

(iii) निम्नलिखित मामलों में, संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3053 नागर विमानन 80 सामान्य 003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा 02 नागर विमानन प्राधिकरण को सहायक अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 10,00.00}	10,00.00	...	-10,00.00
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 एक प्रशिक्षण वायुयान एवं मोटर ग्लाइडर का क्रय (योजना)			
	मूल 7,00.00}	7,00.00	...	-7,00.00
3.	04 देवघर सहित विभिन्न जिलों के मुख्यालयों में रनवे निर्माण एवं विस्तार हेतु (योजना)			
	मूल 4,82.00}	4,82.00	...	-4,82.00
4.	06 एयरोमॉडलिंग एवं एरोस्पोर्ट्स (योजना)			
	मूल 15.00}	15.00	...	-15.00

उपर्युक्त चार मामलों में ₹10,00.00 लाख, ₹ 7,00.00 लाख, ₹ 4,82.00 लाख एवं ₹ 15.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूंजी

(iv) ₹ 1,69,99.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 (₹ 1,10,00.00 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 1,69,99.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,79,99.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 8 - क्रमांत

(vi) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय			
80 सामान्य			
800 अन्य व्यय			
01 वायुयान/हेलीकॉप्टर का क्रय, एयर बेस का निर्माण एवं उड़ान एकेडमी की स्थापना (गैर-योजना)			
मूल 1,69,99.00}	1,69,99.00	-1,69,99.00

₹ 1,69,99.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 9 - सहकारिता विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2425 सहकारिता			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425 सहकारिता के लिए कर्ज			

राजस्व:

मूल	82,94,45}	83,95,47	71,82,71	-12,12,76
अनुपूरक	1,01,02}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,38,01
(जुलाई 2013	4,16,00			
फरवरी 2014	1,47,00			
31 मार्च 2014	4,75,01)			

पूंजी :

मूल	16,50,00}	20,66,00	10,65,00	-10,01,00
अनुपूरक	4,16,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,01,00
(31 मार्च 2014)				

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(i) ₹ 12,12.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 (₹ 88.02 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 13.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,01.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,38.01 लाख), अंतिम बचत (₹ 12,12.76 लाख) से ₹ 1,74.75 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2425- सहकारिता, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 02 - अधीक्षण एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी समितियों का विकास एवं संगठन (गैर-योजना) एवं 101- सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा, 01-अंकेक्षण (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 59.15 लाख एवं ₹ 99.03 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 24,44.28 लाख एवं ₹ 12,42.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2425 सहकारिता			
	107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
	28 कृषि बीमा योजनान्तर्गत किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 90.00}	...	4.95	+4.95
	पुनर्वि० -90.00}			

मुख्य शीर्ष "6425-सहकारिता के लिए कर्ज" के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ। ₹ 4.95 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

2.	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
	61 मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (योजना)			
	मूल 1,87.00}	97.00	97.00	...
	पुनर्वि० -90.00}			

₹ 90.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 28 कृषि बीमा योजनान्तर्गत किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 60.00}	...	3.50	+3.50
	पुनर्वि० -60.00}			

मुख्य शीर्ष "6425- सहकारिता के लिए कर्ज" के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया। ₹ 3.50 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

4.	61 मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के इंफास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (योजना)			
	मूल 1,25.00}	65.00	65.00	...
	पुनर्वि० -60.00}			

₹ 60.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 28 रा०कृ०बी० योजनान्तर्गत किसानों की विभिन्न फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु रा० कृ०बी० निधि में अनुदान (योजना)			
	मूल 1,50.00}	...	10.00	+10.00
	पुनर्वि० -1,50.00}			

मुख्य शीर्ष "6425-सहकारिता के लिए कर्ज" के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 60.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया। ₹ 90.00 लाख के शेष प्रावधान एवं ₹ 10.00 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	61 मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (योजना)			
	मूल 3,13.00}	1,63.00	1,63.00	...
	पुनर्वि० -1,50.00}			

₹ 1,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2425 सहकारिता 107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
	66 पैक्सो/लैम्पस के प्रबंधकीय अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
2.	108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता			
	14 एन०सी०डी०सी० सम्पोषित स्वावलंबी सहकारी समितियों के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 41.00}
	पुनर्वि० -41.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 41.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

3.	64 सोसायटी के लिए जे०आई०सी०ए० को वित्तीय सहायता (योजना)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			

₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	277 सहकारी शिक्षा 24 सूचना प्रसार सेमिनार, प्रशिक्षण एवं सहकारी समितियों में सदस्य शिक्षा हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 45.00}
	पुनर्वि० -45.00}			
5.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 14 एन०सी०डी०सी० सम्पोषित स्वावलंबी सहकारी समितियों के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 27.00}
	पुनर्वि० -27.00}			
6.	24 सूचना, प्रसार, सेमिनार, प्रशिक्षण एवं सहकारी समितियों में सदस्य शिक्षा हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 45.00 लाख, ₹ 27.00 लाख एवं ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
7.	64 सोसायटी के लिए जे०आई०सी०ए० को वित्तीय सहायता (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है ।				

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	66 पैक्सो/लैम्पस के प्रबंधकीय अनुदान (योजना)			
	मूल 26.00}
	पुनर्वि० -26.00}			
9.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 14 एन०सी०डी०सी० सम्पौषित स्वावलम्बी सहकारी समितियों के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 67.00}
	पुनर्वि० -67.00}			
10.	64 सोसायटी के लिए जे.आई.सी.ए. को वित्तीय सहायता (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
11.	66 पैक्सो/लैम्पस के प्रबंधकीय अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 26.00 लाख, ₹ 67.00 लाख, ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूँजी :

(v) ₹ 10,01.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 4,16.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

(vi) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय 107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता 13 एपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को हिस्सा-पूँजी अंशदान (योजना)			
	मूल 55.00}
	पुनर्वि० -55.00}			
2.	108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश 02 एन०सी०डी०सी० सम्पोषित आई०सी०डी०पी० के लिए हिस्सा-पूँजी (योजना)			
	मूल 1,20.00}
	पुनर्वि० -1,20.00}			
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 एन०सी०डी०सी० सम्पोषित आई०सी०डी०पी० जिलों को हिस्सा-पूँजी (योजना)			
	मूल 80.00}
	पुनर्वि० -80.00}			
4.	13 झारखण्ड सहकारी समितियों को हिस्सा-पूँजी अंशदान (योजना)			
	मूल 37.00}
	पुनर्वि० -37.00}			

अनुदान संख्या - 9 - क्रमान्त

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	796 02 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना एन०सी०डी०सी० सम्पौषित आई०सी०डी०पी० जिलों को हिस्सा पूंजी (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	पुनर्वि० -2,00.00}			
6.	13 एपेक्स एवं अन्य सहकारी समितियों को हिस्सा- पूंजी अंशदान (योजना)			
	मूल 93.00}
	पुनर्वि० -93.00}			
7.	6425 सहकारिता के लिए कर्ज 107 क्रेडिट सहकारी समितियों को कर्ज 16 सहकारी बैंकों का कम्प्यूटराइजेशन (योजना)			
	अनुपूरक 1,21.00}
	पुनर्वि० -1,21.00}			
8.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 16 सहकारी बैंकों का कम्प्यूटराइजेशन (योजना)			
	अनुपूरक 90.00}
	पुनर्वि० -90.00}			
9.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 16 सहकारी बैंकों का कम्प्यूटराइजेशन (योजना)			
	अनुपूरक 2,05.00}
	पुनर्वि० -2,05.00}			

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 10 - ऊर्जा विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(हजार रुपयों में)	
मुख्य शीर्ष			
2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2059 लोक निर्माण-कार्य			
2801 बिजली			
2810 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			

राजस्व:

मूल	17,53,64,91}	22,54,96,44	15,36,81,89	-7,18,14,55
अनुपूरक	5,01,31,53}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 5,02,53,68
 (5 सितम्बर 2013 : 99,00
 31 मार्च 2014 : 5,01,54,68)

पूंजी :

मूल	7,66,88,00}	7,66,88,00	1,75,34,48	-5,91,53,52
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 7,18,14.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 3,00,18.80 लाख) एवं दिसम्बर 2013 (₹ 2,01,12.73 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,01,31.53 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,02,53.68 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,18,14.55 लाख) से ₹ 2,15,60.87 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 10-विद्युत कार्य निष्पादन (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,18.77 लाख की बचत, जो कि ₹ 14,82.53 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2059 लोक निर्माण-कार्य	5,00.00	9.68	-4,90.32
	80 सामान्य			
	053 अनुरक्षण और मरम्मत			
	13 विद्युत कार्य प्रमण्डल के अन्तर्गत पूंजीगत मरम्मत (योजना)			
	मूल	5,00.00	9.68	-4,90.32
2.	2801 बिजली	6,00.00	73.68	-5,26.32
	01 हाइडल उत्पादन			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	02 ग्रामीण विद्युतीकरण-राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल	6,00.00	73.68	-5,26.32
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना	13,00.00	1,59.64	-11,40.36
	02 ग्रामीण विद्युतीकरण-राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल	13,00.00	1,59.64	-11,40.36

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	800 अन्य व्यय 02 ग्रामीण विद्युतीकरण- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 31,00.00}	31,00.00	3,80.68	-27,19.32
5.	80 सामान्य 800 अन्य व्यय 08 परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) एनर्जी एफिशिएन्सी कन्जरवेशन/ परामर्शी एवं अन्य कार्य- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	40.45	-3,59.55
उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 4,90.32 लाख, ₹ 5,26.32 लाख, ₹ 11,40.36 लाख, ₹ 27,19.32 लाख एवं ₹ 3,59.55 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
6.	2810 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा 101 ग्रिड पारस्परिक प्रभावकारी और वितरित नवीकरणीय विद्युत 02 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हेतु ज़ेडा को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 15,00.00}			
	अनुपूरक 99.00}	15,49.50	4,25.40	-11,24.10
	पुनर्वि० -49.50}			

₹ 49.50 लाख की प्रत्याशित बचत ज़ेडा को सहायक अनुदान के अन्तर्गत वेतन में अलग से कोई प्रावधान नहीं किये जाने के फलस्वरूप झारखंड आकस्मिकता निधि से समतुल्य अग्रिम लिये जाने के कारण हुई थी। ₹ 11,24.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हेतु ज़ेडा को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 12,50.00}	12,00.50	2,72.00	-9,28.50
	पुनर्वि० -49.50}			

₹ 49.50 लाख की प्रत्याशित बचत ज़ेडा को सहायक अनुदान के अन्तर्गत वेतन में अलग से कोई प्रावधान नहीं किये जाने के फलस्वरूप झारखंड आकस्मिकता निधि से समतुल्य अग्रिम लिये जाने के कारण हुई थी। ₹ 9,28.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हेतु ज़ेडा को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 22,50.00}	22,50.00	4,89.60	-17,60.40

₹ 17,60.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2801 बिजली 80 सामान्य 101 विद्युत बोर्डों को सहायता 12 डी०भी०सी० को बकाये के भुगतान हेतु जे०एस०ई०बी० को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 5,00,00.00}
	पुनर्वि० -5,00,00.00}			

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 10 जे.एस.ई.आर.सी. को नयी भवन हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00 }	5,00.00	...	-5,00.00
3.	800 अन्य व्यय 07 परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) सपोर्ट टु सकसेसर कम्पनी ऑफ जे.एस.ई.बी. के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 1,15,00.00 }	1,15,00.00	...	-1,15,00.00
4.	09 परामर्शी एवं अन्य कार्य (नई तकनीक सहित) स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00 }	5,00.00	...	-5,00.00

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 5,00,00.00 लाख, ₹ 5,00.00 लाख, ₹ 1,15,00.00 लाख एवं ₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूँजी :

(v) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

(vi) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	6801 बिजली परियोजना के लिए कर्ज			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	03 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को संचार हेतु उधार (योजना)			
	मूल 67,90.56}	67,90.56	21,04.14	-46,86.42
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	03 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को संचार हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 1,47,12.88}	1,47,12.88	45,58.96	-1,01,53.92
3.	800 विद्युत बोर्ड को अन्य कर्ज			
	03 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को संचरण हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 3,50,84.56}	3,50,84.56	1,08,71.38	-2,42,13.18

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 46,86.42 लाख, ₹ 1,01,53.92 लाख एवं ₹ 2,42,13.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 201 पन-बिजली उत्पादन 09 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को वार्षिक विकास कार्यक्रम हेतु ऋण (योजना)	93,00.00	...	-93,00.00
2.	24 प्रदुषण नियंत्रण उपाय (योजना)	25,00.00	...	-25,00.00
3.	202 ताप विद्युत उत्पादन 01 कोल ब्लॉक एवं पावर प्लान्ट- नई योजना (योजना)	1,00.00	...	-1,00.00
4.	205 संचरण तथा वितरण 23 आर-ए.पी.डी.आर.पी. भाग बी (योजना)	15,50.00	...	-15,50.00
5.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को वार्षिक विकास कार्यक्रम हेतु ऋण (योजना)	18,00.00	...	-18,00.00

अनुदान संख्या - 10 - क्रमान्त

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	23 आर-ए.पी.डी.आर.पी. भाग-बी (योजना)			
	मूल 3,00.00 }	3,00.00	...	-3,00.00
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 09 झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को वार्षिक विकास कार्यक्रम हेतु ऋण (योजना)			
	मूल 39,00.00 }	39,00.00	...	-39,00.00
8.	23 आर-ए.पी.डी.आर.पी. भाग-बी (योजना)			
	मूल 6,50.00 }	6,50.00	...	-6,50.00

उपर्युक्त आठ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 11 - उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2039 राज्य उत्पाद शुल्क			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
7475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज			

राजस्व:

मूल	20,88,71}	20,91,21	15,43,60	-5,47,61
अनुपूरक	2,50}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	10,00,00}	10,00,00	-10,00,00
अनुपूरक	शून्य }			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 11 - क्रमांत

(ii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2039 राज्य उत्पाद शुल्क 001 निदेशन तथा प्रशासन 02 जिला प्रभार (गैर-योजना)	17,30.05	12,47.12	-4,82.93
	मूल 17,27.55 } अनुपूरक 2.50 }			
2.	04 अधीक्षण (गैर-योजना)	2,78.22	2,31.66	-46.56

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 4,82.93 लाख एवं ₹ 46.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूँजी :

(iii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज 102 व्यापारिक संस्थाएं 01 झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को कार्यशील पूँजी हेतु ऋण (गैर-योजना)	10,00.00	...	-10,00.00

₹ 10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 12 - वित्त विभाग
(सभी दत्तमत्त)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण		
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
7610	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि		
7810	अन्तर्राज्यीय परिशोधन		

राजस्व:

मूल	41,95,69}	2,41,81,39	2,32,04,79	-9,76,60
अनुपूरक	1,99,85,70}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	25,40,00}	75,40,00	62,76,46	-12,63,54
अनुपूरक	50,00,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 9,76.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 1,49,26.70 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 5.50 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 50,53.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,99,85.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 08 वित्त विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 6,98.65}	8,45.86	7,33.65	-1,12.21
	अनुपूरक 1,43.20}			
	पुनर्वि० 4.01}			
2.	39 भविष्य निधि - अंशदायी पेंशन योजना (गैर-योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	2,07.26	-42.74
3.	092 अन्य कार्यालय 06 राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण- जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 7,56.04}	7,56.04	6,69.04	-87.00
4.	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन 095 लेखा तथा खजाना निदेशालय 01 भविष्य निधि लेखा का संधारण (गैर-योजना)			
	मूल 2,99.06}	3,03.56	2,65.13	-38.43
	अनुपूरक 4.50}			
5.	097 खजाना स्थापना 01 खजाना एवं अन्य उप खजाना (गैर-योजना)			
	मूल 11,75.52}	11,75.52	8,27.35	-3,48.17

‘सविदा भत्ते’ से संबंधित विपत्रों के भुगतान किये जाने के कारण ₹ 4.01 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹ 1,12.21 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	098 स्थानीय निधि लेखापरीक्षा 01 स्थानीय निधि अंकेक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 5,64.90}	5,64.90	3,98.56	-1,66.34
7.	2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण 103 सरकारी मुद्रणालय 02 झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय (गैर-योजना)			
	मूल 2,08.04}	2,08.04	1,25.06	-82.98
8.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 800 अन्य व्यय 08 विविध तथा आकस्मिक व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 1,01.00}	1,01.00	27.46	-73.54

उपर्युक्त सात मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)

पूंजी :

(iv) ₹ 12,63.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-					
क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	7610	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
	201	भवन निर्माण अग्रिम			
	01	सरकारी सेवकों को भवन निर्माण अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल	20,00.00}	20,00.00	10,41.97	-9,58.03
2.	02	भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल	50.00}	50.00	26.61	-23.39
3.	202	मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम			
	01	सरकारी सेवकों को मोटर कार क्रय करने के लिए अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल	2,00.00}	2,00.00	1,26.00	-74.00
4.	02	सरकारी सेवकों को मोटर साईकिल खरीदने हेतु अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल	1,00.00}	1,00.00	75.88	-24.12

अनुदान संख्या - 12 - क्रमांत

सं०	क्रमशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	अधिक व्यय + व्यय (लाख रुपयों में)	बचत -
5.	04	विधान मंडल के सदस्यों को मोटर-वाहन खरीदने के लिये अग्रिम (गैर-योजना)			
	मूल	1,50.00}	1,50.00	6.00	-1,44.00

उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 9,58.03 लाख, ₹ 23.39 लाख, ₹ 74.00 लाख, ₹ 24.12 लाख एवं ₹ 1,44.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(vii) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7610	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि		
202	मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम		
03	मंत्री इत्यादि को मोटर गाड़ी क्रय करने हेतु अग्रिम (गैर-योजना)		
मूल	40.00}	40.00	...
			-40.00

₹ 40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**विनियोग संख्या - 13 - ब्याज संदाय
(सभी प्रभारित)**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2049	ब्याज अदायगियां			
राजस्व:				
मूल	24,74,63,72}	24,75,01,72	26,14,43,54	+1,39,41,82
अनुपूरक	38,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) विनियोग से ₹ 1,39,41,81,631 अधिक व्यय हुआ, अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (ii) ₹ 1,39,41.82 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, दिसम्बर 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 38.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) अधिक व्यय (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	01 आंतरिक ऋण पर ब्याज				
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज				
	01 राज्य विकास ऋण पर ब्याज (ब्याजदेय) (गैर-योजना)				
	मूल	6,39,73.76}	6,39,73.76	9,48,18.97	+3,08,45.21
2.	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज				
	104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज				
	01 साधारण भविष्य निधि पर ब्याज (गैर-योजना)				
	मूल	1,50,00.00}	1,50,00.00	2,34,07.00	+84,07.00

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	02 ए०आई०एस० भविष्य निधि पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	1,87.76	+37.76
	04 केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज			
	101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज			
4.	03 ब्लॉक कर्ज (गैर-योजना)			
	मूल 44,00.00}	44,00.00	1,44,52.70	+1,00,52.70

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 3,08,45.21 लाख, ₹ 84,07.00 लाख, ₹ 37.76 लाख एवं ₹ 1,00,52.70 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	01 आंतरिक ऋण पर ब्याज			
	123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज			
1.	01 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल 10,84,24.00}	10,84,24.00	9,25,75.64	-1,58,48.36

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनययोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
2.	200 अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 02 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए कर्जों पर ब्याज-आर०आई० डी०एफ०आई०एक्स० (गैर-योजना)	2,00,00.00}	2,00,00.00	1,64,05.34	-35,94.66
3.	08 आवास एवं नगर विकास निगम से लिए गए कर्जों पर ब्याज (गैर-योजना)	50,00.00}	50,00.00	44,36.69	-5,63.31
4.	10 पावर बान्ड-ब्याज भुगतान (गैर-योजना)	76,00.00}	76,00.00	58,43.59	-17,56.41
5.	11 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर०ई०सी०) से लिए गए कर्जों पर ब्याज (गैर-योजना)	88,00.00}	88,00.00	70,72.13	-17,27.87
6.	12 दीनदयाल आवास योजना के लिए हुडको से लिए गए ऋण पर ब्याज (गैर-योजना)	16,00.00}	16,00.00	11,38.90	-4,61.10

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	305 ऋण प्रबंध 01 पुराने ऋणों से सम्बन्धित व्यय (गैर-योजना)	2,00.00}	1,56.91	-43.09
8.	108 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज 02 बीमा निधि पर ब्याज (गैर-योजना)	2,25.00}	0.88	-2,24.12
9.	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज 701 विविध 01 अंतरिम भुगतान (गैर-योजना)	2,00.00}	0.81	-1,99.19
10.	03 अन्य विविध न्याय के आलोक में ब्याज (गैर-योजना)	1,00.00}	60.98	-39.02
11.	06 13वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि पर विलम्ब से भुगतान पर देय ब्याज (गैर-योजना)	3,00.00}	1,30.60	-1,69.40

उपर्युक्त ग्यारह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः

(v) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	01 आंतरिक ऋण पर ब्याज 200 अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 07 राष्ट्रीय बीमा निगम से लिए गए कर्जे पर ब्याज (गैर-योजना)	2,00.00}	2,00.00	... -2,00.00
2.	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज 108 बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज 03 पेंशन निधि पर ब्याज (गैर-योजना)	75.00}	75.00	... -75.00
3.	04 केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज 103 केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज 01 केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज (गैर-योजना)	1,50.00}	1,50.00	... -1,50.00
4.	109 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार समेकित राज्य आयोजन कर्जों पर ब्याज 01 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार देय ब्याज (गैर-योजना)	1,02,33.13}	1,02,33.13	... -1,02,33.13

विनियोग संख्या - 13 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज			
	701 विविध			
5.	04 बिक्री पर वापसी के मामलों में देय ब्याज (गैर-योजना)			
	मूल	50.00}	50.00	...
				-50.00

उपर्युक्त पाँच मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**विनियोग संख्या - 14 - ऋण की वापसी/अदायगी
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
पूंजी :			
मूल	18,09,02,00}	18,15,34,00	19,96,92,26
अनुपूरक	6,32,00}		+1,81,58,26

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) विनियोग से ₹ 1,81,58,25,558 अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (ii) ₹ 1,81,58.26 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, दिसम्बर 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 6,32.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) शीर्ष 6004-केन्द्रीय सरकार के कर्ज तथा अग्रिम, 02-राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे, 105- राज्य योजना संचित ऋण, 01-राज्य योजना संचित ऋण (12वें वित्त आयोग) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,15.04 लाख का अधिक व्यय, जो कि ₹ 1,04,95.52 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे निम्नलिखित मामले में व्यय बिना बजट प्रावधान का किया गया:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम			
00 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (गैर-योजना)			
	...	3,15,58.00	+3,15,58.00

₹ 3,15,58.00 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

विनियोग संख्या - 14 - क्रमशः

(iv) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
	105 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज			
	01 नाबार्ड के अन्तर्गत आर० आई०डी०एफ० से प्राप्त ऋण के मूलधन वापसी (गैर-योजना)			
	मूल 3,50,00.00}	3,50,00.00	3,01,24.74	-48,75.26
2.	106 प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र			
	02 जमीन्दारी उन्मूलन हेतु क्षतिपूरक बंध पत्र (गैर-योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	23.74	-2,76.26
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 48,75.26 लाख एवं ₹ 2,76.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
3.	109 अन्य संस्थाओं से कर्ज			
	01 हुडको से ऋण (गैर-योजना)			
	मूल 1,50,00.00}	1,41,78.00	64,81.65	-76,96.35
	पुनर्वि० -8,22.00}			

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 8,22.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 76,96.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

विनियोग संख्या - 14 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम				
02	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज				
101	ब्लॉक कर्जे				
4.	01 1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्जे (गैर-योजना)				
	मूल	32,00.00}	32,00.00	28,35.38	-3,64.62

₹ 3,64.62 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(v) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -		
6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण				
103	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज				
01	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्जे (गैर-योजना)				
	मूल	5,00.00}	5,00.00	...	-5,00.00

₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 15 - पेंशन
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
राजस्व :				
मूल	30,61,26,00}	31,11,26,00	34,84,30,55	+3,73,04,55
अनुपूरक	50,00,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) अनुदान से ₹ 3,73,04,55,392 अधिक व्यय हुआ; अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है।
- (ii) ₹ 3,73,04.55 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुये, फरवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) अधिक व्यय (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	01 सिविल			
	101 अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते			
1.	05 15.11.2000 के पूर्व पेंशन पानेवालों को भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल	10,51.00}	10,51.00	23,16.98
				+12,65.98

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	06 15.11.2000 के बाद पेंशन पानेवालों को भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 13,76,37.00}	13,76,37.00	18,83,66.16	+5,07,29.16
3.	102 पेंशन का संश्लिष्ट मूल्य 03 15.11.2000 के पूर्व के पेंशन का रूपान्तरित मूल्य (गैर-योजना)			
	मूल 20,00.00}	20,00.00	23,05.79	+3,05.79
4.	104 उपदान 04 15.11.2000 के बाद का उपदान (गैर-योजना)			
	मूल 2,87,00.00}	2,87,00.00	4,45,20.70	+1,58,20.70
5.	105 पारिवारिक पेंशन 04 15.11.2000 के पूर्व का परिवार पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	6,07.43	+1,07.43
6.	05 15.11.2000 के बाद का परिवार पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल 69,94.00}	69,94.00	83,53.26	+13,59.26
7.	115 छुट्टी नकदीकरण हितलाभ 02 15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/ मृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतये अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (गैर-योजना)			
	मूल 31,00.00}	31,00.00	34,25.95	+3,25.95

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	03 15.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त/मृत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को भुगतेय अवयवहत अवकाश के समतुल्य राशि (गैर-योजना)			
	मूल 1,50,00.00}	1,50,00.00	2,61,36.60	+1,11,36.60

उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	01 सिविल 101 अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते 08 पुनरीक्षण के फलस्वरूप 15.11.2000 के बाद का बकाया पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल 1,55,82.00}	1,55,82.00	96,34.89	-59,47.11
2.	09 बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्वों का बंटवारा के तहत बिहार को भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 5,10,00.00}	5,10,00.00	3,00,00.00	-2,10,00.00
3.	104 उपदान 03 15.11.2000 के पूर्व का उपदान (गैर-योजना)			
	मूल 1,62,00.00}	1,62,00.00	31,83.25	-1,30,16.75

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
4.	105 03	पारिवारिक पेंशन 1984 दंगा में पीड़ित परिवारों को पुनर्वास पैकेज के तहत मृत/लापता व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन प्रदान (गैर-योजना)			
	मूल	15,30.00}	15,30.00	1,82.24	-13,47.76
5.	106 03	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार 15.11.2000 के पूर्व के पेंशन पाने वालों को चिकित्सा भत्ता (गैर-योजना)			
	मूल	5,30.00}	5,30.00	60.77	-4,69.23
6.	111 02	विधायकों को पेंशन विधायकों का 15.11.2000 के पूर्व का पेंशन-राज्य विधायक (गैर-योजना)			
	मूल	2,00.00}	2,00.00	1,33.49	-66.51
7.	03	विधायकों का 15.11.2000 के बाद का पेंशन- राज्य विधायक (गैर-योजना)			
	मूल	3,50.00}	3,50.00	2,78.32	-71.68
8.	117 03	अंशदायी पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि भविष्य निधि- अंशदायी पेंशन योजना (गैर-योजना)			
	मूल	1,00,00.00}	1,50,00.00	1,33,44.27	-16,55.73
	अनुपूरक	50,00.00}			

उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 15 - क्रमान्त

(v) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		(लाख रुपयों में)	
01 सिविल			
101 अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते			
02 15.11.2000 के पूर्व के पेंशन पाने वालों को चिकित्सा भत्ता (गैर-योजना)			
मूल 1,51.00}	1,51.00	...	-1,51.00

₹ 1,51.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 16 - राष्ट्रीय बचत
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	2,62,79}	2,68,09	2,25,33	-42,76
अनुपूरक	5,30}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				43,07
(21 फरवरी 2014	: 25,01			
31 मार्च 2014	: 18,06)			

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 42.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 5.30 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 43.07 लाख), अंतिम बचत (₹ 42.76 लाख) से ₹ 0.31 लाख अधिक था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि			
1.	01 मुख्यालय प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल	34.61}	26.37	26.53
	अनुपूरक	2.45}		+0.16
	पुनर्वि०	-10.69}		

अनुदान संख्या - 16 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	02 जिला प्रभार (अल्प बचत का प्रचार सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 2,28.18}	1,98.65	1,98.80	+0.15
	अनुपूरक 2.85}			
	पुनर्वि० -32.38}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 10.69 लाख एवं ₹ 32.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 17 - वित्त (वाणिज्य कर) विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	57,08,94}	61,09,44	52,91,84	-8,17,60
अनुपूरक	4,00,50}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				7,81,68

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 8,17.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 0.40 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 3,68.10 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 32.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,00.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,81.68 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,17.60 लाख)से ₹ 35.92 लाख कम था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर 001 निदेशन और प्रशासन 01 वाणिज्य कर अधिकरण (गैर-योजना)			
	मूल 71.04}	49.42	49.00	-0.42
	पुनर्वि० -21.62}			
2.	04 अधीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 2,25.70}	1,78.96	1,78.21	-0.75
	अनुपूरक 14.20}			
	पुनर्वि० -60.94}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 21.62 लाख और ₹ 60.94 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 17 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	101 संग्रहण प्रभार			
	02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 40,29.18}			
	अनुपूरक 0.40}	36,13.32	35,84.45	-28.87
	पुनर्वि० -4,16.26}			

₹ 4,16.26 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,99.98 लाख की बचत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुई थी। ₹ 1,16.28 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 28.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

4.	03 भू-अर्जन, निर्माण तथा संरचनात्मक विकास (योजना)			
	अनुपूरक 3,43.90}	1,12.35	1,12.35	...
	पुनर्वि० -2,31.55}			

₹ 2,31.55 लाख की प्रत्याशित बचत चिरकुण्डा और चौपारण में समेकित चेक पोस्ट का निर्माण नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

5	2052 सचिवालय- सामान्य सेवाएं			
	090 सचिवालय			
	07 वाणिज्य कर विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,02.38}			
	अनुपूरक 42.00}	2,15.07	2,15.07	...
	पुनर्वि० -29.31}			

₹ 29.31 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

**अनुदान संख्या - 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3456	सिविल पूर्ति			
राजस्व :				
मूल	9,94,33,04}	11,44,20,24	5,73,65,26	-5,70,54,98
अनुपूरक	1,49,87,20}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,74,28,89
(6 दिसम्बर 2013 : 1,54,32,64				
18 मार्च 2014 : 1,19,96,25)				

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 5,70,54.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, दिसम्बर 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 1,49,87.20 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,74,28.89 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,70,54.98 लाख) से ₹ 2,96,26.09 लाख कम था।
- (iii) शीर्ष 3456-सिविल पूर्ति, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 02-अन्त्योदय अन्न योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 4,30.18 लाख की बचत, जो कि ₹ 71,50.60 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3456 सिविल पूर्ति			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल	27,01.08}	26,96.28	21,26.62
	पुनर्वि०	-4.80}		-5,69.66

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	102 सिविल पूर्ति योजना 02 अन्त्योदय अन्न योजना (योजना)			
	मूल 42,38.20}	33,88.50	33,28.85	-59.65
	पुनर्वि० -8,49.70}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 5,74.46 लाख एवं ₹ 9,09.35 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

3.	07 बी०पी०एल० परिवारों के बीच सस्ते दर पर आयोडिन युक्त नमक का वितरण (योजना)			
	मूल 8,91.80}	8,91.80	1,68.61	-7,23.19
4.	10 गोदाम निर्माण (योजना)			
	मूल 4,28.07}	4,28.07	2,51.65	-1,76.42

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 7,23.19 लाख एवं ₹ 1,76.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

5.	13 मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (योजना)			
	मूल 1,26,23.21}	1,07,77.86	1,04,20.36	-3,57.50
	पुनर्वि० -18,45.35}			

₹ 22,02.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	16 ए०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 16,59.95}	4,53.96	16.37	-4,37.59
	पुनर्वि० -12,05.99}			
<p>₹ 12,05.99 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,71.60 लाख की बचत लाभुकों द्वारा खाद्यान्न का उठाव नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 10,34.39 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 4,37.59 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
7.	17 किरासन तेल वितरण हेतु कमीशन (योजना)			
	मूल 73.09}	50.09	25.96	-24.13
	पुनर्वि० -23.00}			
<p>₹ 47.13 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
8.	20 मुद्रण (योजना)			
	मूल 54.00}	54.00	7.52	-46.48
<p>₹ 46.48 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
9.	23 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)			
	मूल 7,83.46}	5,31.95	3,71.27	-1,60.68
	पुनर्वि० -2,51.51}			
<p>₹ 4,12.19 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	27 कम्प्यूटराईजेशन योजना (योजना)			
	मूल 34,86.00}	15,80.03	24.30	-15,55.73
	पुनर्वि० -19,05.97}			
<p>₹ 19,05.97 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,51.49 लाख की बचत सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए उपयुक्त निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 16,54.48 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 15,55.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
11.	31 अतिरिक्त ग्रामीण बी०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 77,00.74}	55,55.20	30,25.82	-25,29.38
	पुनर्वि० -21,45.54}			
<p>₹ 21,45.54 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,45.54 लाख की बचत भारत सरकार से खाद्यान्न का वितरण में विलम्ब होने के कारण हुई थी। ₹ 20,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 25,29.38 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
12.	35 कौशल विकास योजना (नई योजना) (योजना)			
	मूल 34.00}	34.00	0.26	-33.74
<p>₹ 33.74 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
13.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 अन्त्योदय अन्न योजना (योजना)			
	मूल 18,16.37}	15,74.76	14,47.50	-1,27.26
	पुनर्वि० -2,41.61}			
<p>₹ 3,68.87 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	07 बी०पी०एल० परिवारों के बीच सस्ते दर पर आयोडिन युक्त नमक का वितरण (योजना)			
	मूल 3,82.20}	3,82.20	65.12	-3,17.08
15.	10 गोदाम निर्माण (योजना)			
	मूल 1,03.83}	1,03.83	50.50	-53.33
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,17.08 लाख एवं ₹ 53.33 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
16.	13 मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (योजना)			
	मूल 54,09.95}	46,89.56	44,51.75	-2,37.81
	पुनर्वि० -7,20.39}			
₹ 9,58.20 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
17.	16 ए०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 92.22}			
	अनुपूरक 29.45}	39.96	1.59	-38.37
	पुनर्वि० -81.71}			
₹ 81.71 लाख की प्रत्याशित बचत लाभुकों द्वारा खाद्यान्न का उठाव नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 38.37 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
18.	23 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)			
	मूल 1,74.20}	1,96.74	88.24	-1,08.50
	अनुपूरक 22.54}			

₹ 1,08.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	27 कम्प्यूटराईजेशन योजना (योजना)			
	मूल 3,96.00}	3,40.97	8.63	-3,32.34
	पुनर्वि० -55.03}			
<p>₹ 55.03 लाख की प्रत्याशित बचत सिस्टम इन्टीग्रेटर के लिए उपयुक्त निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 3,32.34 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
20.	31 अतिरिक्त ग्रामीण बी०पी०एल०योजना (योजना)			
	मूल 33,00.31}	17,45.08	5,05.65	-12,39.43
	पुनर्वि० -15,55.23}			
<p>₹ 15,55.23 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,55.23 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति में विलंब किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 13,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 12,39.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
21.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 07 बी०पी०एल० परिवारों के बीच सस्ते दर पर आयोडीन युक्त नमक का वितरण (योजना)			
	मूल 12,73.99}	12,73.99	1,88.24	-10,85.75
22.	10 गोदाम निर्माण (योजना)			
	मूल 2,68.08}	2,68.08	1,32.80	-1,35.28
23.	13 मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (योजना)			
	मूल 1,80,33.15}	2,06,06.31	1,65,04.27	-41,02.04
	अनुपूरक 25,73.16}			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 10,85.75 लाख, ₹ 1,35.28 लाख एवं ₹ 41,02.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
24.	16 ए०पी०एल० योजना (योजना)			
	मूल 92.22}			
	अनुपूरक 3,64.43}	1,75.65	77.30	-98.35
	पुनर्वि० -2,81.00}			
<p>₹ 2,81.00 लाख की प्रत्याशित बचत लाभकों द्वारा खाद्यान्न का उठाव नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 98.35 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
25.	17 किरोसीन तेल वितरण हेतु कमीशन (योजना)			
	मूल 46.02}	66.82	16.47	-50.35
	अनुपूरक 20.80}			
26.	23 मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (योजना)			
	मूल 4,93.29}	8,05.50	4,40.82	-3,64.68
	अनुपूरक 3,12.21}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 50.35 लाख एवं ₹ 3,64.68 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
27.	27 कम्प्यूटराईजेशन योजना (योजना)			
	मूल 5,59.00}			
	अनुपूरक 16,54.48}	7,17.78	2,39.77	-4,78.01
	पुनर्वि० -14,95.70}			

₹ 14,95.70 लाख की प्रत्याशित बचत सिस्टम इंटीग्रेटर, जो एक कालबद्ध परियोजना है, के लिए उपयुक्त निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 4,78.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
28.	31 अतिरिक्त ग्रामीण बी०पी०एल०योजना (योजना)			
	मूल 1,10,00.97}	52,42.02	25,50.07	-26,91.95
	पुनर्वि० -57,58.95}			

₹ 57,58.95 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,58.95 लाख की बचत भारत सरकार से खाद्यान्न का वितरण में विलंब होने के कारण हुई थी। ₹ 55,00.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 26,91.95 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

29.	35 कौशल विकास योजना (नई योजना) (योजना)			
	मूल 54.00}	54.00	8.99	-45.01

₹ 45.01 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3456 सिविल पूर्ति 102 सिविल पूर्ति योजना 28 धान अधिप्राप्ति हेतु रिवॉल्विंग फण्ड (योजना)			
	मूल 59,08.14}	59,08.14	...	-59,08.14

₹ 59,08.14 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	29 बी०पी०एल० परिवारों को धोती-साड़ी वितरण (योजना)			
	मूल 35.00}			
	अनुपूरक 30,65.00}
	पुनर्वि० -31,00.00}			

आचार संहिता लागू रहने के फलस्वरूप योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹ 31,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

3.	32 अतिरिक्त ग्रामीण अन्त्योदय योजना (योजना)			
	मूल 11,28.35}	11,28.35	...	-11,28.35
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	28 धान अधिप्राप्ति हेतु रिवाँल्विंग फण्ड (योजना)			
	मूल 13,12.92}	13,12.92	...	-13,12.92

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 11,28.35 लाख एवं ₹ 13,12.92 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

5.	29 बी०पी०एल० परिवारों को धोती-साड़ी वितरण योजना (योजना)			
	मूल 15.00}			
	अनुपूरक 13,85.00}
	पुनर्वि० -14,00.00}			

आचार संहिता लागू रहने के फलस्वरूप योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹ 14,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	32 अतिरिक्त ग्रामीण अन्त्योदय योजना (योजना)			
	मूल 4,83.58}	4,83.58	...	-4,83.58
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 28 धान अधिप्राप्ति हेतु रिवाँल्विंग फण्ड (योजना)			
	मूल 37,19.94}	37,19.94	...	-37,19.94
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 4,83.58 लाख एवं ₹ 37,19.94 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
8.	29 बी०पी०एल० परिवारों को धोती-साड़ी वितरण योजना (योजना)			
	मूल 50.00}			
	अनुपूरक 44,50.00}
	पुनर्वि० -45,00.00}			
<p>आचार संहिता लागू रहने के फलस्वरूप योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹ 45,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
9.	32 अतिरिक्त ग्रामीण अन्त्योदय योजना (योजना)			
	मूल 16,11.93}	16,11.93	...	-16,11.93

अनुदान संख्या - 18 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	37 झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम मुख्यालय का भवन निर्माण (नई योजना) (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	...	-2,00.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 16,11.93 लाख एवं ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(v) अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3456 सिविल पूर्ति			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
03 अन्नपूर्णा योजना (योजना)			
मूल 2,14.00}	2,10.44	36,43.78	+34,33.34
पुनर्वि० -3.56}			

₹ 3.56 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 34,33.34 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 19 - वन एवं पर्यावरण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4406 वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	3,07,75,97}	3,31,55,40	2,71,05,74	-60,49,66
अनुपूरक	23,79,43}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,96,13
(16 मई 2013	:	1,10,89		
22 जुलाई 2013	:	2,49,37		
7 फरवरी 2014	:	1,35,87)		

पूंजी :

मूल	60,00}	60,00	-60,00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
------------------------------	--	--	--	-------

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 60,49.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 4,57.15 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 11,37.82 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 7,84.46 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 23,79.43 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,96.13 लाख), अंतिम बचत (₹ 60,49.66 लाख) से ₹ 55,53.53 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01-वानिकी, 101- वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, 01-वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा (गैर-योजना) एवं 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा जीव, 110-वन्य जीव परिरक्षण, 01-अभ्यारण्य (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 8,07.93 लाख एवं ₹ 80.47 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 95,98.21 लाख एवं ₹ 9,98.10 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 वानिकी 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 36,05.04 } अनुपूरक 15.47 }	36,20.51	31,10.76	-5,09.75
2.	005 वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग 12 मूल्यांकन-सह-योजना कोषांग (गैर-योजना)			
	मूल 3,69.26 } अनुपूरक 0.90 }	3,70.16	2,69.14	-1,01.02
3.	101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 02 वर्किंग प्लान प्रमण्डल (गैर-योजना)			
	मूल 5,03.85 } अनुपूरक 1.80 }	5,05.65	3,50.30	-1,55.35
4.	03 वन कूपों की स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 7,11.94 } अनुपूरक 16.73 }	7,28.67	4,78.00	-2,50.67

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	06 भू संरक्षण एवं वन रोपण योजना (योजना)			
	मूल 3,27.52}	9,16.41	2,44.33	-6,72.08
	अनुपूरक 5,88.89}			
6.	102 समाज तथा फार्म वानिकी 09 लघु वन पदार्थों का उन्नयन (योजना)			
	मूल 1,21.32}	1,21.32	80.38	-40.94
उपर्युक्त छः मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
7.	105 वन उत्पाद 38 13वें वित्त आयोग से अनुदान (योजना)			
	मूल 19,31.80}	23,18.14	16,78.31	-6,39.83
	अनुपूरक 4,97.23}			
	पुनर्वि० -1,10.89}			
₹ 7,50.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
8.	110 भूतपूर्व जमींदारी वन संपदाओं के प्रबंध पर व्यय 37 इन्टेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,80.00}	5,11.22	3,63.52	-1,47.70
	अनुपूरक 31.22}			

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 06 भू संरक्षण एवं वनरोपण (योजना)			
	मूल 5,57.98 } अनुपूरक 86.99 }	6,44.97	5,22.80	-1,22.17
10.	09 लघु वन पदार्थों का उन्नयन (योजना)			
	मूल 3,63.75 }	3,63.75	2,55.36	-1,08.39
11.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 06 भू संरक्षण एवं वन रोपण (योजना)			
	मूल 6,80.01 }	6,80.01	5,61.10	-1,18.91
उपर्युक्त चार मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
12.	38 13वें वित्त आयोग से अनुदान (योजना)			
	मूल 18,54.20 } अनुपूरक 5,30.12 } पुनर्वि० -3,85.24 }	19,99.08	13,60.41	-6,38.67

₹ 3,85.24 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,49.37 लाख की बचत गलत आवंटन/निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,35.87 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं ₹ 6,38.67 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 वन्य जीव परिरक्षण 02 विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय (वन प्रबंधन योजना) (योजना)	85.00	6.11	-78.89
	मूल 85.00}	85.00	6.11	-78.89
14.	03 हाथी परियोजना (के०यो०यो०)	2,00.00	91.10	-1,08.90
	मूल 2,00.00}	2,00.00	91.10	-1,08.90
15.	08 पलामू व्याघ्र परियोजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय (के०यो०यो०)	2,13.92	1,00.78	-1,13.14
	मूल 1,25.00} अनुपूरक 88.92}	2,13.92	1,00.78	-1,13.14
16.	22 वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास (के०यो०यो०)	1,06.32	44.01	-62.31
	मूल 1,00.00} अनुपूरक 6.32}	1,06.32	44.01	-62.31
17.	22 वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास (के०प्रा०यो०)	28.06	1.58	-26.48
	मूल 24.00} अनुपूरक 4.06}	28.06	1.58	-26.48

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
18.	25 अभ्यारण्य-हाथी भगाने के लिए (गैर-योजना)			
	मूल 35.00}	35.00	8.37	-26.63
19.	26 अभ्यारण्य-टार्च के लिए (गैर-योजना)			
	मूल 28.00}	28.00	0.65	-27.35

उपर्युक्त सात मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
101 राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम			
01 जाईका-ओ०डी०ए० संपोषित प्रोजेक्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ लाइवलीहुड एण्ड फॉरेस्ट्री फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (पलास) (योजना)			
मूल 5,00.00}	5,00.00	...	-5,00.00

₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 19 - क्रमांत

पूँजी :

(v) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4406 वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूँजीगत परिव्यय			
04 वन रोपण तथा परिस्थितिकी विकास			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
05 झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण को अनुदान (योजना)			
मूल 60.00}	60.00	...	-60.00

₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 20 - स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211 परिवार कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	11,33,19,72}	11,37,75,51	9,66,62,82	-1,71,12,69
अनुपूरक	4,55,79}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,53,43
(20 जुलाई 2013 : 1,81,80				
11 फरवरी 2014 : 8,71,63)				

पूंजी :

मूल	2,91,80,28}	3,18,55,28	1,66,17,96	-1,52,37,32
अनुपूरक	26,75,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				24,97,40
(20 जुलाई 2013 : 9,22,40				
20 दिसम्बर 2013 : 15,75,00)				

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 1,71,12.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2013 (₹ 4.20 लाख) दिसम्बर 2013 (₹ 65.19 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 3,86.40 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,55.79 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,53.43 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,71,12.69 लाख) से ₹ 1,60,59.26 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, 110-अस्पताल और औषधालय, 13-सदर अस्पताल (गैर-योजना), 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, 101-स्वास्थ्य उप केन्द्र, 02-स्वास्थ्य उप केन्द्र (गैर-योजना), 103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 01-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना), 110-अस्पताल और औषधालय, 04-रेफरल अस्पताल (गैर-योजना) एवं 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 06-राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान-सहायक अनुदान (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,99.12 लाख, ₹ 4,12.38 लाख, ₹ 6,85.28 लाख, ₹ 2,89.68 लाख एवं ₹ 7,00.00 लाख की बचत, जो क्रमशः 47,61.63 लाख, ₹ 43,91.61 लाख, ₹ 1,30,01.59 लाख, ₹ 30,45.60 लाख एवं ₹ 1,17,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
	001 निदेशन और प्रशासन			
	02 जिला चिकित्सा पदाधिकारी (गैर-योजना)			
	मूल 11,76.40}	12,32.65	10,62.83	-1,69.82
	अनुपूरक 56.25}			
2.	05 गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को चिकित्सा सहायता (हृदय, किडनी एवं कैंसर रोग) (योजना)			
	मूल 40,00.00}	40,00.00	33,92.08	-6,07.92
3.	09 स्वास्थ्य आकस्मिक प्रबंधन कोष- मोबाईल हेल्थ क्लिनिक/ट्रामा सेन्टर (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	1,50.00	-50.00

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	16 अंधेपन की रोकथाम (योजना)			
	मूल 94.51}	94.51	11.72	-82.79
5.	28 अंधेपन की रोकथाम (योजना)			
	मूल 80.29}	80.29	27.04	-53.25
6.	110 अस्पताल तथा औषधालय 05 पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद (योजना)			
	मूल 5,26.44}	5,26.44	1,83.87	-3,42.57
7.	12 एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (गैर-योजना)			
	मूल 17,87.05}	18,43.05	14,71.18	-3,71.87
	अनुपूरक 56.00}			
उपर्युक्त सात मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
8.	14 अवर प्रमंडलीय अस्पताल (गैर-योजना)			
	मूल 18,03.15}	15,53.15	13,16.62	-2,36.53
	पुनर्वि० -2,50.00}			

₹ 4,86.53 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	24 झारखण्ड राज्य अन्तर्गत सभी स्तर के अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, कर्मचारी एवं सफाई, सुरक्षा डायगनोस्टिक सेन्टर इत्यादि के लिए आउटसोर्सिंग (योजना)			
	मूल 17,75.00}	17,75.00	8,17.00	-9,58.00
10.	36 रिम्स में जेनेटिक विंग्स की स्थापना एवं विकास (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	1,05.26	-94.74
11.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 12 एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (योजना)			
	मूल 4,63.79}	4,63.79	3,16.85	-1,46.94

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 9,58.00 लाख, ₹ 94.74 लाख एवं ₹ 1,46.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

12.	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 70,67.66}			
	अनुपूरक 0.91}	66,68.57	58,28.78	-8,39.79
	पुनर्वि० -4,00.00}			

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 4,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 8,39.79 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

13.	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101 आयुर्वेद 03 ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (आयुर्वेदिक अस्पताल) (गैर-योजना)			
	मूल 8,10.13}	8,10.13	6,13.09	-1,97.04

₹ 1,97.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	102 होमियोपैथी 01 होम्योपैथी औषधालय (गैर-योजना)			
	मूल 3,06.18}	2,77.88	2,25.89	-51.99
	अनपूरक 0.43}			
	पुनर्वि० -28.73}			

₹ 80.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

15.	05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105 एलोपैथी 02 पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद (गैर-योजना)			
	मूल 12,47.67}	12,47.67	11,14.01	-1,33.66
16.	04 प्रशिक्षण-नर्स (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	35.04	-64.96

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,33.66 लाख एवं ₹ 64.96 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

17.	12 एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज हास्पिटल, जमशेदपुर (गैर-योजना)			
	मूल 15,30.44}	12,59.44	11,82.49	-76.95
	पुनर्वि० -2,71.00}			

₹ 3,47.95 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
18.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 12 एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (योजना)			
	मूल 2,71.00}	2,71.00	1,00.62	-1,70.38
19.	06 लोक स्वास्थ्य 001 निदेशन एवं प्रशासन 02 जन स्वास्थ्य संस्थान (गैर-योजना)			
	मूल 2,28.61} अनुपूरक 0.51}	2,29.12	1,91.36	-37.76
20.	101 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 02 राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (गैर-योजना)			
	मूल 4,93.49}	4,93.49	4,13.93	-79.56
21.	06 अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (गैर योजना)			
	मूल 2,99.87} अनुपूरक 0.35}	3,00.22	2,53.44	-46.78
उपर्युक्त चार मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
22.	10 संचारी रोग (मलेरिया) कार्यालय (योजना)			
	मूल 11,53.76} पुनर्वि० -1,54.00}	9,99.76	7,76.83	-2,22.93

₹ 3,76.93 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
23.	11 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-डी०डी०टी० छिड़काव (मजदूरी) (योजना)			
	मूल 1,59.11}	1,59.11	1,24.31	-34.80
24.	13 गैर-संचारी रोग (कुष्ठ रोग) (योजना)			
	मूल 2,01.19}	2,01.19	1,58.28	-42.91
25.	104 औषध नियंत्रण 01 औषध नियंत्रण स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 1,65.36}	1,65.36	1,31.99	-33.37
26.	03 राज्य औषधि/खाद्य जांच प्रयोगशाला स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 60.02}	60.02	19.18	-40.84
27.	2211 परिवार कल्याण 001 निदेशन और प्रशासन 02 तकनीकी परामर्श एवं राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (के०यो०यो०)			
	मूल 4,34.18}	4,34.18	3,20.23	-1,13.95
28.	003 प्रशिक्षण 04 ए०एन०एम० स्कूल / एल०एच०भी० स्कूल (के०यो०यो०)			
	मूल 2,95.42}	2,95.42	2,39.26	-56.16

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
29.	05 परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग (के०यो०यो०)			
	मूल 79.57}	79.57	47.62	-31.95
30.	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 01 स्वास्थ्य उप केन्द्र (के०यो०यो०)			
	मूल 94,17.65}	94,17.65	53,13.23	-41,04.42

उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 001 निदेशन और प्रशासन 18 नए एवं चालू केन्द्रीय योजनाओं के लिए राज्यांश (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	...	-5,00.00
2.	21 टेलिमेडिसिन (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	109 स्कूल स्वास्थ्य योजना 17 फार्मैसी-भवनों का जीर्णोद्धार (विशेष मरम्मत, मेडिसिनल गार्डन एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु) (योजना)			
	मूल 1,05.56}	1,05.56	...	-1,05.56
4.	110 अस्पताल तथा औषधालय 25 एमरजेन्सी मेडिकल रेशपोन्स सर्विसेज (108) (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	...	-3,00.00
5.	28 रिभाईज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कन्ट्रोल प्रोग्राम (योजना)			
	मूल 75.00}	75.00	...	-75.00
6.	30 भाईबिलिटी गैप फन्डिंग फॉर सेटिंग अप ऑफ मेडिको सिटी एण्ड न्यू मेडिकल कालेजेज अण्डर प्राईवेट/पब्लिक सेक्टर (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	...	-3,00.00

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां 200 अन्य पद्धतियां 21 जिला संयुक्त औषधालय (के०यो०यो०)	4,20.00	...	-4,20.00
8.	22 पंचकर्म की स्थापना (के०यो०यो०)	2,64.00	...	-2,64.00
9.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 18 आयुष प्रक्षेत्र अन्तर्गत ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्री (के०यो०यो०)	1,08.06	...	-1,08.06
10.	19 राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी कॉलेज, चाईबासा (के०यो०यो०)	1,50.00	...	-1,50.00
11.	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 19 एम.एस.डी.पी.योजनाएं (योजना)	1,00.00	...	-1,00.00
12.	800 अन्य व्यय 16 सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को पी.जी. कोर्स संचालन हेतु राज्यांश (योजना)	1,00.00	...	-1,00.00

उपर्युक्त बारह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	18 ए०एन०एम०/जी०एन०एम० स्कूल हेतु 15 प्रतिशत का राज्यांश (योजना)			
	मूल 6,70.00}	6,42.20	...	-6,42.20
	पुनर्वि० -27.80}			
₹ 6,70.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
14.	05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 13 सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को पी.जी. कोर्स के संचालन हेतु राज्यांश (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
15.	14 ए०एन०एम०/जी०एन०एम० स्कूल हेतु 15 प्रतिशत का राज्यांश (योजना)			
	मूल 3,30.00}	3,30.00	...	-3,30.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,00.00 लाख एवं ₹ 3,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूंजी :

(v) ₹ 1,52,37.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 11,00.00 लाख) एवं दिसम्बर 2013 (₹ 15,75.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 26,75.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 24,97.40 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,52,37.32 लाख) से ₹ 1,27,39.92 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

(vii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 अस्पताल और औषधालय 02 सिविल सर्जन कार्यालय (योजना)	1,40.00}	1,40.00	40.37	-99.63
2.	03 सदर में आवासीय क्वार्टर, सब-डिवीजन अस्पताल और रेफरल अस्पताल (योजना)	मूल 7,50.00} अनुपूरक 6,00.00}	13,50.00	10,61.89	2,88.11
3.	04 स्वास्थ्य निदेशालय (ड्रग्स एवं फूड सहित) भवन (योजना)	मूल 1,50.00} अनुपूरक 2,00.00}	3,50.00	1,26.22	-2,23.78
4.	09 दुमका में क्षेत्रीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला (योजना)	मूल 50.00} अनुपूरक 75.00}	1,25.00	97.13	-27.87
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 99.63 लाख, ₹ 2,88.11 लाख, ₹ 2,23.78 लाख एवं ₹ 27.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।					
5.	12 हेल्थ इन्फार्मेशन हेल्पलाईन (योजना)	मूल 3,00.00} पुनर्वि० -1,80.00}	1,20.00	1,20.00	...

₹ 1,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
6.	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 102 सहायक स्वास्थ्य केन्द्र 12 राँची में स्टेट योगा सेन्टर का निर्माण (आयुष प्रक्षेत्र) (योजना)	2,50.00}	2,50.00	1,11.21	-1,38.79
7.	103 प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं 07 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना-मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण/जीर्णोद्धार (योजना)	4,50.00}	4,50.00	2,23.59	-2,26.41
8.	08 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (प्रसव गृह/मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)	26,00.00}	26,00.00	12,87.14	-13,12.86
9.	09 भवन निर्माण-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)	मूल 46,90.00} अनुपूरक 5,00.00}	51,90.00	38,88.07	-13,01.93
10.	10 स्वास्थ्य उप केन्द्र की स्थापना (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)	21,00.00}	21,00.00	9,36.29	-11,63.71

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	110 17 अस्पताल तथा औषधालय भवनें-पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद (मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित) (योजना)	13,48.56}	13,48.56	8,01.46 -5,47.10
12.	24 भवनें-सदर अस्पताल एवं अनुमण्डलीय अस्पताल का उत्क्रमण (मशीन, उपकरण, उपस्कर सहित) (योजना)	मूल 12,20.00} अनुपूरक 3,00.00}	15,20.00	11,80.96 -3,39.04
13.	33 भवन निर्माण-क्षेत्रीय अस्पताल डाल्टेनगंज एवं हजारीबाग का 100-300 शय्या में उत्क्रमण (डायग्नोस्टिक सेन्टर सहित) (योजना)	मूल 2,00.00}	2,00.00	71.68 -1,28.32
14.	34 भवनें-(मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (योजना)	मूल 2,20.00}	2,20.00	1,49.79 -70.21
15.	796 01 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना भवनें-(मशीन उपकरण सहित) एम०जी०एम० कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर (योजना)	मूल 12,65.21}	12,65.21	3,95.09 -8,70.12

उपर्युक्त दस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
16.	29 सदर अस्पताल, राँची का 500 शय्या वाले सदर अस्पताल के रूप में उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 36,00.00}	20,25.00	6,98.43	-13,26.57
	पुनर्वि० -15,75.00}			
₹ 29,01.57 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
17.	33 भवनें-सदर अस्पताल(मशीन, उपकरण एवं उपस्कर सहित) एवं अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	50.00	-50.00
18.	36 सदर अस्पताल (मशीन-उपकरण एवं उपस्कर सहित) एवं अनुमंडलीय अस्पताल का उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	63.26	-4,36.74
19.	39 भवनें-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना (प्रसव गृह/मशीन उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	7,14.05	-2,85.95
20.	40 भवनें-स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना (मशीन एवं उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 7,00.00}	7,00.00	3,73.87	-3,26.13

उपर्युक्त चार मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
21.	48 दुमका/खरसावां में 500 शय्यावाले अस्पताल का निर्माण (योजना)			
	मूल 40,00.00}	32,57.60	9,30.49	-23,27.11
	पुनर्वि० -7,42.40}			

₹ 30,69.51 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	200 अन्य पद्धतियां			
22.	02 राजकीय यूनानी कॉलेज अस्पताल, गिरिडीह तथा राजकीय होमियोपैथीक कॉलेज अस्पताल, गोड्डा का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 2,07.11}	2,07.11	1,12.27	-94.84

₹ 94.84 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
	101 स्वास्थ्य उप-केन्द्र			
	62 राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, चाईबासा/राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी कॉलेज, साहेबगंज/गुमला (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	...	-2,00.00

अनुदान संख्या - 20 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	110 अस्पताल तथा औषधालय 10 राँची में झारखण्ड कैन्सर अस्पताल एवं शोध केन्द्र (योजना)			
	मूल 1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00
3.	13 आयुष निदेशालय/जिला संयुक्त औषधालय/औषधालय (योजना)			
	मूल 2,87.40 }	2,87.40	...	-2,87.40
4.	26 भवनें- रेफरल अस्पताल-भवन निर्माण (मशीन-उपकरण सहित) (योजना)			
	मूल 1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00
5.	36 ब्लड बैंक (योजना)			
	मूल 50.00 }	50.00	...	-50.00
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 61 चाईबासा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए राज्यांश (योजना)			
	मूल 2,00.00 }	2,00.00	...	-2,00.00
7.	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105 एलोपैथी 04 ए०एन०एम० स्कूल का निर्माण- भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 1,60.00 }	1,60.00	...	-1,60.00

उपर्युक्त सात मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 21 - उच्च शिक्षा विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2202	सामान्य शिक्षा			
राजस्व :				
मूल	6,62,97,85}	6,62,97,85	4,91,77,87	-1,71,19,98
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (फरवरी 2014)				8,50,00

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,50.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,71,19.98 लाख) से ₹ 1,62,69.98 लाख कम था।
- (ii) शीर्ष 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालयों को सहायता, 04-राँची विश्वविद्यालय, राँची-सहायक अनुदान (गैर-योजना) एवं 06-संत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को सहायता अनुदान (योजना) के अन्तर्गत ₹ 7,77.23 लाख एवं ₹ 59.40 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 2,20,00.00 लाख एवं ₹ 6,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 विश्वविद्यालयों को सहायता 01 सन्त विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग-सहायक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल	1,35,00.00}	1,35,00.00	1,16,00.39
				-18,99.61

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	02 सिद्धु-कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका-सहायक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 80,00.00}	80,00.00	65,58.65	-14,41.35
3.	10 नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू-सहायक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 24,56.03}	24,56.03	18,62.69	-5,93.34
4.	10 नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	1,02.81	-97.19
5.	15 कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा (गैर-योजना)			
	मूल 69,32.34}	69,32.34	57,12.65	-12,19.69
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 08 कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	3,52.22	-47.78
7.	09 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 90.00}	90.00	50.76	-39.24

उपर्युक्त सात मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	25 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 60.00}	25.00	22.85	-2.15
	पुनर्वि० -35.00}			

₹ 35.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
1.	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
	03 सन्त विनाबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 7,00.00}	7,00.00	...	-7,00.00

₹ 7,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

2.	05 उच्च शिक्षा में पिछड़े जिलों में महाविद्यालयों का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु सन्त विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			

योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	22 आई०एस०एम०, धनबाद के लिए भू-अर्जन (योजना)			
	मूल 10,00.00 }	10,00.00	...	-10,00.00
4.	26 बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग हेतु सम्मुन्नत विज्ञान एवं तकनीकी शोध केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,25.00 }	1,25.00	...	-1,25.00
5.	27 नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू हेतु सम्मुन्नत विज्ञान एवं तकनीकी शोध केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 50.00 }	50.00	...	-50.00
6.	28 मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु संत विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 4,00.00 }	4,00.00	...	-4,00.00
7.	29 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकालयों का आधुनीकीकरण हेतु विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00 }	3,00.00	...	-3,00.00

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	30 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण हेतु नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
9.	51 मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	...	-4,00.00
10.	52 प्रयोगशालाओं का स्तरोन्नयन हेतु नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
उपर्युक्त आठ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2014)।				
11.	61 उच्च शिक्षा में पिछड़े जिलों में महाविद्यालयों का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			

योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	796 02 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सिद्धो-कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00 }	3,00.00	...	-3,00.00
13.	04 राँची विश्वविद्यालय, राँची- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 6,00.00 }	6,00.00	...	-6,00.00
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,00.00 लाख एवं ₹ 6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
14.	27 उच्च शिक्षा में पिछड़े जिलों में महाविद्यालयों का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00 }
	पुनवि० -1,00.00 }			
<p>योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
15.	34 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची एवं आई०आई०एम०, राँची के लिए भूमि अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 20,00.00 }	20,00.00	...	-20,00.00
16.	36 सिद्धो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका का परिसर विकास (योजना)			
	मूल 8,00.00 }	8,00.00	...	-8,00.00

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
17.	37 कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा का परिसर विकास (योजना)			
	मूल 7,00.00}	7,00.00	...	-7,00.00
18.	40 राँची विश्वविद्यालय, राँची हेतु सम्मुन्नत विज्ञान एवं तकनीकी शोध केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
19.	41 सिद्धु-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका हेतु सम्मुन्नत विज्ञान एवं तकनीकी शोध केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
20.	42 सम्मुन्नत विज्ञान एवं तकनीकी शोध केन्द्र की स्थापना हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
उपर्युक्त छः मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों के सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
21.	43 राज्य के प्रत्येक जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}
	पुनर्वि० -2,00.00}			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
22.	44 राज्य के प्रत्येक जिलो में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु सिद्ध-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00 }
	पुनर्वि० -2,00.00 }			
उपर्युक्त दोनों मामलों में योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण प्रत्येक के ₹ 2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
23.	45 मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु सिद्ध-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 4,00.00 }	4,00.00	...	-4,00.00
24.	46 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के केन्द्रीय पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00 }	2,00.00	...	-2,00.00
25.	47 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के केन्द्रीय पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण हेतु सिद्ध-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00 }	2,00.00	...	-2,00.00
26.	48 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के केन्द्रीय पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00 }	2,00.00	...	-2,00.00

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
27.	49 प्रयोगशालाओं का स्तरोन्नयन हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00
<p>उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 4,00.00 लाख, ₹ 2,00.00 लाख, ₹ 2,00.00 लाख, ₹ 2,00.00 लाख एवं ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
28.	54 उच्च शिक्षा में पिछड़े जिलों में महाविद्यालयों का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु सिद्धू-कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00 }
	पुनर्वि० -1,00.00 }			
<p>योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
29.	55 मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु राँची विश्वविद्यालय, राँची को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00 }	3,00.00	...	-3,00.00
30.	56 मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 4,00.00 }	4,00.00	...	-4,00.00

अनुदान संख्या - 21 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
31.	57 प्रयोगशालाओं का स्तरोन्नयन हेतु सिद्ध-कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	...	-1,50.00
32.	58 प्रयोगशालाओं का स्तरोन्नयन हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	...	-1,50.00

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 3,00.00 लाख, ₹ 4,00.00 लाख, ₹ 1,50.00 लाख एवं ₹ 1,50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 22 - गृह विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2055 पुलिस			
2056 जेल			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	27,86,70,68}	28,86,37,43	26,84,79,88	-2,01,57,55
अनुपूरक	99,66,75}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (अगस्त 2013) 26,05,30

पूंजी :

मूल	99,54,50}	99,54,50	76,05,59	-23,48,91
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 2,01,57.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2013 (₹ 37,89.83 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 3,24.90 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 58,52.02 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 99,66.75 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 26,05.30 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,01,57.55 लाख) से ₹ 1,75,52.25 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

(iii) शीर्ष-2055-पुलिस, 001-निदेशन और प्रशासन, 12-सुरक्षा व्यय (गैर-योजना), 101-आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता, 01-आपराधिक जाँच विभाग (गैर-योजना), 104-विशेष पुलिस, 02-पैदल सैन्य पुलिस (गैर-योजना), 05-इंडिया रिजर्व बटालियन (गैर-योजना), 109-जिला पुलिस, 01-जिला कार्यकारी दल (गैर-योजना), 2056-जेल, 101-जेल, 01-केन्द्रीय जेल (गैर-योजना) एवं 02-जिला जेल (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,17.56 लाख, ₹ 1,87.47 लाख, ₹ 17,51.41 लाख, ₹ 2,85.59 लाख, ₹ 42,75.73 लाख, ₹ 1,32.75 लाख एवं ₹ 3,42.75 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 90,00.00 लाख, ₹ 21,80.76 लाख, ₹ 4,17,10.08 लाख, ₹ 1,20,02.10 लाख, ₹ 13,40,37.38 लाख, ₹ 46,30.43 लाख एवं ₹ 40,07.55 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2052 सचिवालय- सामान्य सेवाएं 092 अन्य कार्यालय 20 झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग (गैर-योजना)	95.78	55.42	-40.36
	मूल 93.38 } अनुपूरक 2.40 }			
2.	2055 पुलिस 001 निदेशन और प्रशासन 01 अभियोजन निदेशालय (गैर-योजना)	17,31.36	13,27.80	-4,03.56
	मूल 17,30.48 } अनुपूरक 0.88 }			
3.	02 विधि व्यवस्था पर व्यय (गैर-योजना)	2,50.00	2,08.33	-41.67
	मूल 2,50.00 }			
4.	101 अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता 07 विधि विज्ञान प्रयोगशाला (गैर-योजना)	1,33.13	1,01.10	-32.03
	मूल 1,33.13 }			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
5.	109 जिला पुलिस 03 थाना कार्यालय का व्यय (गैर-योजना)	1,50.00}	1,50.00	1,16.24	-33.76
6.	110 ग्राम पुलिस 01 चौकीदार दफादार स्थापना (गैर-योजना)	मूल 1,88,26.69} अनुपूरक 12.00}	1,88,38.69	1,44,62.41	-43,76.28
7.	02 मानकी मुण्डा डाकुआ के लिये सम्मान (गैर-योजना)	मूल 14,07.49}	14,07.49	8,85.89	-5,21.60
8.	111 रेल पुलिस 01 बिना टिकट के यात्रियों के विरुद्ध अभियान (गैर-योजना)	मूल 1,44.94}	1,44.94	66.65	-78.29
9.	02 आर्डर पुलिस (गैर-योजना)	मूल 56,61.00}	56,61.00	48,17.85	-8,43.15
10.	114 बेतार और कम्प्यूटर 01 संकेत (गैर-योजना)	मूल 25,37.74}	25,37.74	21,81.54	-3,56.20

उपर्युक्त दस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण 43 पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 60,93.00}	1,05,69.03	78,97.30	-26,71.73
	अनुपूरक 70,81.33}			
	पुनर्वि० -26,05.30}			
<p>₹ 26,05.30 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों एवं ₹ 26,71.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
12.	2056 जेल 101 जेल 03 उप जेल (गैर-योजना)			
	मूल 5,70.17}	5,91.17	5,27.43	-63.74
	अनुपूरक 21.00}			
13.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 105 विशेष जाँच आयोग 01 राज्य मानवाधिकार आयोग (गैर-योजना)			
	मूल 2,98.81}	2,98.81	84.87	-2,13.94
14.	106 सिविल रक्षा 04 अग्नि सेवा (गैर-योजना)			
	मूल 2,11.74}	2,11.74	1,55.09	-56.65
15.	107 होमगार्ड 01 ग्रामीण (गैर-योजना)			
	मूल 46,51.98}	46,51.98	41,75.20	-4,76.78

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
16.	108 01 अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण अग्नि रक्षा सेवा (गैर-योजना)	12,74.59	11,01.45	-1,73.14
	मूल 12,74.59}	12,74.59	11,01.45	-1,73.14
17.	39 फायर इंजनो, आधुनिक उपकरणों थर्मल इमेजिंग कैमरा, बी०ए० सेट चार्जिंग मशीन, फायर सूट आदि का क्रय (के०प्रा०यो०)	3,23.00	1,07.10	-2,15.90
	मूल 3,23.00}	3,23.00	1,07.10	-2,15.90
18.	800 09 अन्य व्यय उग्रवादी घटनाओं में मारे गए/घायल कर्मी/ग्रामीण पुलिस/गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह अनुदान (गैर-योजना)	8,00.00	4,13.62	-3,86.38
	मूल 8,00.00}	8,00.00	4,13.62	-3,86.38
19.	2235 60 200 03 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम अन्य व्यय स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (गैर-योजना)	2,25.00	1,73.90	-51.10
	मूल 2,25.00}	2,25.00	1,73.90	-51.10

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
20.	05 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (गैर-योजना)			
	मूल 2,50.00}	3,50.00	2,89.45	-60.55
	अनुपूरक 1,00.00}			

उपर्युक्त नौ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2055 पुलिस 001 निदेशन एवं प्रशासन 07 असैनिक/सैनिक व्यक्तियों के चिकित्सा हेतु व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 45.00}	45.00	...	-45.00
2.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 108 अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण 39 फायर इंजनों, आधुनिक उपकरणों थर्मल इमेजिंग कैमरा बी०ए० सेट चार्जिंग मशीन फायर सूट आदि का क्रय (योजना)			
	मूल 85.50}	85.50	...	-85.50
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 05 केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (के०प्रा०यो०)			
	मूल 34.00}	34.00	...	-34.00

उपर्युक्त तीन मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

पूँजी:

(v) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1. 4055 207 28	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय राज्य पुलिस कारा मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी/सौर घेराबंदी (योजना)	2,50.00	1,50.98	-99.02
2. 42	कारा हेतु भूमि का अधिग्रहण (योजना)	60.00	15.05	-44.95
3. 45	पुलिस आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय (योजना)	10,00.00	3,37.50	-6,62.50
4. 211 01	पुलिस आवास पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (गैर-योजना)	23,00.00	15,81.42	-7,18.58
5. 796 19	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना एम्बुलेंस की व्यवस्था (कारा अस्पताल का सुदृढीकरण) (योजना)	30.00	7.98	-22.02
6. 28	कारा मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी/सौर्य घेराबंदी, चहारदीवारी एवं वाच टावर का निर्माण (योजना)	2,60.00	1,97.00	-63.00

		अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः			
शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -	
			(लाख रुपयों में)		
7.	32	कारा उद्योग सुदृढीकरण एवं व्यवस्था (योजना)			
	मूल	24.99}	24.99	4.08	-20.91
8.	33	कारा कर्मियों के आवास निर्माण हेतु (योजना)			
	मूल	1,50.00}	1,50.00	79.35	-70.65

उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -	
			(लाख रुपयों में)		
1.	4055 207 36	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय राज्य पुलिस प्रोबेशन सेवाएँ/छात्रावास/ बोस्टल स्कूल की व्यवस्था (योजना)			
	मूल	15.00}	15.00	...	-15.00
2.	44	गैर-पारम्परिक उर्जा सोलर (बायो गैस सहित) (योजना)			
	मूल	50.00}	50.00	...	-50.00
3.	796 16	जनजातीय क्षेत्र/उपयोजना नए उपकारा का निर्माण एवं उत्क्रमण (योजना)			
	मूल	1,60.00}	1,60.00	...	-1,60.00

अनुदान संख्या - 22 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	41 कारा परिसर की चहारदिवारी का निर्माण (योजना)			
	मूल 20.00}	20.00	...	20.00
5.	42 कारा हेतु भूमि का अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 1,20.00}	1,20.00	...	-1,20.00
6.	45 गैर-पारम्परिक ऊर्जा (सोलर, बायो गैस सहित) (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
7.	4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 49 अग्निशामालय-सह-आवासीय भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 92.00}	92.00	...	-92.00
8.	800 अन्य व्यय 51 भूमि अधिग्रहण (योजना)			
	मूल 22.50}	22.50	...	-22.50

उपर्युक्त आठ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 23 - उद्योग विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2851 ग्राम तथा लघु उद्योग			
2852 उद्योग			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	2,90,93,82}	2,91,98,01	1,71,17,56	-1,20,80,45
अनुपूरक	1,04,19}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			35,50
(31 जनवरी 2014 : 2,50 फरवरी 2014 : 33,00)			

पूंजी :

मूल	2,00,00}	2,00,00	2,00,00
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			शून्य
------------------------------	--	--	-------

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 1,20,80.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, दिसम्बर 2013 (₹ 91.09 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 13.10 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,04.19 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 1,20,80.45 लाख का वृहद अंतिम बचत के बावजूद मात्र ₹ 35.50 लाख ही अभ्यर्पित किया गया था।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 102-लघु उद्योग, 08-जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना (गैर-योजना) एवं 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 33-आधारभूत शिक्षण संरचना का विकास (योजना) के अन्तर्गत ₹ 73.00 लाख की कुल बचत एवं ₹ 86.21 लाख की अंतिम बचत, जो क्रमशः ₹ 7,40.80 लाख एवं ₹ 16,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग 102 लघु उद्योग 58 रोजगार हेतु कौशल विकास योजना (योजना)	5,00.00}	5,00.00	4,45.95 -54.05
2.	103 हस्तकरघा उद्योग 11 समेकित हस्तकरघा विकास की योजना- हैण्डलूम-कलस्टर विकास हेतु सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)	7,00.00}	7,00.00	73.17 -6,26.83
3.	25 टेक्सटाइल एपेरेल पार्क की स्थापना (योजना)	1,60.00}	1,60.00	1,05.48 -54.52
4.	104 हस्तशिल्प उद्योग 04 हस्तशिल्प के विकास की योजना (योजना)	3,50.00}	3,50.00	2,89.72 -60.28

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	53 हस्तशिल्प का विकास- ग्रामीण तकनीकी पार्क की स्थापना (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	1,45.37	-1,04.63
6.	107 रेशम उत्पादन उद्योग 01 रेशम के विकास की योजना (योजना)			
	मूल 71.00}	71.00	48.53	-22.47
7.	10 रेशम के विकास की योजना- आधारभूत संरचना का विकास (योजना)			
	मूल 7,72.50}	7,72.50	3,15.76	-4,56.74
8.	16 रेशम के विकास की योजना- केन्द्रीय परियोजना हेतु मैचिंग ग्रांट (योजना)			
	मूल 7,00.00}	7,00.00	5,98.26	-1,01.74
9.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02 बाँस शिल्पी प्रशिक्षण-सह- उत्पादन केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	1,59.20	-40.80

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
10.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 06 रेशम का विकास (योजना)	2,23.50}	2,23.50	1,37.18	-86.32
11.	26 रेशम दूतों के माध्यम से बेसिक सीड रिपरिंग (योजना)	1,42.00}	1,42.00	1,17.16	-24.84
12.	29 तसर कीटपालकों को सहायक अनुदान (योजना)	2,76.00}	2,76.00	2,00.78	-75.22
13.	44 नये जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना तथा भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार (योजना)	4,50.00}	4,50.00	3,40.55	-1,09.45
14.	52 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना (योजना)	2,50.00}	2,50.00	1,66.32	-83.68
15.	2852 उद्योग 80 सामान्य 003 औद्योगिक शिक्षा- अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 02 विभागीय कर्मियों का अध्ययन भ्रमण एवं प्रशिक्षण की योजना (योजना)	40.00}	40.00	2.69	-37.31

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
16.	102 औद्योगिक उत्पादकता 30 सूद अनुदान-औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनुदान (योजना)	1,75.00	56.35	-1,18.65
	मूल 1,75.00}	1,75.00		
17.	42 प्रोजेक्ट एवं फिजिविलिटि रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य- सहायक अनुदान (योजना)	1,50.00	50.00	-1,00.00
	मूल 1,50.00}	1,50.00		
18.	44 विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन का सुदृढीकरण (योजना)	6,00.00	2,90.04	-3,09.96
	मूल 6,00.00}	6,00.00		
19.	52 पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन- औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनुदान (योजना)	5,00.00	1,75.00	-3,25.00
	मूल 5,00.00}	5,00.00		
20.	66 खाद्य प्रसंस्करण राष्ट्रीय मिशन हेतु सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)	6,00.00	4,19.25	-1,80.75
	मूल 6,00.00}	6,00.00		
21.	66 खाद्य प्रसंस्करण राष्ट्रीय मिशन हेतु सहायक अनुदान (योजना)	2,00.00	75.48	-1,24.52
	मूल 2,00.00}	2,00.00		

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
22.	67 औद्योगिक गलियारे हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	11.24	-88.76
23.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 सेन्ट्रल टूल्स रूम फेसिलिटी को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	2,44.00	-56.00
24.	30 सूद अनुदान- औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,75.00}	1,75.00	8.75	-1,66.25
25.	52 पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन- औद्योगिक इकाईयों को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	36.59	-4,63.41
26.	61 वास्तविक वाणिज्य-कर भुगतान के विरुद्ध पूंजी निवेश प्रोत्साहन सबसिडी (योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	2,01.06	-7,98.94

उपर्युक्त छब्बीस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग 102 लघु उद्योग 01 लघु उद्योगों के लिए कलस्टर विकास योजना (के०प्रा०यो०)	5,00.00 }	5,00.00	...	-5,00.00
2.	01 लघु उद्योगों के लिये कलस्टर विकास योजना (योजना)	3,00.00 }	3,00.00	...	-3,00.00
3.	103 हस्तकरघा उद्योग 01 हथकरघा विकास की योजना (योजना)	20.00 }	20.00	...	-20.00
4.	09 विविध हस्तशिल्प का विकास योजना-बुनकर सेवा केन्द्र/ आई०आई०एच०टी० की स्थापना-सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)	50.00 }	50.00	...	-50.00
5.	11 समेकित हथकरघा विकास की योजना- हैण्डलूम कलस्टर विकास हेतु सहायक अनुदान (योजना)	1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00
6.	12 समेकित हथकरघा विकास की योजना- हैण्डलूम ग्रुप एप्रोच- सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)	2,30.00 }	2,30.00	...	-2,30.00

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	12 समेकित हथकरघा विकास की योजना-हैण्डलूम ग्रुप एप्रोच-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
8.	14 समेकित हथकरघा विकास की योजना - मार्केटिंग इन्सेंटिव-सहायक अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
9.	14 समेकित हथकरघा विकास की योजना- मार्केटिंग इन्सेंटिव-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
10.	59 समेकित हथकरघा विकास योजना- मेगा हैण्डलूम कलस्टर की स्थापना-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 90.00}	90.00	...	-90.00
11.	107 रेशम उत्पादन उद्योग 04 रीलिंग स्पीनिंग के लिये सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना (योजना)			
	मूल 15,88.90}	15,88.90	...	-15,88.90
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	09 हथकरघा विकास की योजना- अध्ययन भ्रमण/प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00
14.	23 निफ्ट, कोलकत्ता संचालित आपदा प्रशिक्षण केन्द्र (योजना)			
	मूल 6,40.00 }	6,40.00	...	-6,40.00
15.	25 रिलिंग स्पीनिंग के लिये सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना (योजना)			
	मूल 4,04.50 }	4,04.50	...	-4,04.50
16.	2852 उद्योग 80 सामान्य 102 औद्योगिक उत्पादकता 19 उद्योग विहीन जिलों में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना हेतु भू-अर्जन- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00
17.	68 विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (योजना)			
	मूल 50.00 }	50.00	...	-50.00
18.	69 उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00 }	50.00	...	-50.00

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	70 झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को समेकित परियोजना निवेश अनुदान (योजना)			
	मूल 1,75.00}	1,75.00	...	-1,75.00
20.	71 झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क अनुदान (योजना)			
	मूल 25.00}	25.00	...	-25.00
21.	74 झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को नेट वेट पर अनुदान (योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	...	-10,00.00
22.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 05 भू-अर्जन एवं अर्जित भूमि का विकास-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	...	-5,00.00
23.	63 समेकित आधारभूत उन्नयन योजना-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00

अनुदान संख्या - 23 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
24.	70 झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को समेकित परियोजना निवेश अनुदान (योजना)			
	मूल 1,75.00}	1,75.00	...	-1,75.00
25.	71 झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क अनुदान (योजना)			
	मूल 25.00}	25.00	...	-25.00
26.	74 झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को नेट वेट पर अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	...	-5,00.00

उपर्युक्त छब्बीस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(v) अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2852 उद्योग			
80 सामान्य			
102 औद्योगिक उत्पादकता			
04 औद्योगिक समूहों की स्थापना (गैर-योजना)			
मूल 16.66}	17.34	41.08	+23.74
पुनर्वि० 0.68}			

₹ 23.74 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 24 - सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2220	सूचना तथा प्रचार			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	48,68,09}	59,05,32	52,23,52	-6,81,80
अनुपूरक	10,37,23}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (फरवरी 2014) 1,15,00

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 6,81.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 0.03 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 37.20 लाख) और फरवरी 2014 (₹ 10,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 10,37.23 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,15.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 6,81.80 लाख) से ₹ 5,66.80 लाख कम था।
- (iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2220	सूचना तथा प्रचार			
01	फिल्म			
001	निदेशन एवं प्रशासन			
1.	01 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
मूल	4,42.38}	4,76.38	3,93.34	-83.04
अनुपूरक	34.00}			

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	60 अन्य 106 क्षेत्र प्रचार 02 जिला मोबाईल इकाई (गैर-योजना)			
	मूल 7,37.16} अनुपूरक 3.20}	7,40.36	5,11.26	-2,29.10
3.	05 क्षेत्रीय प्रचार योजना- फ्लैग्स, होर्डिंग्स, पंपलेट, पोस्टर का निर्माण एवं प्रकाशन (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	1,30.89	-19.11
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 83.04 लाख, ₹ 2,29.10 लाख एवं ₹19.11 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया है (अगस्त 2014)।				
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 क्षेत्रीय प्रचार योजना (योजना)			
	मूल 1,05.00} पुनर्वि० -30.00}	75.00	57.19	-17.81
₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय संवर्ग समिति से ससमय सहमति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप मोटरगाड़ी का क्रय नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 17.81 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
5.	03 क्षेत्रीय प्रचार योजना- सूचना भवन का निर्माण (साज-सज्जा सहित) (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	9.81	-40.19

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	05 क्षेत्रीय प्रचार योजना- फ्लैग्स, होर्डिंग, पंपलेट पोस्टर का निर्माण एवं प्रकाशन (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	2,17.33	-32.67
7.	06 क्षेत्रीय प्रचार योजना- गीत एवं नाट्य (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	70.13	-29.87
8.	16 क्षेत्रीय प्रचार योजना- विभागीय पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए सेमीनार, सिम्पोजियम तथा वर्कशॉप (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	21.72	-28.28
	2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
	090 सचिवालय			
9.	15 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 88.55}	88.58	57.76	-30.82
	अनुपूरक 0.03}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में ₹ 40.19 लाख, ₹ 32.67 लाख, ₹ 29.87 लाख, ₹ 28.28 लाख एवं ₹ 30.82 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 24 - क्रमांत

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2220 सूचना तथा प्रचार			
	60 अन्य			
	106 क्षेत्र प्रचार			
	10 क्षेत्रीय प्रचार योजना- नई मोटरगाड़ी का क्रय (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
नई कार क्रय करने की प्रक्रिया पूरी न होने एवं कार्यबल की उपलब्धता न होने के कारण ₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	14 क्षेत्रीय प्रचार योजना - सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			
समय पर प्रक्रिया पूरी न होने के कारण ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
3.	18 जन सूचना संस्थान (योजना)			
		मूल 25.00}
	पुनर्वि० -25.00}			
संस्थान की स्थापना समय पर न होने के कारण ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				

**अनुदान संख्या - 25 - सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	2,04,46}	2,10,93	1,43,29	-67,64
अनुपूरक	6,47}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (5 फरवरी 2014)				20,00

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 67.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 4.95 लाख) एवं दिसम्बर 2013 (₹ 1.52 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6.47 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 20.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 67.64 लाख) से ₹ 47.64 लाख कम था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	092 अन्य कार्यालय 10 सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग- परियोजना संगठन (गैर-योजना)				
	मूल	75.04}	75.04	56.34	-18.70
2.	19 सांस्थिक वित्त विभाग (गैर-योजना)				
	मूल	1,09.42}	1,15.89	86.95	- 28.94
	अनुपूरक	6.47}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 18.70 लाख एवं ₹ 28.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 25 - क्रमांत

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 05 राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का कार्यालय स्थापना (योजना)			
	मूल 10.00}
	पुनर्वि० -10.00}			
2.	06 राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष का कार्यालय स्थापना (योजना)			
	मूल 10.00}
	पुनर्वि० -10.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का मनोनयन नहीं होने के कारण प्रत्येक के ₹ 10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 26 - श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230 श्रम तथा रोजगार			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :			
मूल	9,96,20,28}	10,18,25,19	7,10,12,95
अनुपूरक	22,04,91}		-3,08,12,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			9,35,00
(जुलाई 2013 : 6,14,00			
फरवरी 2014 : 3,21,00)			

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 3,08,12.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 6,23.58 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 13,00.33 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 2,81.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 22,04.91 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,35.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,08,12.24 लाख) से ₹ 2,98,77.24 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 101-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 04-राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना), 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 04-राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना) एवं 05-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,32.58 लाख, ₹ 1,08.09 लाख एवं ₹ 2,44.07 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 33,91.50 लाख, ₹ 16,96.70 लाख एवं ₹ 25,95.60 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2230 श्रम तथा रोजगार 01 श्रम 001 निदेशन और प्रशासन 01 श्रमायुक्त (गैर-योजना)	2,95.61 }	2,95.61	1,40.06 -1,55.55
2.	03 श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्वूपिंग एव सुदृढीकरण (योजना)	2,20.00 }	2,20.00	31.25 -1,88.75
3.	04 ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन/आधुनिकीकरण (योजना)	1,00.00 }	1,00.00	47.50 -52.50
4.	36 बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं संचेतना (योजना)	1,00.00 }	1,00.00	56.76 -43.24
5.	101 औद्योगिक संबंध 05 औद्योगिक विवाद के लिए श्रम-समझौता मण्डल (गैर-योजना)	2,84.23 } अनुपूरक 7.00 }	2,91.23	1,98.41 -92.82

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	06 श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
	मूल 4,08.21}	4,08.21	2,53.70	-1,54.51
7.	07 कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (गैर-योजना)			
	मूल 14,10.63}	14,10.63	10,40.27	-3,70.36
8.	102 कार्य की परिस्थितियाँ तथा सुरक्षा			
	01 स्टीम बायलर के निरीक्षक (गैर-योजना)			
	मूल 1,33.22}	1,33.22	66.40	-66.82
9.	02 कारखानों के निरीक्षक (गैर-योजना)			
	मूल 6,43.60}	6,44.82	3,48.19	-2,96.63
	अनुपूरक 1.22}			
10.	103 सामान्य श्रम कल्याण			
	01 शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन (गैर-योजना)			
	मूल 3,71.93}	3,71.93	2,20.22	-1,51.71
11.	09 प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण (योजना)			
	मूल 70.00}	70.00	11.18	-58.82

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	3,97.65	-4,02.35
13.	11 आम आदमी बीमा योजना (योजना)			
	मूल 82.00}	82.00	0.48	-81.52
14.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	1,95.76	-2,04.24
15.	11 आम आदमी बीमा योजना (योजना)			
	मूल 30.90}	30.90	0.37	-30.53
16.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 बाल श्रमिक आयोग का गठन (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	14.80	-35.20
उपर्युक्त सोलह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
17.	03 श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्यूपिंग एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 2,95.00}	2,77.00	58.06	-2,18.94
	पुनर्वि० -18.00}			

₹ 18.00 लाख की प्रत्याशित बचत अनेक कार्यालयों में पदों के रिक्त रहने के कारण हुई थी। ₹ 2,18.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
18.	05 श्रम कार्यालयों का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	2,01.69	-98.31
19.	09 प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	12.07	-87.93
20.	11 आम आदमी बीमा योजना (योजना)			
	मूल 92.10}	92.10	0.29	-91.81
21.	14 श्रम संस्थान की स्थापना (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	12.75	-37.25
22.	18 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं अन्य श्रम अधिनियमों के कार्यान्वयन यंत्र का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	46.18	-53.82
23.	36 बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं संचेतना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	33.16	-66.84

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
24.	02 रोजगार सेवाएं 101 रोजगार सेवाएं 01 नियोजन सेवा का विस्तार (योजना)	1,10.50	47.07	-63.43
25.	04 रोजगार कार्यालय का स्थापना (गैर-योजना)	7,76.63	6,24.07	-1,52.56
उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
26.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02 मानव शक्ति योजना (योजना)	1,69.00	97.08	-71.92
	मूल 1,97.00 } पुनर्वि० -28.00 }			
₹ 28.00 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय कम किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 71.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
27.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 नियोजन सेवा का विस्तार (योजना)	1,92.50	1,03.53	-88.97
28.	03 प्रशिक्षण 003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 38 व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (योजना)	6,50.00	3,80.35	-2,69.65
	मूल 6,50.00 }			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 88.97 लाख एवं ₹ 2,69.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
29.	39 प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचे का आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 1,75.00}	69.00	24.81	-44.19
	पुनर्वि० -1,06.00}			
₹ 1,50.19 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
30.	42 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं संबद्ध कार्यालयों का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	28.62	-71.38
31.	43 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 20 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 34,50.00}	34,50.00	25,30.93	-9,19.07
32.	44 उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,50.00}	7,50.00	53.13	-6,96.87
33.	101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 02 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रशासन-राज्य (गैर-योजना)			
	मूल 28,63.15}	28,63.15	15,09.43	-13,53.72

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
34.	102 प्रशिक्षु प्रशिक्षण 01 प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना (गैर-योजना)			
	मूल 1,13.11}	1,13.11	52.01	-61.10
35.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,35.00}	1,35.00	26.31	-1,08.69
36.	01 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन (योजना)			
	मूल 45.00}	45.00	3.00	-42.00
37.	32 शिल्प प्रशिक्षण/प्रशिक्षु प्रशिक्षण के सुदृढीकरण योजना (योजना)			
	मूल 55.00}	55.00	24.24	-30.76
उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
38.	38 व्यवसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (योजना)			
	मूल 9,50.00}	6,75.00	5,39.08	-1,35.92
	पुनर्वि० -2,75.00}			

₹ 4,10.92 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
39.	39 प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढाँचा का आधुनिकीकरण (योजना)			
	मूल 2,30.00}	6,51.00	29.98	-6,21.02
	अनुपूरक 4,21.00}			
	₹ 6,21.02 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
40.	42 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं सम्बद्ध कार्यालयों का भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 5,00.00}	3,15.00	1,21.15	-1,93.85
	पुनर्वि० -1,85.00}			
	₹ 3,78.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
41.	44 उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 7,50.00}	7,50.00	44.03	-7,05.97
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
	101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
42.	03 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 1,51,12.76}	1,51,12.76	1,02,83.93	-48,28.83

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
43.	05 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 67,98.00}	67,98.00	60,12.09	-7,85.91
44.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 7,41.60}	7,41.60	5,30.27	-2,11.33
45.	102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना 02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 11,20.00}	11,20.00	4,24.80	-6,95.20
46.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 4,20.00}	4,20.00	1,74.40	-2,45.60
47.	03 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 69,78.44}	69,78.44	44,53.00	-25,25.44

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
48.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 3,09.00}	3,09.00	1,69.37	-1,39.63
49.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 12,60.00}	12,60.00	5,28.70	-7,31.30
50.	03 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 2,06,81.00}	2,06,81.00	1,48,77.43	-58,03.57
51.	04 राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 46,04.20}	46,04.20	36,00.30	-10,03.90
52.	05 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 74,16.00} अनुपूरक 10,00.00}	84,16.00	71,08.35	-13,07.65

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
53.	06 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (योजना)			
	मूल 8,65.20 }	8,65.20	3,57.25	-5,07.95
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
54.	01 वृद्धावस्था पेंशन (गैर-योजना)			
	मूल 8,99.56 }	9,02.25	5,83.82	-3,18.43
	अनुपूरक 2.69 }			
	2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं			
	090 सचिवालय			
55.	08 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,01.11 }	2,06.11	1,57.94	-48.17
	अनुपूरक 5.00 }			

उपर्युक्त पन्द्रह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलौपैथी 102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना 03 ई.एस.आई. चिकित्सालयों हेतु भूमि अधिग्रहण (योजना)	60.00	...	-60.00
2.	2230 श्रम तथा रोजगार 03 प्रशिक्षण 003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 01 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन (के०प्रा०यो०)	45.00	...	-45.00
3.	40 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण (योजना)	88.00	...	-88.00
	मूल 5.00 } अनुपूरक 83.00 }			
4.	44 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्ल्यू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (योजना)	2,50.00	...	-2,50.00
5.	47 पी.पी.पी. के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भायेबिलिटी गैप फंडिंग योजना (योजना)	77.00	...	-77.00
	मूल 1,60.00 } पुनर्वि० -83.00 }			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	796 40 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 5.00 } अनुपूरक 1,10.00 }	1,15.00	...	-1,15.00
7.	44 उग्रवाद प्रभावित (एल०डब्लू०ई०) जिलों में युवाओं के लिये कौशल विकास की योजना (योजना)			
	मूल 2,50.00 }	2,50.00	...	-2,50.00
8.	47 पी.पी.पी. के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बायेबिलिटी गैप फंडिंग योजना (योजना)			
	मूल 2,40.00 } पुनर्वि० -2,40.00 }
9.	48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं संबद्ध कार्यालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (योजना)			
	मूल 1,50.00 }	1,50.00	...	-1,50.00
10.	49 कौशल विकास योजनाओं (सी.डी.एस. , ए.टी.सी. एवं एस.डी.आई.) का अनुश्रवण एवं जागरूकता (नई योजना) (योजना)			
	मूल 40.00 }	40.00	...	-40.00

उपर्युक्त दस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 27 - विधि विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
			<i>(हजार रुपयों में)</i>	
मुख्य शीर्ष				
2014	न्याय प्रशासन			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	2,09,14,10}	2,11,96,78	1,83,93,82	-28,02,96
अनुपूरक	2,82,68}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 28,02.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 95.00 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 1,87.25 लाख) और फरवरी 2014 (₹ 0.43 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,82.68 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत का कोई भी भाग प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(iii) शीर्ष 2014-न्याय प्रशासन, 105-सिविल और सेशन न्यायालय, 01-सिविल और सेशन न्यायालय (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 8,32.46 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 1,72,35.35 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
			<i>(लाख रुपयों में)</i>	
	2014 न्याय प्रशासन			
	105 सिविल और सेशन न्यायालय			
1.	04 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला जजों के सहयोग हेतु नियुक्त कोर्ट मैनेजर (गैर-योजना)			
	मूल	1,58.40}	1,58.40	1,06.86
				-51.54

अनुदान संख्या - 27 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	05 13 वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में गठित प्रातः कालीन/सायंकालीन कोर्ट (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 32.65 }	32.65	7.23	-25.42
3.	114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता 01 कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (गैर-योजना)			
	मूल 2,07.24 } अनुपूरक 0.43 }	2,07.67	1,68.87	-38.80
4.	02 निर्धनों को कानूनी सहायता (गैर-योजना)			
	मूल 3,68.84 } अनुपूरक 10.00 } पुनर्वि० 22.00 }	4,00.84	2,54.64	-1,46.20
5.	03 सरकारी मामलें (गैर-योजना)			
	मूल 4,75.00 }	4,75.00	3,75.81	-99.19
6.	04 कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (ज्यूडिशियल अकादमी) (गैर-योजना)			
	मूल 1,57.87 }	1,57.87	78.13	-79.74

अनुदान संख्या - 27 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	06 स्थायी लोक अदालत- अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए दैनिक शुल्क (गैर-योजना)			
	मूल 1,40.00}	1,40.00	1,01.39	-38.61
8.	116 राज्य प्रशासनिक अधिकरण 01 विधि आयोग (गैर-योजना)			
	मूल 74.01}	74.01	23.87	-50.14
9.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 18 विधि विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,68.70}	2,68.70	2,35.67	-33.03

उपर्युक्त नौ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2014 न्याय प्रशासन 105 सिविल और सेशन न्यायालय 03 ग्राम न्यायालय (गैर-योजना)			
	मूल 55.57}	55.57	...	-55.57
2.	06 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में हेरीटेज कोर्ट बिल्डिंग हेतु (गैर-योजना)			
	मूल 2,97.40}	2,97.40	...	-2,97.40

अनुदान संख्या - 27 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
3.	114 08	विधि सलाहकार और परामर्शदाता 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा ए.डी.आर. केन्द्र में मध्यस्थों/सुलहकर्ताओं का प्रशिक्षण (गैर-योजना)	5,97.80	...	-5,97.80
	मूल	5,97.80 }	5,97.80	...	-5,97.80
4.	10	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में न्यायिक पदाधिकारियों/ लोक अभियोजकों को ज्यूडीशियल अकादमी द्वारा दिया जानेवाला प्रशिक्षण (गैर-योजना)	2,64.40	...	-2,64.40
	मूल	2,64.40 }	2,64.40	...	-2,64.40
5.	11	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में मेगा लोक अदालत एवं वैधिक सहायता (गैर-योजना)	1,98.80	...	-1,98.80
	मूल	1,98.80 }	1,98.80	...	-1,98.80

उपर्युक्त पाँच मामलों में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**विनियोग संख्या - 28 - झारखण्ड का उच्च न्यायालय
(सभी प्रभारित)**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
राजस्व :			
मूल	46,18,20}	48,19,90	43,16,07
अनुपूरक	2,01,70}		-5,03,83

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 5,03.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 1,26.20 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 44.50 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 31.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,01.70 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(iii) शीर्ष 102-उच्च न्यायालय, 03-झारखण्ड उच्च न्यायालय का ई-कोर्ट प्रोजेक्ट (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 19.39 लाख की बचत, जो कि ₹ 3,20.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
102 उच्च न्यायालय			
01 उच्च न्यायालय, राँची (गैर-योजना)			
मूल	42,83.80}	44,85.50	40,03.46
अनुपूरक	2,01.70}		-4,82.04

₹ 4,82.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 29 - खान एवं भूतत्व विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		<i>(हजार रुपयों में)</i>	

मुख्य शीर्ष

2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

राजस्व :

मूल	26,97,40}	27,55,28	18,53,42	-9,01,86
अनुपूरक	57,88}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (9 जनवरी 2014) 20,42

टीका और टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 9,01.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 56.58 लाख) और दिसंबर 2013 (₹ 1.30 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 57.88 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 20.42 लाख), अंतिम बचत (₹ 9,01.86 लाख) से ₹ 8,81.44 लाख कम था।

(iii) शीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 02-खानों का विनियमन तथा विकास, 102-खनिज खोज, 01-भूतात्विक स्थापना (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 72.47 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 8,19.20 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
			<i>(लाख रुपयों में)</i>	
	2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
	02 खानों का विनियमन तथा विकास			
	001 निदेशन और प्रशासन			
1.	01 खनन स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल	12,44.13}	12,45.43	8,99.01
	अनुपूरक	1.30}		-3,46.42

अनुदान संख्या - 29 - क्रमान्त

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	01 खनन स्थापना (योजना)			
	मूल 3,30.89}	3,30.89	16.44	-3,14.45
3.	06 निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 80.00}	80.00	28.73	-51.27
4.	102 खनिज खोज 01 भूतात्विक (योजना)			
	मूल 1,34.11}	1,34.11	58.72	-75.39
4.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 04 खान एवं भूतत्व विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,30.34} अनुपूरक 10.21}	1,40.55	1,01.13	-39.42

उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 30 - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	1,73,99}	1,91,69	1,28,92	-62,77
अनुपूरक	17,70}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
पूंजी :				
मूल	1,75,45,00}	1,75,45,00	87,41,13	-88,03,87
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (फरवरी 2014)				3,90,00

राजस्व :

(i) ₹ 62.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 17.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं 101 धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान 01 झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, राँची (गैर-योजना)	23.20	5.70	-17.50
	मूल 5.50} अनुपूरक 17.70}			
2.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 13 झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (गैर-योजना)	1,21.55	80.31	-41.24
	मूल 1,21.55}			

उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 17.50 लाख एवं ₹ 41.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूँजी :

(iv) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,90.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 88,03.87 लाख) से ₹ 84,13.87 लाख कम था।

(v) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 277 शिक्षा 03 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी हेतु (योजना)	5,00.00	4,31.06	-68.94
	मूल 5,00.00}			

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	05 कियोस्क निर्माण (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	0.36	-39.64
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	1,83.50	-66.50
4.	03 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी हेतु (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	4,00.82	-99.18
5.	09 छात्रावास-बर्तन, उपस्कर एवं टी.वी. (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,00.00}	12,00.00	6,03.98	-5,96.02
6.	10 छात्रावास-बर्तन, उपस्कर एवं टी.वी. (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	9.66	-30.34
7.	12 अल्पसंख्यक जाति के लिए मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (के०यो०यो०)			
	मूल 94,97.00}	94,97.00	42,25.10	-52,71.90

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	17 अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	मूल 14,00.00}	14,00.00	6,58.62	-7,41.38

उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(vi) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 277 शिक्षा 04 अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
2.	13 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को सहायता (योजना)			
	मूल 2,00.00}	5.00	...	- 5.00
	पुनर्वि० -1,95.00}			
3.	18 नये छात्रावासों का संचालन एवं संधार (योजना)			
	मूल 20.00}	20.00	...	-20.00
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 04 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00

अनुदान संख्या - 30 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	05 अल्पसंख्यकों के लिए कियोस्क का निर्माण (योजना)			
	मूल 40.00 }	40.00	...	-40.00
6.	08 हज हाउस का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,75.00 }	1,75.00	...	-1,75.00
7.	09 छात्रावास-बर्त्तन, उपस्कर एवं टी.वी. (योजना)			
	मूल 4,00.00 }	4,00.00	...	4,00.00
8.	13 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को सहायता (योजना)			
	मूल 2,00.00 }	5.00	...	-5.00
	पुनर्वि० -1,95.00 }			
9.	16 अल्पसंख्यक मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	मूल 6,00.00 }	6,00.00	...	-6,00.00
10.	18 नये छात्रवासों का संचालन एवं संधारण (योजना)			
	मूल 32.00 }	32.00	...	-32.00

उपर्युक्त दस मामलों में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 31 - संसदीय कार्य विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	41,09}	69,93	34,40	-35,53
अनुपूरक	28,84}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ:

- (i) ₹ 35.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 14.81 लाख) एवं दिसम्बर 2013 (₹ 14.03 लाख)में प्राप्त किया गया ₹ 28.84 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
090	सचिवालय			
22	संसदीय कार्य विभाग (गैर-योजना)			
मूल	41.09}	69.93	34.40	-35.53
अनुपूरक	28.84}			

₹ 35.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 32 - विधान मंडल

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
राजस्व :				
दत्तमत:				
मूल	46,44,85}	50,60,95	48,75,70	-1,85,25
अनुपूरक	4,16,10}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,85,48
प्रभारित :				
मूल	23,25}	23,25	16,47	-6,78
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				5,96
टीका एवं टिप्पणियाँ:				
दत्तमत :				
(i) ₹ 1,85.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 (₹ 3,25.55 लाख) और फरवरी 2014 (₹ 90.55 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,16.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।				

अनुदान संख्या - 32 - क्रमांत

(ii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	02 राज्य /संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
	101 विधान सभा			
	04 सचेतकगण का कार्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 86.04}	28.20	27.43	-0.77
	पुनर्वि० -57.84}			

₹ 55.84 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) निजी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने (₹ 23.50 लाख) (ii) यात्रा पर कम व्यय करने (₹ 13.07 लाख) एवं (iii) राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने (₹ 19.25 लाख) के कारण हुई थी। निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 2.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई।

2.	06 विरोधी दल का नेता (गैर-योजना)			
	मूल 49.67}			
	अनुपूरक 50.00}	66.85	68.61	+1.76
	पुनर्वि० -32.82}			

₹ 32.82 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण हुई थी। ₹ 1.76 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iii) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
101 विधान सभा				
05 सदस्यगण (गैर-योजना)				
	मूल 8,27.96}	6,90.37	7,17.57	+27.20
	पुनर्वि० -1,37.59}			

₹ 71.59 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रपति शासन लागू रहने के कारण हुई थी। ₹ 66.00 लाख के पुनर्विनियोग में से, ₹ 3.85 लाख की वृद्धि उपस्करों की मरम्मत संबंधी बकाये बिलों के भुगतान, कार्यालय व्यय, फोटोग्राफी/विडियोग्राफी एवं मरम्मत तथा मोटरगाड़ी के लिए ईंधन एवं मरम्मत हेतु की गई तथा निधि का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण ₹ 42.35 लाख के प्रावधान में कमी की गई। ₹ 3.85 लाख के प्रावधान में वृद्धि, ₹ 31.25 लाख के प्रावधान में कटौती तथा ₹ 27.20 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 33 - कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2051 लोक सेवा आयोग			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2220 सूचना एवं प्रचार			

राजस्व :

मूल	17,36,38}	20,51,30	17,20,24	-3,31,06
अनुपूरक	3,14,92}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014) 3,57,30

टीका एवं टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 3,31.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 16.38 लाख), दिसंबर 2013 (₹ 2,64.67 लाख) और फरवरी 2014 (₹ 33.87 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,14.92 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,57.30 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,31.06 लाख) से ₹ 26.24 लाख अधिक था।

(iii) शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 003- प्रशिक्षण, 05-श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (स्कीपा) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 31.89 लाख की निवल बचत, जो कि ₹ 6,50.39 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2051 लोक सेवा आयोग			
	103 कर्मचारी चयन आयोग			
1.	01 झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (गैर-योजना)			
	मूल	1,11.00}		
	अनुपूरक	15.55}	1,00.45	1,00.45
	पुनर्वि०	-26.10}		...

₹ 26.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 33 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 04 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 7,42.48}			
	अनुपूरक 14.21}	6,31.28	6,30.92	-0.36
	पुनर्वि० -1,25.41}			

₹ 1,25.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति (₹ 1,15.02 लाख) और (ii) विपत्रों के प्राप्त नहीं होने (₹ 7.74 लाख) के कारण हुई थी।

(iv) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 05 पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (गैर-योजना)			
मूल 91.00}	38.03	49.01	+10.98
पुनर्वि० -52.97}			

₹ 52.97 लाख की प्रत्याशित बचत अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने के कारण हुई थी। ₹ 10.98 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 33 - क्रमांत

(v) निम्नलिखित मामले में, संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
02 श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान, राँची का उन्नयन (योजना)			
मूल 1,00.00}
पुनर्वि० -1,00.00}			

श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रशासनिक अनुमोदन एवं आवंटन की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**विनियोग संख्या - 34 - झारखंड लोक सेवा आयोग
(सभी प्रभारित)**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2051	लोक सेवा आयोग			
राजस्व :				
मूल	7,76,50}	7,76,50	5,28,18	-2,48,32
अनुपूरक	शून्य }			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2014)				2,48,32

टीका एवं टिप्पणियाँ:

(i) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
102	राज्य लोक सेवा आयोग			
01	लोक सेवा आयोग (गैर-योजना)			
मूल	7,76.50}	5,28.18	5,28.18
पुनर्वि०	-2,48.32}			

₹ 2,48.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 35 - योजना एवं विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053 जिला प्रशासन			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व :			
मूल	6,42,46,41}	6,42,88,95	1,09,28,17
अनुपूरक	42,54}		-5,33,60,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,90,62,81
(2 जुलाई 2013 :	30,00		
12 नवम्बर 2013 :	1,13,55,00		
16 जनवरी 2014 :	29,81,43		
4 मार्च 2014 :	9,82,35		
31 मार्च 2014 :	37,14,03)		

टीका एवं टिप्पणियाँ:

(i) ₹ 5,33,60.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2013 (₹ 39.64 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 2.90 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 42.54 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,90,62.81 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,33,60.78 लाख)से ₹ 3,42,97.97 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090 सचिवालय 09 योजना एवं विकास विभाग (विकास आयुक्त सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 5,76.72}	3,77.53	3,31.96	-45.57
	अनुपूरक 2.90}			
	पुनर्वि० -2,02.09}			

₹ 2,47.66 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

2.	2053 जिला प्रशासन 094 अन्य स्थापनाएं 03 योजना इकाई का सुदृढीकरण (गैर-योजना)			
	मूल 6,28.37}	5,08.11	3,83.69	-1,24.42
	पुनर्वि० -1,20.26}			

₹ 1,20.26 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों एवं ₹ 1,24.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 06 झारखंड राज्य योजना पर्षद (योजना)			
	मूल 5,00.00}	59.64	36.21	-23.43
	अनुपूरक 39.64}			
	पुनर्वि० -4,80.00}			

₹ 4,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 4,50.00 लाख की बचत योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई थी। ₹ 30.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत तथा ₹ 23.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	17 संविदा भत्ता और परामर्शी शुल्क (नागरिक निबंधन प्रणाली व्यय का सृष्टीकरण) (योजना)			
	मूल 48.00 }	21.50	17.14	-4.36
	पुनर्वि० -26.50 }			
₹ 26.50 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
5.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 01 मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (योजना)			
	मूल 75,63.00 }	67,95.72	35,93.13	-32,02.59
	पुनर्वि० -7,67.28 }			
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (योजना)			
	मूल 75,71.06 }	69,32.31	33,00.90	-36,31.41
	पुनर्वि० -6,38.75 }			
7.	3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 204 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 02 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सांख्यिकी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सहित) (गैर-योजना)			
	मूल 13,35.97 }	12,05.97	10,91.74	-1,14.23
	पुनर्वि० -1,30.00 }			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	05 प्रखण्ड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र (गैर-योजना)			
	मूल 2,18.05 } पुनर्वि० -50.00 }	1,68.05	1,32.34	-35.71

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,30.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ-साथ क्रमशः ₹ 1,14.23 लाख एवं ₹ 35.71 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

9.	14 6 वीं आर्थिक गणना का संचालन (के०यो०यो०)			
	मूल 10,00.00 }	10,00.00	9.71	-9,90.29
10.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 14 6वीं आर्थिक गणना का संचालन (के०यो०यो०)			
	मूल 11,92.45 }	11,92.45	15.56	-11,76.89

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 9,90.29 लाख तथा ₹ 11,76.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2053 जिला प्रशासन 094 अन्य स्थापनाएं 19 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में जिला जीर्णोद्धार राशि के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00 }	2,00.00	...	-2,00.00

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	26 स्टेट इनोभेटीभ कौन्सील फण्ड (योजना)			
	मूल 50.00 }	50.00	...	-50.00
3.	27 स्पेशल नीड्स बेस्ड फंड (योजना)			
	मूल 5,00.00 } पुनर्वि० -2,07.00 }	2,93.00	...	-2,93.00
4.	28 मुख्यमंत्री रोगी कल्याण फंड (योजना)			
	मूल 50.00 }	50.00	...	-50.00
5.	31 कौशल विकास मिशन (सामाजिक/जिला अनुदान) (योजना)			
	मूल 20,00.00 }	20,00.00	...	-20,00.00
6.	33 डी.एच.डी.आर./एस.एच.डी.आर. एवं अन्य के विकास और सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदन की तैयारी तथा प्रकाशन (योजना)			
	मूल 50.00 }	50.00	...	-50.00
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 11 राज्य योजना के लिए अनाबद्ध राशि (योजना)			
	मूल 5,00.00 }	5,00.00	...	-5,00.00

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	19 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में जिला जीर्णोद्धार के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 2,80.00}	2,80.00	...	-2,80.00
9.	24 ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड द्वारा खूँटी जिला में नॉलेज सिटी की स्थापना (योजना)			
	मूल 50,00.00}	50,00.00	...	-50,00.00
उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
10.	25 ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड (न्यू सीटी कैपिटल प्रोजेक्ट) (योजना)			
	मूल 2,00,00.00}	1,02,70.00	...	-1,02,70.00
	पुनर्वि० -97,30.00}			
₹ 2,00,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
11.	26 स्टेट इनोभेटीभ कौन्सील फण्ड (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
12.	27 स्पेशल नीड्स बेस्ड फंड (योजना)			
	मूल 5,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
	पुनर्वि० -4,00.00}			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13	28 मुख्यमंत्री रोगी कल्याण फंड (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
14.	31 कौशल विकास मिशन (सामाजिक/जिला अनुदान) (योजना)			
	मूल 77,35.09}	21,00.00	...	-21,00.00
	पुनर्वि० -56,35.09}			
15.	33 डी.एच.डी.आर./एस.एच.डी.आर. एवं अन्य के विकास और सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदन की तैयारी तथा प्रकाशन (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	...	-1,50.00
16.	800 अन्य व्यय 11 राज्य योजना के लिए अनाबद्ध राशि (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	...	-5,00.00
17.	3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 204 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन 15 बी.एस.एल.एल.डी. के अन्तर्गत पायलट स्कीमों का संचालन (के०यो०यो०)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	...	-5,00.00
18.	16 झारखण्ड के सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे०एस०एस०एस०पी०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,74.77}	6,74.77	...	-6,74.77

अनुदान संख्या - 35 - क्रमान्त

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	205 02	राज्य सांख्यिकीय एजेंसी 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सांख्यिकी तंत्र के लिए अनुदान (गैर-योजना)		
	मूल	4,80.00}
	पुनर्वि०	-4,80.00}		
20.	796 15	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना बी.एस.एल.एल.डी. के अन्तर्गत पायलट स्कीम का संचालन (के०यो०यो०)		
	मूल	6,22.88}	6,22.88	-6,22.88
21.	16	झारखंड राज्य के सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे.एस.एस.एस.पी.) (के०प्रा०यो०)		
	मूल	14,44.20}	14,44.20	-14,44.20
22.	16	झारखंड राज्य के सांख्यिकी योजना का नीतिकरण (जे.एस.एस.एस.पी.) (योजना)		
	मूल	1,90.45}
	पुनर्वि०	-1,90.45}		

उपर्युक्त बारह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है
(अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	2,14,85,91}	2,14,86,84	2,01,84,56	-13,02,28
अनुपूरक	93}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				14,05,46

पूंजी :

मूल	3,60,00,00}	3,63,50,00	3,21,01,76	-42,48,24
अनुपूरक	3,50,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (14 सितम्बर 2013 : 1,75,00 31 मार्च 2014 : 20,25,08)				22,00,08

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(i) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 14,05.46 लाख), अंतिम बचत (₹ 13,02.28 लाख) से ₹ 1,03.18 लाख अधिक था

(ii) शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 01-जलपूर्ति, 101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम, 04-नगर निगम की शहरी जलापूर्ति योजना (गैर-योजना), 09-स्वर्णरेखा जलापूर्ति योजना (गैर-योजना), 102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम, 02-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (गैर-योजना) और 03-हस्तचालित नलकूप, तालाब एवं कुएं -उच्च प्रवाही नलकूप (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,79.06 लाख एवं ₹ 2,15.11 लाख की कुल बचत तथा ₹ 2,53.52 लाख एवं ₹ 4,85.43 लाख की निवल बचत, जो क्रमशः ₹ 37,53.00 लाख, ₹ 29,14.02 लाख, ₹ 34,89.49 लाख एवं ₹ 87,52.32 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

पूँजी :

(iii) ₹ 42,48.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 (₹ 1,75.00 लाख) और फरवरी 2014 (₹ 1,75.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(iv) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 22,00.08 लाख), अंतिम बचत (₹ 42,48.24 लाख) से ₹ 20,48.16 लाख कम था।

(v) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 जल पूर्ति			
	102 ग्रामीण जल पूर्ति			
	02 पाइपों से ग्रामीण जलपूर्ति योजना (योजना)			
	मूल 62,05.00}	55,28.73	50,54.20	-4,74.53
	पुनर्वि० -6,76.27}			
2.	106 मल-जल सेवाएं			
	07 ग्रामीण स्वच्छता (योजना)			
	मूल 8,75.00}	5,25.00	3,50.00	-1,75.00
	पुनर्वि० -3,50.00}			
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	02 ग्रामीण जलपूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 11,75.00}	8,84.21	3,87.16	-4,97.05
	पुनर्वि० -2,90.79}			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	07 ग्रामीण स्वच्छता (योजना)			
	मूल 1,75.00}	87.50	87.50	...
	पुनर्वि० -87.50}			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 ग्रामीण जलपूर्ति योजना (पाइपों से) (योजना)			
	मूल 55,35.00}			
	अनुपूरक 1,75.00}	53,28.33	45,96.55	-7,31.78
	पुनर्वि० -3,81.67}			
6.	04 20,000 आबादी तक के ग्रामीण क्षेत्र/उपनगरीय क्षेत्रों में जलपूर्ति (योजना)			
	मूल 50.00}	22.03	17.03	-5.00
	पुनर्वि० -27.97}			
7.	07 ग्रामीण स्वच्छता (योजना)			
	मूल 5,75.00}			
	अनुपूरक 1,75.00}	5,62.50	3,87.50	-1,75.00
	पुनर्वि० -1,87.50}			

उपर्युक्त सात मामलों में प्रत्याशित बचत एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 36 - क्रमांत

(vi) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01 जल पूर्ति			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
05 त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना (योजना)			
मूल	1,75.00}
पुनर्वि०	-1,75.00}		

सुसंगत शीर्ष के अन्तर्गत निधि का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण ₹ 1,75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

(vii) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01 जल पूर्ति			
102 ग्रामीण जल पूर्ति			
03 ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (योजना)			
मूल	40.00}	38.88	76.17
पुनर्वि०	-1.12}		+37.29

₹ 36.17 लाख के निवल अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 37 - राजभाषा विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			

राजस्व :

मूल	14,74,57}	14,74,59	14,17,51	-57,08
अनुपूरक	2}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014) 31

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 57.08 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध मात्र ₹ 0.31 लाख की राशि ही अभ्यर्पित किया गया।
- (ii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2053 जिला प्रशासन			
094 अन्य स्थापनाएं			
08 राजभाषा स्थापना (गैर-योजना)			
मूल	13,94.21}	13,81.59	13,26.02
पुनर्वि०	-12.62}		-55.57

पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12.62 लाख के प्रावधान में कटौती एवं ₹ 55.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 38 - निबंधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2030	स्टाम्प तथा पंजीकरण			
राजस्व :				
मूल	19,77,20}	22,89,20	18,76,65	-4,12,55
अनुपूरक	3,12,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (i) ₹ 4,12.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 3,12.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।
- (iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	02	स्टाम्प-न्यायिकेतर		
	101	स्टाम्पों की लागत		
1.	01	केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)		
	मूल	1,00.00}	3,68.00	1,18.59
	अनुपूरक	2,68.00}		-2,49.41

अनुदान संख्या - 38 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	02 प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00 } अनुपूरक 36.00 }	1,36.00	3.17	-1,32.83
3.	03 निबंधन 001 निदेशन तथा प्रशासन 02 जिला प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 13,01.02 }	13,01.02	10,60.70	-2,40.32
4.	04 अधीक्षण (योजना)			
	मूल 3,69.04 } अनुपूरक 8.00 }	3,77.04	1,67.87	-2,09.17

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 2,49.41 लाख, ₹ 1,32.83 लाख, ₹ 2,40.32 लाख एवं ₹ 2,09.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
01 स्टाम्प-न्यायिक 101 स्टाम्पों की लागत 01 केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (गैर-योजना)			
मूल 1,00.00 }	1,00.00	5,17.65	+4,17.65

₹ 4,17.65 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 39 - आपदा प्रबंधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
राजस्व :			
मूल	4,58,76,26}	4,64,06,17	3,16,07,21
अनुपूरक	5,29,91}		-1,47,98,96

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

(i) ₹ 1,47,98.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 5,04.00 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 2.71 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 23.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,29.91 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत का कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(iii) शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 05-आपदा राहत कोष, 101-आरक्षित निधि और जमा लेखों को अंतरण-राज्य आपदा राहत निधि, 05 राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र सरकार का योगदान (एस०डी०आर०एफ०) (गैर-योजना) एवं 06-राज्य आपदा मोचन निधि में राज्य सरकार का योगदान (एस०डी०आर०एफ०) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 5,36.50 लाख तथा ₹ 1,79.00 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 2,25,26.00 लाख और ₹ 75,08.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
	01 सूखा			
	101 आनुप्राहिक राहत			
1.	06 अन्य कार्य (गैर-योजना)			
	मूल	20,00.00}	20,00.00	4,91.45
				-15,08.55

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	02 बाढ़, चक्रवात आदि 101 आनुग्रहिक राहत 02 खाद्यान्न की आपूर्ति (गैर-योजना)	1,00.00	4.63	-95.37
3.	03 संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (गैर-योजना)	2,50.00	19.50	-2,30.50
4.	113 घर को मरम्मत/पुननिर्माण के लिए सहायता 02 बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापना (गैर-योजना)	15,00.00	2,54.75	-12,45.25
5.	03 आग से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापना (गैर-योजना)	50.00	15.88	-34.12
6.	114 कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता 01 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) (गैर-योजना)	75.00	6.27	-68.73

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	80 सामान्य			
	102 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध			
7.	01 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध (गैर-योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	7,62.61	-2,37.39

उपर्युक्त सात मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण रहत			
	01 सूखा			
	101 आनुग्रहिक रहत			
1.	01 निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद रहत (गैर-योजना)			
	मूल 15,00.00}	15,00.00	...	-15,00.00
2.	02 खाद्यान्न की आपूर्ति (गैर-योजना)			
	मूल 30,00.00}	30,00.00	...	-30,00.00
3.	07 कृषि इनपुट अनुदान (50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) (गैर-योजना)			
	मूल 15,00.00}	15,00.00	...	-15,00.00

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	102 पीने के पानी की पूर्ति 01 ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की दुलाई (गैर-योजना)	10,00.00	...	-10,00.00
	मूल 10,00.00 }	10,00.00	...	-10,00.00
5.	02 पीने के पानी की पूर्ति (गैर-योजना)	10,00.00	...	-10,00.00
	मूल 10,00.00 }	10,00.00	...	-10,00.00
6.	104 चारे की पूर्ति 01 चारे की पूर्ति (गैर-योजना)	2,00.00	...	-2,00.00
	मूल 2,00.00 }	2,00.00	...	-2,00.00
7.	282 लोक स्वास्थ्य 01 दवाओं की आपूर्ति (गैर-योजना)	15,00.00	...	-15,00.00
	मूल 15,00.00 }	15,00.00	...	-15,00.00
8.	02 बाढ़, चक्रवात आदि 101 आनुग्रहिक राहत 01 निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद राहत (गैर-योजना)	50.00	...	-50.00
	मूल 50.00 }	50.00	...	-50.00
9.	105 पशु चिकित्सा 01 पशुओं के लिए दवा (गैर-योजना)	50.00	...	-50.00
	मूल 50.00 }	50.00	...	-50.00
10.	282 लोक स्वास्थ्य 01 मानव दवाओं की आपूर्ति (गैर-योजना)	1,00.00	...	-1,00.00
	मूल 1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	80 सामान्य			
	101 विनाश का सामना करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र			
11.	02 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता संवर्धन का विकास (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	...	-2,00.00
	102 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध			
12.	02 संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निष्कासन संबंधी उपकरणों की उपलब्धि (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
13.	02 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता प्रबंधन का विकास (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
14.	02 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता प्रबंधन का विकास (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	...	-2,50.00

उपर्युक्त चौदह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(v) आपदा राहत निधि/राज्य आपदा मोचन निधि:

9वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा राहत सहायता देने की योजना बनायी। यह योजना वित्तीय वर्ष 1990-91 में लागू हुई तथा वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक जारी 10वें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना को 1995-96 से जारी रखने की अनुशंसा की तथा यह वित्तीय वर्ष 1999-2000 तक जारी रही। पुनः 11वें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना को कुछ संशोधनों के साथ वर्ष 2004-05 तक जारी रखने की अनुशंसा की है। इसके साथ ही 12वें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि के प्रशासन एवं संचालन की योजना को वर्ष 2005-2010 के अंत तक जारी रखा है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), ने अपने पत्र संख्या 32-3/2010 एन०डी०एम०-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 के द्वारा 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 46 (I) एवं धारा 48 (I) (ए) के अधीन वर्ष 2014-15 के अन्त तक एक राज्य आपदा मोचन निधि को स्थापित करने की अनुशंसा की। इस योजना के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि की स्थापना राज्य सरकार द्वारा किया गया। आपदा मोचन निधि में 31 मार्च 2010 के शेष को राज्य आपदा मोचन निधि में स्थानान्तरित किया जायेगा तथा आपदा मोचन निधि का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ, भारत सरकार द्वारा जारी उसके विपरीत अनुदेशों तक, निम्नलिखित में एक अथवा एक से अधिक साधनों में किया जाना चाहिए।

- (क) केन्द्रीय सरकार के दिनांकित प्रतिभूति;
- (ख) नीलाम किए गए खजाना विपत्रों;
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट; और
- (घ) सहकारी बैंकों में ब्याज वाले जमा

झारखण्ड के राज्य आपदा मोचन निधि के लिए वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वार्षिक अंशदान की राशि निम्नलिखित होगी:-

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	जोड़
			(करोड़ रुपयों में)			
केन्द्रांश (75 प्रतिशत)	1,94.59	2,04.32	2,14.53	2,25.26	2,36.52	10,75.22
राज्यांश (25 प्रतिशत)	64.86	68.10	71.51	75.08	78.84	3,58.39
जोड़	2,59.45	2,72.42	2,86.04	3,00.34	3,15.36	14,33.61

अनुदान संख्या - 39 - क्रमान्त

वर्ष 2013-14 के लिये, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र संख्या- एफ 23 (3) एफ०सी०डी०/2010 -47 दिनांक 08.01.2014 एवं एफ० 23(3) एफ०सी०डी०/2010-62 दिनांक 29.03.2014 के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त, प्रत्येक के लिये ₹ 1,12.63 करोड़ के रूप में विमुक्त किया। फिर भी, राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 के लिये द्वितीय किश्त (₹ 1,07.27 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 35.75 करोड़ का राज्यांश) तथा वर्ष 2013-14 के लिये प्रथम किश्त (₹ 1,12.63 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 37.54 करोड़ का राज्यांश) के रूप में 2,93.19 करोड़ की निधि में स्थानान्तरण हेतु संस्वीकृति निर्गत किया। अतः वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 2,93.19 करोड़ को राज्य आपदा मोचन निधि में जमा किया गया। वर्ष 2013-14 के लिये एस०डी०आर०एफ० की दूसरी किश्त का निधि में स्थानान्तरण नहीं किया गया। फलस्वरूप वित्त लेखे, 2013-14 में एस०डी० आर० एफ० के शेष के अन्तर्गत ₹ 1,50.17 करोड़ कम रखा गया।

वर्ष 2013-14 के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची ने राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस०डी०आर०एफ०) समिति की सहमति से संस्वीकृति प्रदान किया। (i) स्वीकृत्यादेश, (ii) राज्य आपदा मोचन निधि समिति का अनुमोदन एवं (iii) वित्त लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान किये गये वास्तविक व्यय के जाँचोपरान्त वर्ष 2013-14 से संबंधित ₹ 21.29 करोड़, जो कि राज्य आपदा मोचन निधि से समायोजन हेतु मापदण्डों को पूरा करने के लिये था। तदनुसार, वर्ष 2013-14 के लेखे के दौरान मुख्य शीर्ष “2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत” को प्रतिस्पर्शी घटाव नामे के द्वारा निधि में ₹ 21.29 करोड़ नामे किया गया।

12वें वित्त आयोग के समय सीमा समाप्त होने तक ‘8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ’ के अन्तर्गत ₹ 3.47 करोड़ बकाया शेष था। 13वें वित्त आयोग के अनुशांसा तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का तदसंबंधित आदेश के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि (एस०डी०आर०एफ०) के संचालन हेतु उपरोक्त शेष राशि ‘ब्याज रहित आरक्षित निधि’ से ‘ब्याज सहित आरक्षित निधि’ में अंतरित किया गया है।

अतः 31 मार्च 2014 को राज्य आपदा मोचन निधि का अन्त शेष ₹ 5,91.56 करोड़ हुआ।

**अनुदान संख्या - 40 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2029 भू-राजस्व			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2506 भूमि सुधार			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय			
5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	3,97,16,56}	3,97,44,88	2,71,77,94	-1,25,66,94
अनुपूरक	28,32}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,57,45
(17 फरवरी 2014 : 6,37,25				
25 मार्च 2014 : 20,20)				

पूंजी :

मूल	1,43,63}	1,43,63	...	-1,43,63
अनुपूरक	शून्य }			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(i) ₹ 1,25,66.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 4.82 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 11.50 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 12.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 28.32 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,57.45 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,25,66.94 लाख) से ₹ 1,19,09.49 लाख कम था।

(iii) शीर्ष 2053-जिला प्रशासन, 093-जिला स्थापनाएं, 01-जिला प्रशासन (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,01.82 लाख की बचत, जो कि ₹ 54,89.29 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2029 भू-राजस्व 102 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य 15 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण (गैर-योजना)	22,75.26	19,74.58	-3,00.68
	मूल 22,67.46 } अनुपूरक 7.80 }			
2.	104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध 01 राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़न दस्ता और सैरात रेमीशन कमिटी सहित) (गैर-योजना)	1,62,39.77	1,44,28.95	-18,10.82
	मूल 1,62,34.95 } अनुपूरक 4.82 }			
3.	07 सैरात के अन्तर्गत हाट, बाजार, मेला, तालाब, नदी-घाटी आदि का विकास (योजना)	40.00	5.14	-34.86
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (के०यो०यो०)	5,82.00	1,17.64	-4,64.36
	मूल 5,82.00 }			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 3,00.68 लाख, ₹ 18,10.82 लाख, ₹ 34.86 लाख एवं ₹ 4,64.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	11 राजस्व कचहरी एवं दामिन बंगला निर्माण/जीर्णोद्धार के लिये (योजना)			
	मूल 5,75.80}	4,35.80	3,98.56	-37.24
	पुनर्वि० -1,40.00}			
<p>₹ 1,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्थान पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अंचलाधिकारी आवास का निर्माण कराये जाने के कारण हुई थी। ₹ 37.24 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
6.	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं 092 अन्य कार्यालय 04 भू-अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार (गैर-योजना)			
	मूल 8,75.66}	8,64.66	6,64.52	-2,00.14
	पुनर्वि० -11.00}			
<p>लघु शीर्ष '099-राजस्व बोर्ड' के अन्तर्गत (i) वेतन इकाई के उप शीर्ष 01-सामान्य विभाग (₹ 8.00 लाख) एवं (ii) यात्रा भत्ता इकाई के उपशीर्ष 04-भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय (₹ 3.00 लाख) में निधि की अभिवृद्धि हेतु ₹ 11.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 2,00.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
7.	2053 जिला प्रशासन 094 अन्य स्थापनाएं 01 अनुमंडलीय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 28,29.03}	28,29.03	23,76.90	-4,52.13
8.	04 प्रमाण-पत्र स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 2,08.86}	2,08.86	1,54.13	-54.73
9.	05 प्रक्रिया पालक स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 3,96.95}	3,96.95	3,57.08	-39.87

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	101 आयुक्त 01 मुख्य कार्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 6,31.38} अनुपूरक 2.00}	6,33.38	5,45.71	-87.67
11.	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि 03 सर्किट भवन (गैर-योजना)			
	मूल 4,13.59}	4,13.59	2,26.11	-1,87.48

उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2029 भू-राजस्व 102 सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य 04 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 14,75.00}	14,75.00	...	-14,75.00
2.	04 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू- अभिलेखों का अद्यतीकरण (योजना)			
	मूल 14,75.00}	14,75.00	...	-14,75.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्येक के ₹ 14,75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	11 राजस्व कचहरी एवं दामिन बैंगला निर्माण/ जीर्णोद्धार के लिये (योजना)			
	मूल 4,00.00}	14.75	...	-14.75
	पुनर्वि० -3,85.25}			
<p>₹ 3,85.25 लाख की प्रत्याशित बचत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्थान पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अंचलाधिकारी आवास का निर्माण कराये जाने के कारण हुई थी। ₹ 14.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
4.	103 भू-अभिलेख 01 भू-अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण (के०यो०यो०)			
	मूल 3,88.00}	3,88.00	...	-3,88.00
<p>₹ 3,88.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
5.	104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध 01 राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़न दस्ता एवं सैरात रेमीशन कमिटी सहित) (योजना)			
	मूल 36.00}
	पुनर्वि० -36.00}			
<p>प्रशासनिक संवर्ग समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।</p>				
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 04 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 22,12.00}	22,12.00	-22,12.00

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	04 राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण (योजना)			
	मूल 22,12.00}	22,12.00	...	-22,12.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्येक के ₹ 22,12.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

8.	06 बन्दोबस्त कार्यालय भवन का निर्माण/जीर्णोद्धार के लिए (योजना)			
	मूल 60.00}
	पुनर्वि० -60.00}			

बन्दोबस्त कार्यालयों से प्रस्ताव एवं प्राक्कलन प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

9.	07 सैरात के अन्तर्गत हाट, बाजार, मेला, तालाब, नदी घाटी आदि का विकास (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	...	-60.00

₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 40 - कमांत

पूँजी :

(v) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4059 लोक निर्माण कार्यो पर पूँजीगत परिव्यय			
01 कार्यालय भवन			
201 भूमि का अधिग्रहण			
55 सरकारी कार्य-भवन हेतु भूमि का अधिग्रहण (गैर-योजना)			
मूल 1,43.61 }	1,43.61	...	-1,43.61

₹ 1,43.61 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 41 - पथ निर्माण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
3054 सड़क तथा सेतु			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	2,77,11,40}	2,78,43,62	2,19,70,82	-58,72,80
अनुपूरक	1,32,22}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			99,73
(30 नवम्बर 2013 : 1,00			
14 फरवरी 2014 : 98,73)			

पूंजी :

मूल	17,75,94,06}	22,25,94,06	18,77,25,81	-3,48,68,25
अनुपूरक	4,50,00,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,50,00,00
(13 फरवरी 2014)			

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 58,72.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 (₹ 33.49 लाख) तथा फरवरी 2014 (₹ 98.73 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,32.22 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 99.73 लाख), अंतिम बचत (₹ 58,72.80 लाख) से ₹ 57,73.07 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 01-निदेशन (गैर-योजना) एवं 02-कार्य सम्पादन (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 85.76 लाख एवं ₹ 4,15.24 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 8,90.94 लाख एवं ₹ 59,23.59 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	3054	सड़क तथा सेतु			
	01	राष्ट्रीय राजमार्ग			
	337	सड़क निर्माण-कार्य			
	01	राष्ट्रीय उच्च पथों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (गैर-योजना)			
	मूल	14,75.00}	14,75.00	1,50.29	-13,24.71
₹ 13,24.71 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।					
2.	03	राज्य राजमार्ग			
	337	सड़क निर्माण-कार्य			
	01	सड़क निर्माण-कार्य (गैर-योजना)			
		मूल	1,50,00.00}	1,49,87.00	1,14,39.86
	पुनर्वि०	-13.00}			
₹ 35,60.14 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।					
3.	80	सामान्य			
	001	निदेशन एवं प्रशासन			
	02	कार्य सम्पादन (योजना)			
		मूल	95.85}	95.85	72.84
4.	03	अनुश्रवण (योजना)			
		मूल	1,51.56}	1,51.56	1,07.69

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	04 अधीक्षण (योजना)			
	मूल 73.53}	73.53	35.28	-38.25
6.	07 राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-अधीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 2,01.10}	2,01.10	1,49.07	-52.03
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 23.01 लाख, ₹ 43.87 लाख, ₹ 38.25 लाख एवं ₹ 52.03 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
7.	08 राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-कार्य सम्पादन (गैर-योजना)			
	मूल 14,30.98}			
	अनुपूरक 1.51}	14,26.27	12,77.36	-1,48.91
	मूल -6.23}			
₹ 1,55.14 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 कार्य सम्पादन (योजना)			
	मूल 4,07.57}	4,07.57	3,48.65	-58.92
9.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 12 पथ निर्माण विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,66.60}	1,66.60	1,25.43	-41.17

उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 58.92 लाख एवं ₹ 41.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

पूंजी :

(iv) ₹ 3,48,68.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 4,50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,50,00.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,48,68.25 लाख) से ₹ 98,68.25 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03 राज्य राजमार्ग 052 मशीनरी तथा उपस्कर 06 मशीनरी तथा उपस्कर (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	36.08	-2,13.92
2.	101 सेतु 03 पुल (योजना)			
	मूल 70,00.00}	70,00.00	60,77.03	-9,22.97
3.	337 सड़क निर्माण-कार्य 01 वृहद सड़कें (योजना)			
	मूल 3,65,00.00} अनुपूरक 2,50,00.00}	6,15,00.00	5,04,97.42	-1,10,02.58

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 2,13.92 लाख, ₹ 9,22.97 लाख तथा ₹ 1,10,02.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	08 वृहद् सड़कें-राज्य राजमार्ग के सड़कों का 2-4 लेन का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु एशियन विकास बैंक से उधार (योजना)			
	मूल 70,00.00}	20,00.00	18,93.23	-1,06.77
	पुनर्वि० -50,00.00}			
	₹ 51,06.77 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 पुल (योजना)			
	मूल 1,04,00.00}	1,04,00.00	65,45.30	-38,54.70
6.	06 मशीनरी तथा उपस्कर (योजना)			
	मूल 4,17.00}	4,17.00	2,19.27	-1,97.73
	उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 38,54.70 लाख एवं ₹ 1,97.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
7.	08 वृहद् सड़कें-राज्य राजमार्ग के सड़कों का 2-4 लेन का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु एशियन विकास बैंक से उधार (योजना)			
	मूल 4,04,40.00}	2,04,40.00	1,81,39.81	-23,00.19
	पुनर्वि० -2,00,00.00}			
	₹ 2,23,00.19 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(vii) शीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 03-राज्य राजमार्ग, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-मुख्य सड़कें (योजना) के अन्तर्गत ₹ 25,86.31 लाख का अंतिम अधिक व्यय, जो कि ₹ 6,80,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे निम्नलिखित मामले में बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया: -

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03 राज्य राजमार्ग			
799 उच्चत			
01 विविध निर्माण कार्य अग्रिम (योजना)	...	61,44.31	+61,44.31

₹ 61,44.31 लाख के बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सुचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(viii) उच्चत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 61,44.31 लाख (निवल) का उपयोग “उच्चत” शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2013 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2014 को अन्तशेष
(लाख रुपयों में)					
(i) 3054-सड़क तथा सेतु विविध निर्माण कार्य अग्रिम	4,77.61	4,77.61
जोड़	4,77.61	4,77.61
(ii) 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय विविध निर्माण कार्य अग्रिम	4,55,52.08	74,60.09	13,15.78	61,44.31	5,16,96.39
जोड़	4,55,52.08	74,60.09	13,15.78	61,44.31	5,16,96.39

(ix) केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान :-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों से लिया जाता है। इस निधि में अन्तरण के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किये गए राशि केन्द्रीय सरकार के लेखे में मुख्य शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु" में प्रतिस्पर्शी नामों द्वारा शीर्ष "8224-केन्द्रीय सड़क निधि" में जमा की जाती है। इस राशि में से 80 प्रतिशत राज्य सरकार को आवंटित की जाती है। इस निधि से आवंटन तथा उनमें से व्यय के लिए लेखाकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है:-

राज्य सरकार की अंतरित राशि केन्द्रीय बुक में मुख्य शीर्ष '3601-राज्य सरकार को सहायक अनुदान' में डेबिट किया जाता है। प्राप्त की गई राशि को राज्य सरकार के लेखे में शीर्ष '1601-केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान' में क्रेडिट किया जाता है। प्राप्त की गई आवंटित राशि शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु, 80-सामान्य, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण" में प्रतिस्पर्शी नामों द्वारा शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" में जमा किया जाता है।

योजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय को प्रारंभ में शीर्ष '3054/5054' में पुस्तांकित किया जाता है एवं अन्ततः केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" के शेष से किया जाता है, इसे मुख्य शीर्ष "3054/5054 लघु शीर्ष, 902-जमा शीर्ष से पूरी की गई राशि" में प्रतिस्पर्शी ऋणात्मक डेबिट द्वारा शीर्ष "8449-अन्य जमा" में डेबिट करते हुए लेखांकित किया जाता है।

राज्य सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया यद्यपि, वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार से ₹ 46,14.00 लाख प्राप्त किया। शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" में अन्तरण के लिए "शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण" के अन्तर्गत अनुपूरक बजट, 2014-15 में समुचित बजट प्रावधान किए जाने हेतु इस मामले को सड़क निर्माण विभाग तथा वित्त विभाग के समक्ष रखा गया है।

अनुदान संख्या - 41 - क्रमांत

(x) पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा:

लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण-कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 तक के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण-कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है:-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता (लाख रुपयों में)	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार की प्रतिशतता
2011-12	8,27,07.42	25,31.22	3.06	5.54	...
2012-13	16,91,46.78	91,67.76	5.42	3,10.06	0.18
2013-14	19,29,16.31	98,64.43	5.11	2,55.35	0.13

**अनुदान संख्या - 42 - ग्रामीण विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2053	जिला प्रशासन		
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2505	ग्राम रोजगार		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	7,56,60,37}	7,56,87,41	5,38,75,89	-2,18,11,52
अनुपूरक	27,04}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				8,54,03
(17 जुलाई 2013 :	4,37,98			
28 नवम्बर 2013 :	4,00,00			
11 दिसम्बर 2013 :	3,20			
13 फरवरी 2014 :	12,85)			

पूंजी :

मूल	5,99,00,00}	5,99,00,00	2,49,41,97	-3,49,58,03
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,37,73,67
---	--	--	--	------------

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 2,18,11.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 27.04 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,54.03 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,18,11.52 लाख) से ₹ 2,09,57.49 लाख कम था।

(iii) शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास, 10-उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,79.50 लाख की कुल बचत, जो कि ₹ 1,46,71.97 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	02	सुखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
	101	लघु सिंचाई			
	01	सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (योजना)			
	मूल	5,88.00}	5,88.00	1,59.76	-4,28.24
2.	789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
	01	सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (योजना)			
	मूल	1,80.00}	1,80.00	49.00	-1,31.00
3.	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	01	सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (योजना)			
	मूल	4,32.00}	4,32.00	1,18.00	-3,14.00
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 4,28.24 लाख, ₹ 1,31.00 लाख एवं ₹ 3,14.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।					
4.	03	सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम-जल छाजन निदेशालय (योजना)			
	मूल	1,50.00}	1,46.80	49.44	-97.36
	पुनर्वि०	-3.20}			

₹ 3.20 लाख की प्रत्याशित बचत संविदा के आधार पर नियुक्त दो चालकों के वेतन का भुगतान हेतु शीर्ष "08-संविदा भत्ता" के अन्तर्गत निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण हुई थी। ₹ 97.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
5.	06 स्वरोजगार कार्यक्रम 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)	13,95.00}	13,95.00	5,20.40	-8,74.60
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (योजना)	11,78.00}	11,78.00	7,56.66	-4,21.34
7.	04 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी०आर०डी०ए० प्रशासन (योजना)	10,50.00}	10,50.00	2,14.44	-8,35.56
8.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)	28,80.00}	28,80.00	8,91.17	-19,88.83
9.	06 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का सुदृढीकरण (योजना)	1,65.00}	1,65.00	96.02	-68.98
10.	800 अन्य व्यय 01 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (योजना)	11,77.00}	11,77.00	2,86.22	-8,90.78

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	04 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी०आर०डी०ए० प्रशासन (योजना)			
	मूल 9,50.00}	9,50.00	2,00.93	-7,49.07
12.	05 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 39,20.00}	39,20.00	17,96.00	-21,24.00
13.	06 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,35.00}	1,35.00	48.09	-86.91
	2505 ग्राम रोजगार			
	01 राष्ट्रीय कार्यक्रम			
	702 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना			
14.	02 इंदिरा आवास योजना - सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 80,85.00}	80,85.00	42,08.34	-38,76.66
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
15.	02 इंदिरा आवास योजना - सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 24,75.00}	24,75.00	16,04.24	-8,70.76
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
16.	01 नरेगा-मुख्यालय स्थापना (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	75.69	-74.31

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
17.	02 इंदिरा आवास योजना - सामान्य के लिए योजना (योजना)			
	मूल 59,40.00}	59,40.00	51,34.70	-8,05.30
18.	03 इंदिरा आवास के लिए प्रशासनिक व्यय (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	16.54	-33.46
19.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102 सामुदायिक विकास 17 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- प्रखंड भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 4,95.00}	4,95.00	2,84.85	-2,10.15
20.	28 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- आदर्श ग्राम योजना (योजना)			
	मूल 22,05.00}	22,05.00	3,67.20	-18,37.80
21.	34 प्रखण्ड कार्यालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 5,50.00}	5,50.00	65.00	-4,85.00
22.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 28 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- आदर्श ग्राम योजना (योजना)			
	मूल 6,75.00}	6,75.00	1,37.70	-5,37.30

उपर्युक्त अठारह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
23.	796 09 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना कर्मचारियों पर प्रशिक्षण व्यय (योजना)			
	मूल 2,50.00}			
	अनुपूरक 12.00}	2,49.15	1,75.45	-73.70
	पुनर्वि० -12.85}			
₹ 86.55 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
24.	17 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- प्रखंड भवनों का निर्माण (योजना)			
	मूल 6,05.00}	6,05.00	2,40.90	-3,64.10
25.	28 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- आदर्श ग्राम योजना (योजना)			
	मूल 16,20.00}	16,20.00	4,31.10	-11,88.90
26.	34 प्रखंड कार्यालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 4,50.00}	4,50.00	48.75	-4,01.25

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 3,64.10 लाख, ₹ 11,88.90 लाख एवं ₹ 4,01.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2501 ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम 06 स्वरोजगार कार्यक्रम 101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 07 युवा कौशल विकास योजना (योजना)	50.00	...	-50.00
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 07 युवा कौशल विकास योजना (योजना)	35.00	...	-35.00
3.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102 सामुदायिक विकास 08 मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (ख)-ग्रामीण विकास (विशेष प्रमण्डलीय स्थापना) (गैर-योजना)	80.08	...	-80.08
4.	29 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड-ग्रामीण आवास (योजना)	2,45.00	...	-2,45.00

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 50.00 लाख, ₹ 35.00 लाख, ₹ 5,18.06 लाख एवं ₹ 2,45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	30 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड (योजना)			
	मूल 2,45.00}	49.00	...	-49.00
	पुनर्वि० -1,96.00}			

₹ 1,96.00 लाख की प्रत्याशित बचत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सेतु योजना का संपादन किये जाने के फलस्वरूप डी.पी.आर. बनाने के लिये परामर्श शुल्क की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹ 49.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

6.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	29 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- ग्रामीण आवास (योजना)			
	मूल 75.00}	75.00	...	-75.00

₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

7.	30 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड (योजना)			
	मूल 75.00}	15.00	...	-15.00
	पुनर्वि० -60.00}			

₹ 60.00 लाख की प्रत्याशित बचत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सेतु योजना का संपादन किये जाने के फलस्वरूप डी.पी.आर. बनाने के लिए परामर्श शुल्क की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹ 15.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	29 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड- ग्रामीण आवास (योजना)			
	मूल 1,80.00}	1,80.00	...	-1,80.00

₹ 1,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	30 उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड (योजना)			
	मूल 1,80.00}	36.00	...	-36.00
	पुनर्वि० -1,44.00}			

₹ 1,44.00 लाख की प्रत्याशित बचत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सेतु योजना का संपादन किये जाने के फलस्वरूप डी.पी.आर. बनाने के लिये परामर्श शुल्क की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई थी। ₹ 36.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूंजी:

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,37,73.67 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,49,58.03 लाख) से ₹ 2,11,84.37 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
103 ग्राम विकास			
21 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रखण्ड स्तर पर भवन का निर्माण (योजना)			
मूल 30,37.50}	30,37.50	25,53.98	-4,83.52

₹ 4,83.52 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 103 ग्राम विकास 07 मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (योजना)	9,77.72	...	-9,77.72
	मूल 21,00.00 } पुनर्वि० -11,22.28 }			
2.	10 मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (योजना)	91,01.84	...	-91,01.84
	मूल 1,49,69.50 } पुनर्वि० -58,67.66 }			
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 10 मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (योजना)
	मूल 45,82.50 } पुनर्वि० -45,82.50 }			
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 07 मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (योजना)	20,63.15	...	-20,63.15
	मूल 41,00.00 } पुनर्वि० -20,36.85 }			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	10 मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (योजना)			
	मूल 1,09,98.00}	1,08,33.62	...	-1,08,33.62
	पुनर्वि० -1,64.38}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(viii) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 09-विधायकों की अनुशंसा पर योजनाओं का कार्यान्वयन के अन्तर्गत ₹ 35.00 लाख का अधिक व्यय, जो कि ₹ 71,28.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
12 विधायकों की अनुशंसा पर लोक जल समृद्धि योजना का कार्यान्वयन (योजना)			
मूल 23,76.00}	23,76.00	46,16.49	+22,40.49

₹ 22,40.49 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 42 - क्रमांत

(ix) उचंत लेन-देन:

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई भी राशि शीर्ष 'उचंत', जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है, के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियां से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2013 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2014 का अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	0.01	0.01
जोड़	0.01	0.01
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	1,69.16	1,69.16
जोड़	1,69.16	1,69.16

**अनुदान संख्या - 43 - विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2203	तकनीकी शिक्षा			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	72,18,72}	73,18,52	54,73,40	-18,45,12
अनुपूरक	99,80}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (फरवरी 2014)				10,00,00
पूंजी :				
मूल	1,70,15,00}	1,70,15,00	52,56,35	-1,17,58,65
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (फरवरी 2014)				92,60,00
टीका एवं टिप्पणियाँ :				
राजस्व:				
(i)	₹ 18,45.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 99.80 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।			
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,00.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 18,45.12 लाख) से ₹ 8,45.12 लाख कम था।			

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, 105-बहुशिल्प (पॉलिटेक्नीक) विद्यालय, 01-डिप्लोमा पाठ्यक्रम अन्तर्निर्दिष्ट (सैंडवीच) पाठ्यक्रम सहित (गैर-योजना) एवं 112-इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, 45-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 59.24 लाख एवं ₹ 68.25 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 19,63.87 लाख एवं ₹ 17,52.26 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 001 निदेशन एवं प्रशासन 01 तकनीकी शिक्षा निदेशालय (गैर-योजना)			
	मूल 1,61.04}			
	अनुपूरक 24.80}	1,85.84	1,43.26	-42.58
	₹ 42.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 05 बीआईटी मेसरा, राँची- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,60.00}	2,00.00	2,00.00	...
	पुनर्वि० -60.00}			
	₹ 60.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
3.	800 अन्य व्यय 51 तकनीकी शिक्षा अन्य व्यय- निदेशन एवं प्रशासन (योजना)			
	मूल 1,40.60}	1,40.60	63.16	-77.44
4.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 03 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,04.76}	1,04.76	69.01	-35.75

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 77.44 लाख एवं ₹ 35.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 003 प्रशिक्षण 84 स्कील डेवलपमेंट (योजना)			
	मूल 37.00}	37.00	...	-37.00
2.	004 अनुसंधान 05 बी.आई.टी. मेसरा, राँची- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 7,40.00}
	पुनर्वि० -7,40.00}			
3.	42 संयुक्त प्रक्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,48.00}
	पुनर्वि० -1,48.00}			
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 42 संयुक्त प्रक्षेत्र में तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 52.00}
	पुनर्वि० -52.00}			
5.	47 बाह्य संपोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम - सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 78.00}	78.00	...	-78.00

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	800 अन्य व्यय 46 राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद (योजना)			
	मूल 66.60}	66.60	...	-66.60
7.	47 बाह्य संपोषित योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम-सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,22.00}	2,22.00	...	-2,22.00
8.	70 इंस्टीट्यूशन नेटवर्किंग और सहयोग (योजना)			
	मूल 37.00}	37.00	...	-37.00

उपर्युक्त आठ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूंजी :

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 92,60.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,17,58.65 लाख) से ₹ 24,98.65 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः

(vi) शीर्ष 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 02-तकनीकी शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग, 06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेकनीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,37.09 लाख की बचत, जो कि ₹ 29,00.30 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02 तकनीकी शिक्षा 105 इंजीनियरी/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान 06 तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेकनीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 82,54.70}	32,54.70	24,43.14	-8,11.56
	पुनर्वि० -50,00.00}			
	₹ 58,11.56 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
2.	71 अभियंत्रण/पॉलिटेकनीक में महिला छात्रावास का निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 80.00}	80.00	50.00	-30.00
	₹ 30.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			

अनुदान संख्या - 43 - क्रमांत

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02 तकनीकी शिक्षा 105 इंजीनियरी/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान 04 तकनीकी विश्वविद्यालय (योजना)			
	मूल 1,92.40 } पुनर्वि० -1,92.40 }
2.	06 तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटैकनीक/खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (के०यो०यो०)			
	मूल 55,00.00 } पुनर्वि० -40,00.00 }	15,00.00	...	-15,00.00
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 71 अभियंत्रण/पॉलिटैकनीक में महिला छात्रावास निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 20.00 }	20.00	...	-20.00
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 04 तकनीकी विश्वविद्यालय (योजना)			
	मूल 67.60 } पुनर्वि० -67.60 }

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 1,92.40 लाख, ₹ 55,00.00 लाख, ₹ 20.00 लाख एवं ₹ 67.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 44 - मानव संसाधन विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2202	सामान्य शिक्षा			
2205	कला एवं संस्कृति			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
राजस्व :				
मूल	37,63,33}	37,71,51	37,06,10	-65,41
अनुपूरक	8,18}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,96
(22 मई 2013	: 3,78			
7 जनवरी 2014	: 18)			

टीका और टिप्पणियाँ :

- (i) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3.96 लाख), अंतिम बचत (₹ 65.41 लाख) से ₹ 61.45 लाख कम था।
- (ii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2202	सामान्य शिक्षा			
05	भाषा विकास			
103	संस्कृत शिक्षा			
02	राजकीय संस्कृत विद्यालय (गैर-योजना)			
मूल	1,36.30}	1,19.17	1,06.78	-12.39
पुनर्वि०	-17.13}			

निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 17.13 लाख की कटौती की गई।

**अनुदान संख्या - 45 - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2203 तकनीकी शिक्षा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	68,76,17}	1,03,61,17	84,36,95	-19,24,22
अनुपूरक	34,85,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(6 फरवरी 2014)

8,36,04

पूंजी :

मूल	32,46,00}	32,46,00	2,17,89	-30,28,11
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(6 मार्च 2014)

28,00,00

टीका और टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(i) ₹ 19,24.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 15.00 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 34,70.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 34,85.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,36.04 लाख), अंतिम बचत (₹ 19,24.22 लाख) से ₹ 10,88.18 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 10-राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,07.58 लाख की बचत, जो कि ₹ 11,50.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 001 निदेशन एवं प्रशासन 21 ई-गवर्नेंस-सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (योजना)			
	मूल 11,00.00}	7,00.00	4,58.57	-2,41.43
	पुनर्वि० -4,00.00}			

₹ 6,41.43 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

2.	55 ई-प्रोक्वोरमेन्ट (योजना)			
	मूल 2,05.00}	49.82	49.82	...
	पुनर्वि० -1,55.18}			

₹ 1,55.18 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

3.	63 ई-गवर्नेंस-आपदा प्रबंधन/ गृह/स्वास्थ्य आदि सभी विभागों के लिए ग्रीवांस एवं एमरजेंसी सर्विस हेतु कॉल सेन्टर की स्थापना (योजना)			
	मूल 85.00}	60.00	27.41	-32.59
	पुनर्वि० -25.00}			

₹ 57.59 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

4.	64 ई-गवर्नेंस एवं एमरजेंसी सर्विस के सम्बन्ध में सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से कॉल सेन्टर की स्थापना (योजना)			
	मूल 85.00}	30.00	56.70	+ 26.70
	पुनर्वि० -55.00}			

₹ 55.00 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 26.70 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5	71 कम्प्यूटर प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 60.00}	29.00	9.68	-19.32
	पुनर्वि० -31.00}			

₹ 30.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों, ₹ 1.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई कमी एवं ₹19.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

6	86 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना (योजना)			
	मूल 2,00.00}	1,00.00	1,00.00	...
	पुनर्वि० -1,00.00}			

₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2203 तकनीकी शिक्षा 001 निदेशन एवं प्रशासन 65 आई.टी. पार्क की स्थापना (योजना)			
	मूल 20.00}
	पुनर्वि० -20.00}			
2.	68 आई०आई०आई०टी० की स्थापना (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० - 50.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 20.00 लाख तथा ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	85 स्कील डेवलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (योजना)			
	मूल 40.00 }	40.00	...	-40.00
4.	88 पैट/फैट गैप का भुगतान (योजना)			
	मूल 6,00.00 }	6,00.00	...	-6,00.00
5.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	85 स्कील डेवलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (योजना)			
	मूल 20.00 }	20.00	...	-20.00
6.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	85 स्कील डेवलपमेंट (युवाओं के लिए कार्यक्रम) (योजना)			
	मूल 40.00 }	41.00	...	-41.00
	पुनवि० 1.00 }			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 40.00 लाख, ₹ 6,00.00 लाख, ₹ 20.00 लाख तथा ₹ 41.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

पूँजी :

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 28,00.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 30,28.11 लाख) से ₹ 2,28.11 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकुद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 02 तकनीकी शिक्षा 105 इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान 69 आई.आई.आई.टी. का निर्माण (योजना)			
	मूल 7,50.00}	2,00.00	1,61.65	-38.35
	पुनर्वि० -5,50.00}			
2.	70 साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण (योजना)			
	मूल 18,00.00}	1,50.00	21.53	-1,28.47
	पुनर्वि० -16,50.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 5,88.35 लाख तथा ₹ 17,78.47 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
3.	72 स्टेट डाटा सेंटर (भवन) का निर्माण (योजना)			
	मूल 96.00}	96.00	34.71	-61.29

₹ 61.29 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 45 - क्रमांत

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकुद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 तकनीकी शिक्षा			
	105 इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान			
	73 आई०टी० भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 2,00.00 }
	पुनर्वि० -2,00.00 }			
2.	74 आई०टी० पार्क का निर्माण (योजना)			
	मूल 4,00.00 }
	पुनर्वि० -4,00.00 }			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,00.00 लाख तथा ₹ 4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।

**अनुदान संख्या - 46 - पर्यटन विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3452	पर्यटन			
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	9,31,45}	9,94,40	8,41,60	-1,52,80
अनुपूरक	62,95}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				1,34,11
पूंजी :				
मूल	18,25,00}	18,25,00	15,44,55	-2,80,45
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				2,70,45
टीका और टिप्पणियाँ :				
राजस्व:				
(i)	₹ 1,52.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 62.95 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।			
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,34.11 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,52.80 लाख) से ₹ 18.69 लाख कम था।			

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3451 सचिवालय- आर्थिक सेवाएं			
	090 सचिवालय			
	15 पर्यटन विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,02.17}			
	अनुपूरक 39.70}	1,18.65	1,18.65	...
	पुनर्वि० -23.22}			

₹ 23.22 लाख की प्रत्याशित बचत पर्यटन सचिव के स्थापना का स्थानांतरण अन्य विभाग में होने के कारण हुई थी।

2.	3452 पर्यटन			
	80 सामान्य			
	104 संवर्धन तथा प्रचार			
	02 प्रचार कार्य (योजना)			
	मूल 1,00.00}	75.50	75.50	...
	पुनर्वि० -24.50}			

₹ 24.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

3.	13 कंसल्टेंसी एवं अन्य सेवाएं (योजना)			
	मूल 40.00}	19.69	19.69	...
	पुनर्वि० -20.31}			

₹ 22.81 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 2.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलो में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3452 पर्यटन	12.00	...	-12.00
	80 सामान्य			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	12 संवर्द्धन (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12.00}	12.00	...	-12.00
2.	12 संवर्द्धन (योजना)
	मूल 12.00}			
	पुनर्वि० -12.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में प्रत्येक के ₹ 12.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूंजी:

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,70.45 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,80.45 लाख) से ₹ 10.00 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 46 - क्रमांत

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80 सामान्य			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
65 पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्र, एडभेंचर टूरिज्म इत्यादि (योजना)			
मूल 6,00.00}	4,06.57	4,06.57	...
पुनर्वि० -1,93.43}			

₹ 1,93.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(vii) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
62 पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्र, एडभेंचर टूरिज्म इत्यादि (योजना)			
मूल 4,80.00}	4,06.02	4,19.72	+13.70
पुनर्वि० -73.98}			

₹ 60.28 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 47 - परिवहन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2041 वाहन कर			
3055 सड़क परिवहन			
3075 अन्य परिवहन सेवाएं			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	1,17,78,31}	1,17,78,31	22,29,41	-95,48,90
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				75,00,00

पूंजी :

मूल	19,40,00}	19,40,00	7,38,92	-12,01,08
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 75,00.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 95,48.90 लाख)से ₹ 20,48.90 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2041 वाहन कर 001 निदेशन और प्रशासन 01 राज्य परिवहन अधिकरण (गैर-योजना)	1,52.63	89.94	-62.69
2.	101 संग्रहण प्रभार 01 प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (गैर-योजना)	99.63	66.65	-32.98
3.	02 मोटर वाहन पर नियंत्रण (गैर-योजना)	8,29.40	3,59.48	-4,69.92
4.	3055 सड़क परिवहन 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 01 राज्य पथ परिवहन निगम, झारखंड को सहायक अनुदान (गैर-योजना)	29,53.51	15,39.99	-14,13.52
5.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 14 परिवहन विभाग (गैर-योजना)	1,65.45	1,11.01	-54.44

उपर्युक्त पांच मामलों में ₹ 62.69 लाख, ₹ 32.98 लाख, ₹ 4,69.92 लाख, ₹ 14,13.52 लाख एवं ₹ 54.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	3075 अन्य परिवहन सेवाएं 60 अन्य 101 लाभांश राहत तथा अन्य रियायतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता 01 झारखंड राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रेलवे को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 20,00.00 }
	पुनर्वि० -20,00.00 }			
2.	03 गोड्डा-हंसडीहा रेलवे लिंक (योजना)			
	मूल 10,00.00 }
	पुनर्वि० -10,00.00 }			
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 झारखंड राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिये रेलवे को सहायता अनुदान (योजना)			
	मूल 30,00.00 }
	पुनर्वि० -30,00.00 }			
4.	03 गोड्डा-हंसडीहा रेलवे लिंक (योजना)			
	मूल 15,00.00 }
	पुनर्वि० -15,00.00 }			

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 20,00.00 लाख, ₹ 10,00.00 लाख, ₹ 30,00.00 लाख एवं ₹ 15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)1

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

पूँजी :

(iv) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(v) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 02 परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण- भवनों का निर्माण (योजना)	2,00.00}	2,00.00	1,51.65	-48.35
2.	17 मशीन एवं उपकरण (योजना)	2,00.00}	2,00.00	1,77.94	-22.06
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण- भवनों का निर्माण (योजना)	4,00.00}	4,00.00	1,63.08	-2,36.92
4.	05 अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण (योजना)	42.00}	42.00	23.89	-18.11

अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	14 ट्रेनिंग एवं एक्सपोजर/कार्यशाला गोष्ठी/जागरूकता अभियान (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	5.33	-24.67
6.	17 मशीन एवं उपकरण (योजना)			
	मूल 4,00.00}	4,00.00	1,70.39	-2,29.61

उपर्युक्त छः मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(vi) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 13 स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्यालय की मरम्मत तथा कार्यशाला एवं गोष्ठी (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
2.	15 प्रवर्तन तंत्र के लिये यातायात नियम से संबंधित सामग्रियाँ (योजना)			
	मूल 48.00}	48.00	...	-48.00

अनुदान संख्या - 47 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	16 राज्य पथ परिवहन (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	...	-40.00
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 18.00}	18.00	...	-18.00
5.	13 स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्यालय की मरम्मत तथा कार्यशाला एवं गोष्ठी (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	...	-2,00.00
6.	15 प्रवर्तन तंत्र के लिए यातायात नियम से संबंधित सामग्रियाँ (योजना)			
	मूल 72.00}	72.00	...	-72.00
7.	16 राज्य पथ परिवहन (योजना)			
	मूल 60.00}	60.00	...	-60.00
8.	19 मोटरगाड़ी चालन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (नई योजना) (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00

उपर्युक्त आठ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है
(अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 48 - नगर विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
2217 शहरी विकास			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217 शहरी विकास के लिए कर्ज			

राजस्व :

मूल	12,87,35,01}	13,95,01,20	4,93,83,94	-9,01,17,26
अनुपूरक	1,07,66,19}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,39,95,40
(31 जुलाई 2013 : 50,00,00			
जनवरी 2014 : 95,40			
मार्च 2014 : 89,00,00)			

पूंजी :

मूल	22,21,72}	25,13,19	14,57,68	-10,55,51
अनुपूरक	2,91,47}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			5,00,00
(31 मार्च 2014)			

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

- (i) ₹ 9,01,17.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 66,60.66 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 2,05.53 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 39,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,07,66.19 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,39,95.40 लाख), अंतिम बचत (₹ 9,01,17.26 लाख) से ₹ 7,61,21.86 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 02-मल-जल तथा सफाई, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, 12-सिवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना), 2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 001-निर्देशन और प्रशासन, 04-शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव आयोजन (गैर-योजना), 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 33-शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान तथा 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, 33-शहरी परिवहन व्यवस्था के लिये शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,29.96 लाख, ₹ 60.77 लाख, ₹ 60.00 लाख तथा ₹ 90.33 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 16,00.00 लाख, ₹ 8,00.00 लाख, ₹ 16,00.00 लाख तथा ₹ 27,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2215 जल पूर्ति तथा सफाई			
	01 जल पूर्ति			
	191 नगर निगम को सहायता			
	01 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 26,00.00}	17,00.00	15,41.42	-1,58.58
	पुनर्वि० -9,00.00}			
₹ 9,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,58.58 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
	01 पेय जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 26,00.00}	45,00.00	23,08.94	-21,91.06
	अनुपूरक 19,00.00}			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
3.	02 मल-जल तथा सफाई 192 नगर पालिका/नगर परिषद् को सहायता 06 पानी तथा मल-जल सफाई के लिए नगर पाषाणों एवं नगरपालिकाओं को सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 2,25.00}	2,25.00	1,75.67	-49.33
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 21,91.06 लाख एवं ₹ 49.33 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 11 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 10,00.00}	5,00.00	5,00.00	...
	पुनर्वि० -5,00.00}			
₹ 5,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई थी।				
5.	2217 शहरी विकास 80 सामान्य 191 नगर निगम को सहायता 27 नगर निगमों को अनेक नियमित कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 6,34.84}	6,34.84	5,54.67	-80.17

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	29 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत नगर निगमों को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 14,21.00}	14,21.00	7,58.00	-6,63.00
7.	35 कौशल विकास एवं क्षमता संवर्द्धन के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	2,67.00	-2,33.00
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 80.17 लाख, ₹ 6,63.00 लाख तथा ₹ 2,33.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
8.	40 शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते पर व्यय हेतु अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 73.67}			
	अनुपूरक 1,66.80}	2,15.27	74.71	-1,40.56
	पुनर्वि० -25.20}			

शीर्ष 2217-80-191-40-01-08 के लिए सचिव, शहरी विकास विभाग, राँची के द्वारा प्राधिकार पत्र की मांग की गई थी परन्तु इस कार्यालय के द्वारा शीर्ष 01-08-संवदि भत्ता के तहत प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं किया जाता है। इसकी सूचना भी इस कार्यालय के पत्र संख्या टी०ए०-10-प्राधि०-2711 दिनांक 9/12/2013 के द्वारा दी जा चुकी है, अतः विभाग द्वारा दिया गया कारण मान्य नहीं है। ₹ 1,40.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	47 केन्द्र प्रायोजित योजना जे०एन०एन०यू०आर०एम० के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (योजना)			
	मूल 2,34,33.00}	2,14,33.00	15,02.96	-1,99,30.04
	पुनर्वि० -20,00.00}			
<p>₹ 20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,99,30.04 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
10.	49 आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 10,63.00}	10,63.00	6,56.84	-4,06.16
11.	51 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 31,11.00}	31,11.00	26,67.85	-4,43.15
12.	56 शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	22,00.00	1,45.00	-20,55.00
	अनुपूरक 20,00.00}			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	192 नगरपालिका/नगर परिषद् को सहायता 08 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में, जेनरेल बेसिक ग्रांट के तहत नगर पार्षदों को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 27,00.00}	27,00.00	3,79.00	-23,21.00
14.	09 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अलोक में जेनरेल परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत नगर पार्षदों को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 18,00.00}	18,00.00	15,00.00	-3,00.00
उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
15.	40 शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते पर व्यय हेतु अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 60.03}			
	अनुपूरक 1,00.76}	1,22.39	94.19	-28.20
	पुनर्वि० -38.40}			

शीर्ष 2217-80-192-40-01-08 के लिए सचिव, शहरी विकास विभाग, राँची के द्वारा प्राधिकार पत्र की मांग की गई थी परन्तु इस कार्यालय के द्वारा शीर्ष 01-08-संविदा भत्ता के तहत प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, इसकी सूचना भी इस कार्यालय के पत्र संख्या टी०ए०-10-प्राधि०-2711 दिनांक 09/12/2013 के द्वारा दी जा चुक है, अतः विभाग द्वारा दिया गया कारण मान्य नहीं है। ₹ 28.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
16.	193 नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को सहायता 07 नगर पंचायत/ अ०क्षे०स० को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)			
	अनुपूरक 1,01.46}	1,01.46	55.94	-45.52
17.	08 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत नगर पंचायतों को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 22,43.50}	22,43.50	17,34.36	-5,09.14
18.	09 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत नगर पंचायतों को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 13,48.00}	13,48.00	1,74.69	-11,73.31

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 45.52 लाख, ₹ 5,09.14 लाख तथा ₹ 11,73.31 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	40 शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते पर व्यय हेतु अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 53.43}	1,36.73	1,26.12	-10.61
	अनुपूरक 1,15.10}			
	पुनर्वि० -31.80}			
<p>शीर्ष 2217-80-193-40-01-08 के लिए सचिव, शहरी विकास विभाग, राँची के द्वारा प्राधिकार पत्र की मांग की गई थी, परन्तु इस कार्यालय द्वारा के द्वारा शीर्ष 01-08-संविदा भत्ता के तहत प्राधिकार-पत्र निर्गत नहीं किया जाता है। इसकी सूचना भी इस कार्यालय के पत्र संख्या टी०ए०-10 प्राधि०-2711 दिनांक 9/12/2013 के द्वारा दी जा चुकी है। अतः विभाग द्वारा दिया गया कारण मान्य नहीं है। ₹ 10.61 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
20.	52 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र को विशेष क्षेत्र बेसिक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 2,37.00}	2,37.00	1,98.24	-38.76
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
21.	51 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 15,55.00}	15,55.00	12,00.00	-3,55.00
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
22.	37 शहरी गरीबी उन्मुलन एवं समाज कल्याण के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 2,40.00}	2,40.00	1,94.30	-45.70

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
23.	38 शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 10,00.00}	10,00.00	8,69.40	-1,30.60
उपरोक्त चार मामलों में ₹ 38.76 लाख, ₹ 3,55.00 लाख, ₹ 45.70 लाख तथा ₹ 1,30.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
24.	47 केन्द्र प्रायोजित योजना जे०एन०एन० यू०आर०एम० के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (योजना)			
	मूल 2,34,33.00}	2,14,33.00	84,18.92	-1,30,14.08
	पुनर्वि० -20,00.00}			
₹ 20,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,30,14.08 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
25.	49 आवास एवं शहरी गरीबी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 10,63.00}	10,63.00	5,17.36	-5,45.64
26.	50 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान (योजना)			
	मूल 11,20.00}	11,20.00	2,68.10	-8,51.90

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
27.	51 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 31,10.00}	31,10.00	7,20.98	-23,89.02
28.	56 शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 2,00.00}	22,00.00	6,53.67	-15,46.33
	अनुपूरक 20,00.00}			
29.	2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 05 शहरी विकास विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 2,86.53}	3,92.03	3,50.55	-41.48
	अनुपूरक 1,05.50}			

उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2215 जल पूर्ति तथा सफाई 01 जल पूर्ति 789 अनुसूचित जातियों के लिये के लिए विशेष घटक योजना 01 जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 13,00.00 } पुनर्वि० -10,00.00 }	3,00.00	...	-3,00.00
2.	02 मल-जल तथा सफाई 191 नगर निगम को सहायता 11 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 10,00.00 } पुनर्वि० -10,00.00 }
3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 11 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 5,00.00 } पुनर्वि० -5,00.00 }

उपर्युक्त दोनों मामलों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण ₹ 10,00.00 लाख तथा ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	2217 शहरी विकास 80 सामान्य 001 निदेशन और प्रशासन 05 राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में गठित अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना व्यय हेतु सहाय्य अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 48.00 }	48.00	...	-48.00
5.	191 नगर निगम को सहायता 30 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफॉर्मेंस ग्रान्ट के तहत नगर निगमों को अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 12,00.00 }	12,00.00	...	-12,00.00
6.	48 केन्द्र प्रायोजित कर्णाकित योजनाओं के विरुद्ध निकायों का हिस्सा (योजना)			
	मूल 76,01.00 }	76,01.00	...	-76,01.00
7.	50 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 11,20.00 }	11,20.00	...	-11,20.00

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	52 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में नगर निगमों को विशेष क्षेत्र बेसिक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.00 }	2,00.00	...	-2,00.00
9.	53 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में नगर निगमों को विशेष क्षेत्र परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 2,00.00 }	2,00.00	...	-2,00.00
	192 नगरपालिका/नगर परिषद् को सहायता			
10.	52 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में नगर पर्षद/नगरपालिका को विशेष क्षेत्र बेसिक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 3,00.00 }	3,00.00	...	-3,00.00
11.	53 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में नगर पर्षद/नगरपालिका को विशेष क्षेत्र परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 3,00.00 }	3,00.00	...	-3,00.00

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	193 नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को सहायता 53 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र को विशेष क्षेत्र परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 2,37.00 }	2,37.00	...	-2,37.00
उपर्युक्त सात मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
13.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 47 केन्द्र प्रायोजित योजना जे०एन०एन०यू०आर०एम० के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (योजना)			
	मूल 1,17,16.00 } पुनर्वि० -10,00.00 }	1,07,16.00	...	-1,07,16.00
₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,07,16.00 लाख की अंतिम व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
14.	48 केन्द्र प्रायोजित कर्णांकित योजनाओं के विरुद्ध निकायों का हिस्सा (योजना)			
	मूल 7,28.00 }	7,28.00	...	-7,28.00
15.	49 आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 5,31.00 }	5,31.00	...	-5,31.00

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
16.	50 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 5,60.00 } अनुपूरक 10,00.00 }	5,60.00	...	-5,60.00
17.	56 शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00 } अनुपूरक 10,00.00 }	11,00.00	...	-11,00.00
18.	796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 48 केन्द्र प्रायोजित कर्णाकित योजनाओं के विरुद्ध निकायों का हिस्सा (योजना)			
	मूल 7,51.00 }	7,51.00	...	-7,51.00

उपर्युक्त पांच मामलों में ₹ 7,28.00 लाख, ₹ 5,31.00 लाख, ₹ 5,60.00 लाख, ₹ 11,00.00 लाख एवं ₹ 7,51.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

19. 54 राँची सिवरेज-
ड्रेनेज सिस्टम
(योजना)

मूल 50,00.00 }
पुनर्वि० -50,00.00 }

...

...

...

केन्द्र सरकार से निधि की विमुक्ति नहीं होने के कारण ₹ 50,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

पूंजी :

(v) ₹ 10,55.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 2,91.47 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,00.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 10,55.51 लाख) से ₹ 5,55.51 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

(vii) शीर्ष 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज, 60-अन्य शहरी विकास योजनाएं, 192-नगरपालिका/नगर परिषद को कर्ज, 03-नगर परिषद/नगरपालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के लिए ऋण (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 60.55 लाख की बचत, जो कि ₹ 6,89.98 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय 60 अन्य शहरी विकास योजनाएं 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 43 आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 2,31.17 }	2,31.17	14.11	-2,17.06
2.	6217 शहरी विकास के लिए कर्ज 60 अन्य शहरी विकास योजनाएं 191 नगर निगम को कर्ज 03 नगर निगमों को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के लिए ऋण (गैर-योजना)			
	मूल 8,46.45 }	8,46.45	7,39.55	-1,06.90
3.	193 नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति को कर्ज 02 नगर निगमों/ अधिसूचित क्षेत्र समिति को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के लिए ऋण (गैर-योजना)			
	मूल 1,35.29 }	1,35.29	74.59	-60.70

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 2,17.06 लाख, ₹ 1,06.90 लाख तथा ₹ 60.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

अनुदान संख्या - 48 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय		
	60	अन्य शहरी विकास योजनायें		
	191	नगर निगम को सहायता		
	43	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सहाय्य अनुदान (के०प्रा०यो०)		
	अनुपूरक	60.30}	60.30	...
	796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना		
2.	47	संस्थानों के गठन एवं संचालन (योजना)		
	मूल	50.00}	50.00	...
	पुनर्वि०	-5,00.00}		
3.	48	न्यू कैपिटल काम्प्लेक्स का निर्माण (योजना)		
	मूल	5,00.00}
	पुनर्वि०	-5,00.00}		

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 60.30 लाख तथा ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत गठित जी०आर०डी०ए० के माध्यम से निर्माण कराये जाने के कारण ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 49 - जल संसाधन विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2700	मुख्य सिंचाई		
2701	मध्यम सिंचाई		
2705	कमान क्षेत्र विकास		
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		

राजस्व :

मूल	3,30,80,76}	3,31,95,86	2,46,82,19	-85,13,67
अनुपूरक	1,15,10}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2014) 60,00

पूँजी :

मूल	16,40,00,00}	16,60,00,00	5,29,04,44	-11,30,95,56
अनुपूरक	20,00,00}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2014) 73,60,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 85,13.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 (₹ 1,05.10 लाख) और फरवरी 2014 (₹ 10.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,15.10 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 60.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 85,13.67 लाख) से ₹ 84,53.67 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2700 मुख्य सिंचाई 01 मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक 001 निदेशन और प्रशासन 01 तेनुघाट बाँध परियोजना (गैर-योजना)	3,43.88	3,02.63	-41.25
	मूल 3,32.38 } अनुपूरक 11.50 }			
2.	02 स्वर्णरेखा बाँध परियोजना (गैर-योजना)	1,39,46.95	1,18,67.83	-20,79.12
	मूल 1,39,39.35 } अनुपूरक 7.60 }			
3.	2701 मध्यम सिंचाई 03 मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक 001 निदेशन और प्रशासन 03 सिंचाई योजनाओं से राजस्व संग्रहण (गैर-योजना)	1,41.30	99.95	-41.35
	मूल 1,41.30 }			
4.	06 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना (गैर-योजना)	59,33.41	41,27.08	-18,06.33
	मूल 59,27.61 } अनुपूरक 5.80 }			
5.	07 मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-योजना)	88,15.04	74,12.68	-14,02.36
	मूल 88,06.84 } अनुपूरक 8.20 }			

उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(iv) क्रम सं०	निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:- शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2701 मध्यम सिंचाई 03 मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक 001 निदेशन और प्रशासन 08 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का संपोषण (गैर-योजना)	24,67.00	...	-24,67.00
2.	2705 कमान क्षेत्र विकास 001 कांची कमान क्षेत्र निकास 02 कांची सिंचाई योजना (योजना)	80.00	...	-80.00
3.	101 मयुराक्षी कमान क्षेत्र विकास 01 मयुराक्षी जलाशय योजना (के०प्रा०यो०)	80.00	...	-80.00
4.	01 मयुराक्षी जलाशय योजना (योजना)	80.00	...	-20.00
5.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01 मयुराक्षी जलाशय योजना (के०प्रा०यो०)	70.00	...	-70.00

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	01 मयुराक्षी जलाशय योजना (योजना)			
	मूल 70.00 }	70.00	...	-70.00
7.	02 काँची जलाशय योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 70.00 }	70.00	...	-70.00
8.	02 काँची जलाशय योजना (योजना)			
	मूल 70.00 }	70.00	...	-70.00
	2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	001 निदेशन और प्रशासन			
9.	01 गंगा नदी के दाएं तट पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य (गैर-योजना)			
	मूल 1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00

उपर्युक्त नौ मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूँजी:

(v) ₹ 11,30,95.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 20,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 73,60.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 11,30,95.56 लाख) से ₹ 10,57,35.56 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(vii) शीर्ष 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 56-बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 66.45 लाख की बचत, जो कि ₹ 7,25.00 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8,00,00.00	3,73,30.80	-4,26,69.20
	80 सामान्य			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	10 स्वर्णरेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
मूल	8,00,00.00}	8,00,00.00	3,73,30.80	-4,26,69.20
	पुनर्वि०	-40,00.00}		
₹ 4,26,69.20 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
2.	11 स्वर्णरेखा परियोजना (उड़ीसा/पश्चिम बंगाल की शेयर राशि) (योजना)	90,00.00	1.65	-89,98.35
	मूल			
	पुनर्वि०	-40,00.00}		
3.	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6,00.00	3,60.83	-2,39.17
	80 सामान्य			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
मूल	9,00.00}	6,00.00	3,60.83	-2,39.17
	पुनर्वि०	-3,00.00}		

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,29,98.35 लाख एवं ₹ 5,39.17 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	62 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 8,00.00 }	9,00.00	6,03.90	-2,96.10
	अनुपूरक 1,00.00 }			
5.	64 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजना का निर्माण (योजना)			
	मूल 5,95.00 }	15,95.00	13,80.47	-2,14.53
	अनुपूरक 10,00.00 }			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,96.10 लाख एवं ₹ 2,14.53 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
6.	66 नई भवनों का निर्माण तथा पुरानी भवनों का मरम्मती (योजना)			
	मूल 7,40.00 }	6,40.00	5,11.35	-1,28.65
	पुनर्वि० -1,00.00 }			
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 8,00.00 }	6,00.00	3,37.30	-2,62.70
	पुनर्वि० -2,00.00 }			
8.	54 पूर्ण सिंचाई योजना का ई.आर.एम. (योजना)			
	मूल 10,00.00 }	8,50.00	8,42.63	-7.37
	पुनर्वि० -1,50.00 }			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 2,28.65 लाख, ₹ 4,62.70 लाख और ₹ 1,57.37 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	68 भवनों का संधारण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	68.47	-1,31.53
10.	70 ई-गवर्नेंस (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	41.40	-58.60
उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 1,31.53 लाख तथा ₹ 58.60 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
11.	72 मध्यम सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 10,00.00}	8,15.00	8,26.70	+11.70
	पुनर्वि० -1,85.00}			
₹ 1,73.30 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
12.	73 मध्यम सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 15,00.00}	15,00.00	11,00.99	-3,99.01
13.	74 2011-12 में सम्पूर्ण करने वाले मध्यम सिंचाई परियोजना की की अवशेष कार्य तथा दायित्व (योजना)			
	मूल 15,00.00}	18,00.00	9,52.25	-8,47.75
	अनुपूरक 3,00.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 3,99.01 लाख तथा ₹ 8,47.75 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
14.	75 सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	44.46	-1,55.54
₹ 1,55.54 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
15.	800 अन्य व्यय 46 सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 8,00.00 } पुनर्वि० -5,00.00 }	3,00.00	2,28.09	-71.91
16.	54 पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० (योजना)			
	मूल 15,00.00 } पुनर्वि० -1,50.00 }	13,50.00	12,67.51	-82.49
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 5,71.91 लाख तथा ₹ 2,32.49 लाख की कुल बचत के कारणों का सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
17.	65 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 4,00.00 } पुनर्वि० -2,00.00 }	2,00.00	2,25.00	+25.00
₹ 1,75.00 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
18.	75 सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)			
	मूल 2,50.00 } पुनर्वि० -1,00.00 }	1,50.00	73.49	-76.51

₹ 1,76.51 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
19.	4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियंत्रण 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्य का निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 1,25.00}	1,25.00	27.10	-97.90
20.	59 चालु बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 75.00}	75.00	33.44	-41.56
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 97.90 लाख तथा ₹ 41.56 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
21.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 57 बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्य का कार्यान्वयन (योजना)			
	मूल 4,00.00} पुनर्वि० -1,75.00}	2,25.00	1,55.61	-69.39
22.	58 नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्य का कार्यान्वयन (योजना)			
	मूल 2,75.00} पुनर्वि० -2,00.00}	75.00	26.39	-48.61

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 2,44.39 लाख तथा ₹ 2,48.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	4700 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	35,00.00 }	...	-35,00.00	
	80 सामान्य				
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
	09 स्वर्ण रेखा परियोजना (ए०आई०बी०पी०) (योजना)				
2.	10 स्वर्ण रेखा परियोजना (ए०आई०बी०पी०) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	4,00,00.00 }	4,00,00.00	...	-4,00,00.00
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना	50,00.00 }	...	-50,00.00	
	09 स्वर्ण रेखा परियोजना (ए०आई०बी०पी०) (योजना)				

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
4.	63 मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 80.00 }
	पुनर्वि० -80.00 }			
5.	65 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,20.00 }
	पुनर्वि० -1,20.00 }			
6.	72 मध्यम सिंचाई परियोजना ए०आई०बी०पी० के अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (योजना)			
	मूल 5,00.00 }
	पुनर्वि० -5,00.00 }			
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 14 झारखण्ड सिंचाई आयोग का गठन (योजना)			
	मूल 50.00 }
	पुनर्वि० -50.00 }			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	39	वाल्मी एवं सिंचाई भवन का निर्माण (योजना)		
	मूल	2,00.00}	50.00	...
	पुनर्वि०	-1,50.00}		-50.00
9.	63	मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)		
	मूल	2,00.00}
	पुनर्वि०	-2,00.00}		...
10.	800 64	अन्य व्यय छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (योजना)		
	मूल	9,00.00}	9,00.00	...
				-9,00.00
11.	66	जीर्ण वाहनों का पुनर्स्थापना एवं नये वाहनों का क्रय (योजना)		
	मूल	70.00}	70.00	...
				-70.00
12.	70	छोटानागपुर एवं संधाल परगना अन्तर्गत चालू योजना ए०आई०बी०पी० (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)		
	मूल	5,00.00}	5,00.00	...
				-5,00.00

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01	बाढ़ नियंत्रण			
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
13. 57	बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
मूल	12,00.00}	12,00.00	...	-12,00.00

उपर्युक्त तेरह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(ix) निम्नलिखित मामले में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
03	मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक		
799	उच्चत		
01	विविध निर्माण कार्य अग्रिम (योजना)	...	4,74.50
			+4,74.50

₹ 4,74.50 लाख के बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 49 - क्रमांत

(x) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 4,74.50 लाख (निवल) के व्यय को शीर्ष “उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समयोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम-इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2013 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2014 को अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	43,30.49	5,54.02	79.52	4,74.50	48,04.89
जोड़	43,30.49	5,54.02	79.52	4,74.50	48,04.89

**अनुदान संख्या - 50 - लघु सिंचाई विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2702	लघु सिंचाई			
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	82,22,97}	82,43,07	63,02,58	-19,40,49
अनुपूरक	20,10}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
पूंजी :				
मूल	2,98,60,00}	3,18,90,00	1,26,05,30	-1,92,84,70
अनुपूरक	20,30,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (12 फरवरी 2014: 5,00,00 31 मार्च 2014: 1,10,00)				6,10,00
टीका और टिप्पणियाँ :				
राजस्व:				
(i) ₹ 19,40.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 20.10 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।				
(ii) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यार्पित नहीं किया गया था।				

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2702 लघु सिंचाई			
02 भू-जल			
005 अन्वेषण			
01 सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (गैर-योजना)			
मूल 79,31.97}	79,52.07	62,52.80	-16,99.27
अनुपूरक 20.10}			

₹ 16,99.27 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2702 लघु सिंचाई			
02 भू-जल			
005 अन्वेषण			
05 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण (गैर-योजना)			
मूल 2,33.00}	2,33.00	...	-2,33.00

₹ 2,33.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूँजी :

(v) ₹ 1,92,84.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 20,30.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,10.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,92,84.70 लाख) से ₹ 1,86,74.70 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(vii) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-				
क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 101 सतही जल 18 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)	5,50.00	4,18.43	-1,31.57
2.	20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (योजना)	10,20.00	7,92.75	-2,27.25
	मूल 2,00.00 } अनुपूरक 8,20.00 }			
3.	25 भवन/गोदाम एवं कार्यालय का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना)	40.00	0.90	-39.10
4.	31 सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)	70.00	7.50	-62.50
5.	33 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०)- केन्द्रांश (योजना)	1,20,00.00	14,43.30	-1,05,56.70
	मूल 1,20,00.00 }			

उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	34 झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान (योजना)			
	मूल 4,90.00 } पुनर्वि० -1,00.00 }	3,90.00	2,85.50	-1,04.50
₹ 2,04.50 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
7.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 18 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना) (योजना)			
	मूल 1,00.00 }	1,00.00	23.09	-76.91
8.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 18 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (चालू योजना) (योजना)			
	मूल 5,50.00 }	5,50.00	3,98.24	-1,51.76
9.	19 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (नई योजना) (योजना)			
	मूल 1,75.00 } अनुपूरक 1,00.00 }	2,75.00	1,49.12	-1,25.88
10.	20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण तथा पुनर्स्थापन (योजना)			
	मूल 2,00.00 } अनुपूरक 4,10.00 }	6,10.00	3,98.92	-2,11.08

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	24 नई योजनाओं का भू-जल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण तथा जल संरक्षण (योजना)			
	मूल 35.00}	35.00	4.72	-30.28
12.	25 भवन/गोदाम एवं कार्यालय का निर्माण एवं जीर्णोद्धार एवं जल संरक्षण (योजना)			
	मूल 35.00}	35.00	3.60	-31.40
13.	28 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (योजना)			
	मूल 8,00.00}	13,00.00	7,15.04	-5,84.96
	अनुपूरक 5,00.00}			
14.	30 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (केन्द्रांश) (योजना)			
	मूल 80,00.00}	80,00.00	60,68.54	-19,31.46
उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
15.	34 झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान (योजना)			
	मूल 4,90.00}	2,90.00	2,85.50	-4.50
	पुनर्वि० -2,00.00}			

₹ 2,04.50 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

(viii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 101 सतही जल 07 वॉटर वॉडिज कार्य का पुनर्स्थापना (के०प्रा०यो०)	18,00.00	...	-18,00.00
	मूल 18,00.00 }	18,00.00	...	-18,00.00
2.	07 वॉटर वॉडिज कार्य का पुनर्स्थापना (योजना)
	मूल 2,00.00 }
	पुनर्वि० -2,00.00 }
3.	24 नई योजनाओं का भू-जल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण तथा जल संरक्षण (के०यो०यो०)	20.00	...	-20.00
	मूल 20.00 }	20.00	...	-20.00
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 19 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (नई योजना) (योजना)	50.00	...	-50.00
	मूल 50.00 }	50.00	...	-50.00
5.	28 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	1,00.00	...	-1,00.00
	मूल 1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	29 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए०आई०बी०पी०) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 12,00.00}	12,00.00	...	-12,00.00
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 रेसनलाईजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक (के०यो०यो०)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	...	-2,00.00
8.	07 वाटर बॉडीज का पुनर्स्थापन कार्य (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,00.00}	9,00.00	...	-9,00.00
9.	07 वाटर बॉडीज का पुनर्स्थापन कार्य (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
10.	16 भू-जल सर्वेक्षण/पुनर्भरण योजना (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	...	-40.00
11.	24 नई योजनाओं का भू-जल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण तथा जल संरक्षण (के०यो०यो०)			
	मूल 40.00}	40.00	...	-40.00

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	29 पुराने वाहनों का प्रतिस्थापन (योजना)			
	मूल 20.00}	20.00	...	-20.00
13.	31 सर्वेक्षण एवं अन्वेषण परामर्श एवं मूल्यांकन (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	...	-30.00

उपर्युक्त तेरह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(ix) अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
27 ई-गवर्नेंस (योजना)			
मूल 15.00}	15.00	67.89	+52.89

₹ 52.89 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(x) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में कोई भी राशि को शीर्ष “उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

विविध निर्माण कार्य अग्रिम-इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2013 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2014 को अन्तशेष
			(लाख रुपयों में)		
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	4,90.15	4,90.15
जोड़	4,90.15	4,90.15

**अनुदान संख्या - 51 - कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	8,10,63,80}	8,75,88,10	6,27,91,63	-2,47,96,47
अनुपूरक	65,24,30}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				19,77,26
(7 नवम्बर 2013 : 7,73,82				
1 दिसम्बर 2013 : 2,36,20				
13 फरवरी 2014 : 3,50,00				
मार्च 2014 : 6,17,24)				

पूंजी :

मूल	1,52,72,00}	1,52,72,00	80,61,52	-72,10,48
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (27 मार्च 2014)				41,30,50
---	--	--	--	----------

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 2,47,96.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2013 (₹ 32.34 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 37,53.30 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 27,38.66 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 65,24.30 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 19,77.26 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,47,96.47 लाख) से ₹ 2,28,19.21 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 03-प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के०यो०यो०), 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 59-प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (योजना) तथा 03-पिछड़े वर्गों का कल्याण, 277-शिक्षा, 12-प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,03.25 लाख, ₹ 1,05.71 लाख एवं ₹ 1,03.74 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 14,00.00 लाख, ₹ 30,00.00 लाख एवं ₹ 15,00.80 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	23,83.95	18,56.90	-5,27.05
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
1.	001 निदेशन एवं प्रशासन	23,83.95	18,56.90	-5,27.05
	01 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
2.	277 शिक्षा	1,20.80	72.47	-48.33
	02 छात्रावास संधारण (गैर-योजना)			
3.	03 आवासीय विद्यालय (गैर-योजना)	16,60.48	14,08.79	-2,51.69
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
4.	01 निदेशन एवं प्रशासन (योजना)	1,80.00	1,43.97	-36.03
	मूल			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	19 शिक्षा-गैर-सरकारी संस्थानों को अनुदान (योजना)			
	मूल 60.00 }	60.00	29.43	-30.57
उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
6.	42 शिक्षा-परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (योजना)			
	मूल 2,00.00 }	50.00	47.52	-2.48
	पुनर्वि० -1,50.00 }			
₹ 1,52.48 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)				
7.	61 प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 10,00.00 }	10,00.00	8,76.77	-1,23.23
8.	67 शिक्षा-विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीभूत योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 15,00.00 }	15,00.00	11,08.42	-3,91.58
9.	70 आवासीय उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 1,00.00 }	1,00.00	40.00	-60.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	86 प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (वर्ग IX एवं X) (के०यो०यो०)			
	अनुपूरक 12,02.87}	12,02.87	8,44.13	-3,58.74
11.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 03 लड़के एवं लड़कियों के लिये छात्रावास (गैर-योजना)			
	मूल 6,92.90}	6,92.90	4,16.24	-2,76.66
12.	04 आवासीय विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 65,16.57}	65,16.57	49,20.63	-15,95.94
उपर्युक्त छः मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
13.	10 परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (योजना)			
	मूल 1,00.00}	25.00	21.57	-3.43
	पुनर्वि० -75.00}			
₹ 78.43 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
14.	47 शिक्षा-आदिवासियों का जाहेरस्थान/ हड़गड़ी/मसना/सरना की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 1,00.00}	6,00.00	5,01.82	-98.18
	अनुपूरक 5,00.00}			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
15.	61 प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 5,40.00}	5,40.00	4,60.63	-79.37
16.	65 प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	मूल 7,00.00}	7,00.00	4,63.86	-2,36.14
17.	69 पहाड़िया दीवाकालिन विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 2,25.74}	2,25.74	92.55	-1,33.19
18.	84 आदिम जनजातियों के लिये अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	50.64	-49.36
19.	282 स्वास्थ्य 01 आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 2,09.65}	2,09.65	1,78.89	-30.76
20.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 04 आदिम जनजातियों का विकास कार्यक्रम (के०यो०यो०)			
	मूल 71,32.00}	71,32.00	9,89.54	-61,42.46

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
21.	11 प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	मूल 12,00.00}	12,00.00	8,82.65	-3,17.35
22.	17 मेसो परियोजना का प्रशासन (योजना)			
	मूल 1,15.90}	1,15.90	37.30	-78.60

उपर्युक्त नौ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

23.	26 झारखंड जनजातीय शोध संस्थान, राँची (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	70.13	19.71	-50.42
	पुनर्वि० -29.87}			

₹ 29.87 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 50.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

24.	26 झारखंड जनजातीय शोध संस्थान, राँची (योजना)			
	मूल 1,00.00}	70.13	19.71	-50.42
	पुनर्वि० -29.87}			

₹ 29.87 लाख की प्रत्याशित बचत समतुल्य केन्द्रांश उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 50.42 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
25.	32 आश्रम/एकलव्य विद्यालयों को खोलना एवं संधारण (योजना)			
	मूल 2,20.00}	2,20.00	1,12.32	-1,07.68
26.	35 आयुर्वेद केन्द्रों का पुनर्गठन एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	11.73	-38.27
27.	38 बिरसा मुंडा डी०ए०भी० विद्यालय को अनुदान (योजना)			
	मूल 1,20.00}	1,20.00	68.27	-51.73
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,07.68 लाख, ₹ 38.27 लाख एवं ₹ 51.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
28.	39 ग्रामीण अस्पतालों का संधारण (योजना)			
	मूल 21,00.00}	21,00.00	14,06.96	-6,93.04
	अनुपूरक 5,63.22}			
	पुनर्वि० -5,63.22}			
29.	42 शिक्षा-परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (योजना)			
	मूल 3,00.00}	75.00	65.94	-9.06
	पुनर्वि० -2,25.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 12,56.26 लाख एवं ₹ 2,34.06 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
30.	47 शिक्षा-आदिवासियों का जाहेरस्थान/ हड़गड़ी/मसना/सरना की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 3,00.00}	16,23.00	12,01.51	-4,21.49
	अनुपूरक 13,23.00}			
31.	51 शिक्षा-गैर सरकारी संस्थानों को प्राथमिक पी०टी०जी० आवासीय विद्यालय चलाने हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 1,30.00}	1,30.00	97.60	-32.40
32.	61 प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 14,60.00}	14,60.00	12,19.11	-2,40.89
33.	70 आवासीय उच्च विद्यालय का +2 में उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 1,20.00}	1,20.00	62.12	-57.88
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 4,21.49 लाख, ₹ 32.40 लाख, ₹ 2,40.89 लाख एवं ₹ 57.88 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
34.	78 समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण (योजना)			
	मूल 11,44.10}	9,33.50	4,74.67	-4,58.83
	पुनर्वि० -2,10.60}			

₹ 6,69.43 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
35.	84 आदिम जनजातियों के लिये अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना (योजना)			
	मूल 2,60.00}	2,60.00	1,36.88	-1,23.12
36.	85 मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 9,50.00}	9,50.00	8,12.74	-1,37.26
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,23.12 लाख एवं ₹ 1,37.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
37.	86 झारखंड ट्राइबल इम्पावरमेंट एण्ड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट (ई०ए०पी०) (योजना)			
	मूल 5,00.00}	5,00.00	5,00.00	...
	अनुपूरक 2,36.20}			
	पुनर्वि० -2,36.20}			
₹ 2,36.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
38.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 03 प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	मूल 9,60.00}	24,60.00	21,49.21	-3,10.79
	अनुपूरक 15,00.00}			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
39.	06 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (के०प्रा०यो०)			
	मूल 60.00}	60.00	13.78	-46.22
40.	18 पिछड़ी जातियों के लिये आवासीय विद्यालयों का संधारण (गैर-योजना)			
	मूल 2,67.37}	2,67.57	1,88.15	-79.42
	अनुपूरक 0.20}			
41.	66 परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (योजना)			
	मूल 2,00.00}	5,50.00	1,10.19	-4,39.81
	अनुपूरक 3,50.00}			
42.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 05 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 9,00.00}	9,00.00	7,74.23	-1,25.77
उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
43.	66 परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (योजना)			
	मूल 4,00.00}	50.00	48.38	-1.62
	पुनर्वि० -3,50.00}			

₹ 3,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 277 शिक्षा 15 छात्राओं को पोशाक (गैर-योजना)	1,50.00	1,50.00	...	-1,50.00
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 04 अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)	80.00	80.00	...	-80.00
3.	20 शिक्षा-अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को स्थापना अनुदान एवं सहायक अनुदान (योजना)	2,10.00	2,10.00	...	-2,10.00
4.	22 बाबु जगजीवन राम बालिका छात्रावास निर्माण योजना (के०यो०यो०)	5,05.00	5,05.00	...	-5,05.00

उपर्युक्त चार मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	80 आवासीय उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमण (योजना)			
	मूल 1,00.00}
	पुनर्वि० -1,00.00}			
अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
6.	82 नये छात्रावासों का संचालन एवं संधारण (योजना)			
	मूल 1,15.00}	1,15.00	...	-1,15.00
7.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277 शिक्षा 14 छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ (गैर-योजना)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	...	-3,00.00
8.	66 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति बालक-बालिका छात्रावास (के०यो०यो०)			
	मूल 2,45.00}	2,45.00	...	-2,45.00
9.	71 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में छात्रावास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वाटर हिटिंग सिस्टम (के०यो०यो०)			
	मूल 41.50}	41.50	...	-41.50

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	72 अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 2,50.00 }	2,50.00	...	-2,50.00
11.	82 नये छात्रावासों का संचालन एवं संधारण (योजना)			
	मूल 75.00 }	75.00	...	-75.00
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 व्यवसायिक प्रशिक्षण (के०यो०यो०)			
	मूल 40.00 }	40.00	...	-40.00
13.	21 टी०सी०डी०सी० को हिस्सा-पूँजी (योजना)			
	मूल 1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00
14.	37 बिरसा मुंडा उलिहातु विद्यालय का संधारण (योजना)			
	मूल 50.00 }	50.00	...	-50.00
15.	45 शिक्षा-कन्सल्टेंट्स स्टडी (योजना)			
	मूल 1,50.00 }	1,50.00	...	-1,50.00
16.	50 शिक्षा-टी०सी०डी०सी० को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
17.	68 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय की स्थापना (के०यो०यो०)			
	मूल 62.00}	62.00	...	-62.00
18.	73 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आदिम जातियों के लिये छात्रावास एवं भोकेशनल प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 31,25.00}	31,25.00	...	-31,25.00
19.	75 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बालिका छात्रावास निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 3,65.00}	3,65.00	...	-3,65.00
20.	76 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय की स्थापना (के०यो०यो०)			
	मूल 6,05.00}	6,05.00	...	-6,05.00
21.	77 अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण (के०यो०यो०)			
	मूल 3,72.00}	3,72.00	...	-3,72.00
22.	82 नये छात्रावासों का संचालन एवं संधारण (योजना)			
	मूल 1,42.00}	1,42.00	...	-1,42.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
23.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 08 पिछड़ा वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	...	-2,00.00
24.	796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना 06 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (के०यो०यो०)			
	मूल 90.00}	90.00	...	-90.00
25.	08 पिछड़ा वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
26.	82 नये छात्रावासों का संचालन एवं संधारण (योजना)			
	मूल 40.00}	40.00	...	-40.00

उपर्युक्त इक्कीस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

पूंजी :

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 41,30.50 लाख), अंतिम बचत (₹ 72,10.48 लाख) से ₹ 30,79.98 लाख कम था।

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2,00.00}	2,00.00	1,66.45
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	08 छात्रावासों का जीर्णोद्धार (योजना)			
मूल				-33.55
2.	19 आवासीय विद्यालयों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण (योजना)	2,00.00}	2,00.00	10.15
	मूल			
3.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2,00.00}	2,00.00	52.96
	277 शिक्षा			
	02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
मूल				-1,47.04
4.	283 आवास	2,00.00}	2,00.00	73.45
	06 अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास निर्माण (योजना)			
मूल				-1,26.55

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 06 अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास निर्माण (योजना)			
	मूल 4,50.00}	4,50.00	64.60	-3,85.40
	उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
6.	08 संविधान की धारा 275(1) के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (योजना)			
	मूल 1,15,00.00}	73,69.50	73,69.50	...
	पुनर्वि० -41,30.50}			
	₹ 41,30.50 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय किस्त विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।			
7.	09 आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 80.00}	80.00	10.84	-69.16
8.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण 277 शिक्षा 07 छात्रावास निर्माण एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 1,10.00}	1,10.00	8.30	-1,01.70

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 69.16 लाख एवं ₹ 1,01.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 01 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)	3,00.00}	3,00.00	...	-3,00.00
2.	02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (योजना)	3,00.00}	3,00.00	...	-3,00.00
3.	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण शिक्षा 277 02 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)	1,50.00}	1,50.00	...	-1,50.00
4.	33 मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, पाराहा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया का निर्माण (योजना)	50.00}	50.00	...	-50.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमाशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
5.	796 02 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)	3,50.00 }	3,50.00	...	-3,50.00
6.	02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (योजना)	3,50.00 }	3,50.00	...	-3,50.00
7.	33 मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, पाराहा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया का निर्माण (योजना)	1,50.00 }	1,50.00	...	-1,50.00
8.	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण शिक्षा 277 02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)	1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00
9.	06 आवासीय विद्यालयों का निर्माण (योजना)	25.00 }	25.00	...	-25.00
10.	796 02 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (के०प्रा०यो०)	1,00.00 }	1,00.00	...	-1,00.00

अनुदान संख्या - 51 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 1,05.00}	1,05.00	...	-1,05.00
12.	06 आवासीय विद्यालयों का निर्माण (योजना)			
	मूल 25.00}	25.00	...	-25.00

उपर्युक्त बारह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 52 - कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	78,59,07}	84,37,96	49,33,82	-35,04,14
अनुपूरक	5,78,89}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,03,00
(11 दिसम्बर 2013 : 2,00,00				
11 मार्च 2014 : 3,00)				

पूंजी :

मूल	16,45,00}	16,45,00	12,11,57	-4,33,43
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
------------------------------	--	--	--	-------

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 35,04.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, दिसम्बर 2013 (₹ 2,00.51 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 3,78.38 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 5,78.89 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,03.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 35,04.14 लाख) से ₹ 33,01.14 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102 विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम 01 राष्ट्रीय कैडेट कोर-प्रशासन (गैर-योजना)	6,94.09}	6,94.09	6,09.32	-84.77
2.	07 राष्ट्रीय कैडेट कोर-के लिये नवीन इकाई (गैर-योजना)	2,11.12}	2,11.12	26.37	-1,84.75
3.	104 खेलकूद 02 खेलकूद (गैर-योजना)	36.74}	36.74	19.01	-17.73
4.	10 राष्ट्रीय सेवा योजना (योजना)	15.00} अनुपूरक 93.00}	1,08.00	14.94	-93.06
5.	36 क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/प्रतिभा खोज/खेल कीट/खेल सामग्री (योजना)	2,75.00}	2,75.00	60.39	-2,14.61
6.	37 अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/जिला/प्रखंड एवं अन्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन/भागीदारी (योजना)	3,00.00}	3,00.00	2,28.30	-71.70

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
7.	796 जनजातिय क्षेत्र उपयोगना 10 राष्ट्रीय सेवा योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 40.00}	1,16.00	63.76	-52.24
	अनुपूरक 76.00}			
उपर्युक्त सात मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
8.	10 राष्ट्रीय सेवा योजना (योजना)			
	मूल 30.00}	81.00	29.56	-51.44
	अनुपूरक 54.00}			
	पुनर्वि० -3.00}			
9.	13 युवा गतिविधियाँ (योजना)			
	मूल 2,40.00}	40.00	27.12	-12.88
	पुनर्वि० -2,00.00}			
उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 54.44 लाख एवं ₹ 2,12.88 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
10.	27 खिलाड़ी कल्याण कोष/ छात्रवृत्ति/सम्मान (योजना)			
	मूल 45.00}	2,45.00	43.38	-2,01.62
	अनुपूरक 2,00.00}			
11.	36 क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/प्रतिभा खोज/खेल कीट/खेल सामग्री (योजना)			
	मूल 3,50.00}	3,50.00	2,75.99	-74.01

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	37 अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/ जिला/प्रखंड एवं अन्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन/भागीदारी (योजना)			
	मूल 3,50.00}	3,50.00	2,56.90	-93.10
13.	800 अन्य व्यय 10 राष्ट्रीय सेवा योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 15.00} अनुपूरक 1,36.47}	1,51.47	70.85	-80.62
14.	2205 कला एवं संस्कृति 101 ललित कला शिक्षा 04 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	30.59	-19.41
15.	106 पुरातत्व सर्वेक्षण 29 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में (योजना)			
	मूल 9,00.00}	9,00.00	8,00.00	-1,00.00
16.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 सांस्कृतिक कल्याण योजना (योजना)			
	मूल 75.00}	75.00	31.32	-43.68
17.	29 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में (योजना)			
	मूल 16,00.00}	16,00.00	14,00.00	-2,00.00

उपर्युक्त आठ मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 104 खेल-कूद 29 पाईका (पंचायत युवा खेलकूद अभियान) (के०प्रा०यो०)	2,00.00	...	-2,00.00
2.	29 पाईका (पंचायत युवा खेलकूद अभियान) (योजना)	70.00	...	-70.00
3.	30 सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स (योजना)	80.00	...	-80.00
4.	32 स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अनुदान (योजना)	80.00	...	-80.00
5.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 29 पाईका (पंचायत युवा खेलकूद अभियान) (के०प्रा०यो०)	40.00	...	-40.00

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	29 पाईका (पंचायत युवा खेलकूद अभियान) (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	...	-30.00
7.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 16 झारखंड खेल प्राधिकरण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
8.	29 पाईका (पंचायत युवा खेलकूद अभियान) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,00.00}	3,00.00	...	-3,00.00
9.	29 पाईका (पंचायत युवा खेलकूद अभियान) (योजना)			
	मूल 80.00}	80.00	...	-80.00
10.	30 सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	...	-2,00.00
11.	31 खेल विश्वविद्यालय (योजना)			
	मूल 1,00.00}	1,00.00	...	-1,00.00
12.	32 स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अनुदान (योजना)			
	मूल 1,20.00}	1,20.00	...	-1,20.00
13.	33 प्रशिक्षण, कार्यशाला, अध्ययन एवं यात्रा (योजना)			
	मूल 90.00}	90.00	...	-90.00

अनुदान संख्या - 52 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	2205 कला एवं संस्कृति 101 ललित कला शिक्षा 02 सांस्कृतिक कल्याण योजना (योजना)	25.00	...	-25.00
15.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 28 क्षेत्रीय भाषा एवं संस्कृति उत्थान केन्द्र (योजना)	20.00	...	-20.00
16.	31 सांस्कृतिक सहायता अनुदान (योजना)	15.00	...	-15.00

उपर्युक्त सोलह मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूँजी :

(v) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 03 खेल-कूद और युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडिया 03 जिला/ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम एवं खेलकूद संरचना (योजना)	7,29.00	4,65.26	-2,63.74

अनुदान संख्या - 52 - क्रमान्त

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	04 कला तथा संस्कृति 101 ललित कला शिक्षा	70.00}	36.11	-33.89
	01 सांस्कृतिक भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल	70.00}		
3.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 सांस्कृतिक भवन का निर्माण (योजना)	1,10.00}	66.24	-43.76
	मूल			

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 2,63.74 लाख, ₹ 33.89 लाख एवं ₹ 43.76 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(vii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03 खेल-कूद और युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडिया	25.00}	...	-25.00
	09 खेल छात्रावास एवं प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण (योजना)			
	मूल	25.00}		
2.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 03 जिला/ब्लॉक स्तरीय स्टेडियम एवं खेल संरचना (योजना)	50.00}	...	-50.00
	मूल			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 25.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है(अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 53 - मत्स्य
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2405	मछली-पालन			
4405	मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	53,80,56}	53,80,56	35,73,12	-18,07,44
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				13,29,59
पूंजी :				
मूल	7,00,00}	7,36,80	3,76,20	-3,60,60
अनुपूरक	36,80}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				3,60,60
टीका और टिप्पणियाँ :				

राजस्व :

(i) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 13,29.59 लाख), अंतिम बचत (₹ 18,07.44 लाख) से ₹ 4,77.85 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

(ii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2405 मछली-पालन 001 निदेशन एवं प्रशासन 01 मत्स्य विकास योजना एवं मत्स्य अनुसंधान योजना (गैर-योजना)			
	मूल 6,53.58}	5,58.77	5,63.09	+ 4.32
	पुनर्वि० -94.81}			
₹ 94.81 लाख की प्रत्याशित बचत सेवानिवृत्ति एवं संस्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4.32 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
2.	101 अन्तर्देशीय मछली-पालन 02 जलाशय मत्स्य का विकास योजना (योजना)			
	मूल 2,05.00}	1,57.03	1,56.63	-0.40
	पुनर्वि० -47.97}			
₹ 47.97 लाख की प्रत्याशित बचत समितियों एवं बीज उत्पादकों के बीच करार नहीं होने के फलस्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।				
3.	06 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 3,10.00}	2,53.91	2,53.15	-0.76
	पुनर्वि० -56.09}			
₹ 56.09 लाख की प्रत्याशित बचत नई मोटरगाड़ी के क्रय की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई थी।				
4.	19 मत्स्य पालक विकास अभिकरण (गैर-योजना)			
	मूल 3,46.98}	2,66.57	2,61.58	-4.99
	पुनर्वि० -80.41}			

₹ 80.41 लाख की प्रत्याशित बचत सेवानिवृत्ति एवं संस्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4.99 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	20 मत्स्य प्रसार योजना (योजना)			
	मूल 2,36.00}	1,78.27	1,77.99	-0.28
	पुनर्वि० -57.73}			
₹ 57.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
6.	46 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- स्टीम-1 (योजना)			
	मूल 7,30.00}	5,49.21	5,49.21	...
	पुनर्वि० -1,80.79}			
₹ 1,80.79 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि की विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
7.	51 एन०एम०पी०एस०-रियरींग तालाब का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,85.00}	1,58.20	1,23.20	-35.00
	पुनर्वि० -26.80}			
₹ 26.80 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 35.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
8.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 जलाशय मत्स्य का विकास योजना (योजना)			
	मूल 55.00}	33.90	33.90	...
	पुनर्वि० -21.10}			

₹ 21.10 लाख की प्रत्याशित बचत समितियों एवं बीज उत्पादकों के बीच करार नहीं होने के फलस्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	20 मत्स्य प्रसार योजना (योजना)			
	मूल 60.00}	32.81	33.23	+0.42
	पुनर्वि० -27.19}			

₹ 27.19 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 0.42 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

10.	46 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्ट्रीम-1 (योजना)			
	मूल 3,50.00}	1,46.70	1,46.70	...
	पुनर्वि० -2,03.30}			

₹ 2,03.30 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि की विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

11.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 02 जलाशय मत्स्य का विकास योजना (योजना)			
	मूल 90.00}	68.78	65.77	-3.01
	पुनर्वि० -21.22}			

₹ 21.22 लाख की प्रत्याशित बचत समितियों एवं बीज उत्पादकों के बीच करार नहीं होने के फलस्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।

12.	06 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 1,30.00}	1,14.24	1,14.24	...
	पुनर्वि० -15.76}			

₹ 15.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	20 मत्स्य प्रसार योजना (योजना)			
	मूल 1,04.00}	72.10	73.97	+1.87
	पुनर्वि० -31.90}			

₹ 31.90 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹ 1.87 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

14.	46 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- स्ट्रीम-1 (योजना)			
	मूल 5,70.00}	2,53.16	2,53.16	...
	पुनर्वि० -3,16.84}			

₹ 3,16.84 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि की विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

15.	52 मात्स्यकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 4,00.00}	3,99.00	1,99.00	-2,00.00
	पुनर्वि० -1.00}			

₹ 2,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2405 मछली-पालन 101 अन्तर्देशीय मछली-पालन 17 एन०एफ०डी०बी० (योजना)			
	मूल 18.00}
	पुनर्वि० -18.00}			

लाभुकों एवं लाभुक समिति द्वारा 10 प्रतिशत की राशि वहन किये जाने के कारण ₹ 18.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	56 फिश फीड फैक्टरी एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान (पी०पी०पी०) (योजना)			
	मूल 30.00}
	पुनर्वि० -30.00}			

योजना के क्रियान्वयन के लिए सहमति का समाशोधन नहीं होने के कारण ₹ 30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

3.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	51 एन०एम०पी०एस० नई योजना रियरिंग तालाबों का निर्माण एवं सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 65.00}	65.00	...	-65.00
4.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	51 एन०एम०पी०एस०- रियरिंग तालाबों का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	...	-1,50.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 65.00 लाख एवं ₹ 1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमशः

पूँजी:

(iv) ₹ 3,60.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 36.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4405 मछली-पालन पर पूँजीगत परिव्यय			
	101 अन्तर्देशीय मछली-पालन			
	02 मछुआरों का आवास निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,80.00}	80.00	92.50	+12.50
	पुनर्वि० -1,00.00}			

₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 12.50 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

2.	02 मछुआरों का आवास निर्माण (योजना)			
	मूल 1,80.00}	80.00	67.50	-12.50
	पुनर्वि० -1,00.00}			

₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 12.50 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

3.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
	02 मछुआरों का आवास निर्माण (चापाकल सहित) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 70.00}	46.20	46.20	...
	अनुपूरक 16.80}			
	पुनर्वि० -40.60}			

₹ 40.60 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 53 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02 मछुआरों का आवास निर्माण (चापाकल सहित) (योजना)			
	मूल 70.00}	30.00	30.00	...
	पुनर्वि० -40.00}			
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 02 मछुआरों का आवास निर्माण (क०प्रा०यो०)			
	मूल 1,00.00}	80.00	80.00	...
	अनुपूरक 20.00}			
	पुनर्वि० -40.00}			
6.	02 मछुआरों का आवास निर्माण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	60.00	60.00	...
	पुनर्वि० -40.00}			

उपर्युक्त तीन मामलों में प्रत्येक के ₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई थी।

**अनुदान संख्या - 54 - डेयरी
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2404	डेरी विकास			
4404	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	1,17,40,48}	1,17,78,28	68,81,19	-48,97,09
अनुपूरक	37,80}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				48,97,59
(6 जुलाई 2013	: 10,00,00			
जनवरी 2014	: 1,17,60			
14 फरवरी 2014	: 5,84,50			
31 मार्च 2014	: 31,95,49)			
पूंजी :				
मूल	शून्य}	10,00,00	10,00,00
अनुपूरक	10,00,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
टीका एवं टिप्पणियाँ :				

राजस्व:

(i) ₹ 48,97.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 37.80 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 48,97.59 लाख), अंतिम बचत (₹ 48,97.09 लाख) से 0.50 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2404 डेरी विकास 001 निदेशन तथा प्रशासन 02 क्षेत्रीय एवं जिला प्रशासन तथा प्रसार (योजना)			
	मूल 3,88.00}	3,09.04	2,69.39	-39.65
	पुनर्वि० -78.96}			

₹ 78.96 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई थी। ₹ 39.65 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

2.	102 डेरी विकास परियोजनाएं 01 शीतकरण केन्द्र (गैर-योजना)			
	मूल 96.16}	62.25	62.71	+0.46
	पुनर्वि० -33.91}			

₹ 33.91 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 0.46 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

3.	04 ग्रामीण डेयरी (गैर-योजना)			
	मूल 95.42}	57.27	58.57	+1.30
	पुनर्वि० -38.15}			

₹ 38.15 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई थी। ₹ 1.30 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

4.	05 टेक्निकल इन्पुट कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 14,50.00}	12,24.66	12,24.66	...
	पुनर्वि० -2,25.34}			

₹ 2,25.34 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	07 क्षेत्रीय डेयरी विकास- कार्यालय एवं प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 1,66.72}	1,25.27	1,25.48	+0.21
	पुनर्वि० -41.45}			
6.	08 गोकुल नगर योजना (योजना)			
	मूल 1,30.00}	65.55	65.55	...
	पुनर्वि० -64.45}			
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 41.45 लाख और ₹ 64.45 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई थी। क्रम सं० 5 के अन्तर्गत ₹ 0.21 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
7.	09 दुग्धशीतल केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण) (योजना)			
	मूल 18,40.00}	7,66.29	7,66.29	...
	पुनर्वि० -10,73.71}			
<p>₹ 10,73.71 लाख की प्रत्याशित बचत सहायक अनुदान के अन्तर्गत नये उप शीर्ष को निधि उपलब्ध कराये जाने (₹ 10,00.00 लाख) एवं निधि का अधिक प्रावधान किये जाने (₹ 73.71 लाख) के कारण हुई थी।</p>				
8.	10 विस्तृत इकाइयाँ (गैर-योजना)			
	मूल 5,31.18}	3,81.15	3,81.74	+0.59
	पुनर्वि० -1,50.03}			

₹ 1,50.03 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई थी। ₹ 0.59 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 54 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
9.	27 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 18,55.00}	6,08.61	6,13.09	+4.48
	पुनर्वि० -12,46.39}			

₹ 12,46.39 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से आर०के०वी०वाई० के अन्तर्गत कम निधि विमुक्त किये जाने एवं एन०एम०आर०एस० के लिए आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप कोषागार द्वारा आपत्ति उठाये जाने के कारण हुई थी। ₹ 4.48 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

10	109 विस्तार तथा प्रशिक्षण 06 प्रशिक्षण (योजना)			
	मूल 3,20.00}	2,49.38	2,51.57	+2.19
	पुनर्वि० -70.62}			
11.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 08 गोकुल नगर योजना (योजना)			
	मूल 1,00.00}	50.20	50.20	...
	पुनर्वि० -49.80}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 70.62 लाख एवं ₹ 49.80 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई थी। क्रम सं०-10 के अंतर्गत ₹ 2.19 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

12.	27 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 5,20.00}	1,04.05	1,04.05	...
	पुनर्वि० -4,15.95}			

₹ 4,15.95 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से आर०के०वी०वाई० के अन्तर्गत कम निधि विमुक्त किए जाने एवं एन०एम०आर०एस० के लिए आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप कोषागार द्वारा आपत्ति उठाये जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 54 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 05 टेक्नीकल इनपुट कार्यक्रम (योजना)			
	मूल 10,70.00}	6,66.99	6,66.99	...
	पुनर्वि० -4,03.01}			

₹ 4,03.01 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई थी।

14.	27 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 10,25.00}	1,97.45	1,97.45	...
	पुनर्वि० -8,27.55}			

₹ 8,27.55 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से आर.के.वी.वाई.के अन्तर्गत कम निधि विमुक्त किये जाने एवं एन.एम.आर.एस.के लिये आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप कोषागार द्वारा आपत्ति उठाये जाने के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2404 डेरी विकास 102 डेरी विकास परियोजनाएं 04 ग्रामीण डेयरी (योजना)			
मूल 50.00}
पुनर्वि० -50.00}			

सलाहकार का चयन नहीं होने के कारण ₹ 50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 55 - ग्रामीण कार्य विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2505 ग्राम रोजगार			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3054 सड़क एवं सेतु			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	2,01,36,54}	2,05,88,13	1,27,58,52	-78,29,61
अनुपूरक	4,51,59}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

पूंजी :

मूल	4,88,40,00}	9,76,65,41	8,99,51,22	-77,14,19
अनुपूरक	4,88,25,41}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 78,29.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 4,51.59 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 27-अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग-क्षेत्रीय स्थापना) के अन्तर्गत ₹ 1,85.01 लाख की बचत, जो कि ₹ 51,49.45 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
1.	2505 ग्राम रोजगार 01 राष्ट्रीय कार्यक्रम 702 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 11 एन०आर०ई०पी० क्षेत्रीय स्थापना (योजना)	3,00.00}	3,00.00	2,69.63	-30.37
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 11 एन०आर०ई०पी० क्षेत्रीय स्थापना (योजना)	8,00.00}	8,00.00	6,60.33	-1,39.67
3.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 001 निदेशन एवं प्रशासन 25 मुख्य अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यालय स्थापना) (गैर-योजना)	55.57}	55.57	10.24	-45.33
4.	26 अभियंता प्रमुख (ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यालय स्थापना) (गैर-योजना)	1,69.19}	1,69.19	1,29.22	-39.97

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	28 अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग)- गैर-पी०एम०जी०एस० वाई० सड़क हेतु (गैर-योजना)			
	मूल 50,00.00}	50,00.00	43,65.27	-6,34.73
	3054 सड़क एवं सेतु 04 जिला तथा अन्य सड़कें 105 रखरखाव तथा मरम्मत			
6.	01 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में गैर-प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मति (गैर-योजना)			
	मूल 28,09.00}	28,09.00	17,41.43	-10,67.57
	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय			
7.	16 ग्रामीण कार्य विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 1,93.33}	1,93.33	1,17.67	-75.66

उपर्युक्त सात मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 001 निदेशन एवं प्रशासन 35 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०आई०यू० का सुदृढीकरण (योजना)	25.00	...	-25.00
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 35 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०आई०यू० का सुदृढीकरण (योजना)	25.00	...	-25.00
3.	3054 सड़क एवं सेतु 04 जिला एवं अन्य सड़कें 105 रखरखाव एवं मरम्मत 01 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मति (गैर-योजना)	56,00.00	...	-56,00.00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 25.00 लाख, ₹ 25.00 लाख एवं ₹ 56,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

(v) अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
102 सामुदायिक विकास			
08 मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (ख) - ग्रामीण विकास (विशेष प्रमण्डलीय स्थापना) (गैर-योजना)			
अनुपूरक 4,51.59}	4,51.59	5,00.29	+48.70

₹ 48.70 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूँजी :

(vi) ₹ 77,14.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2013 (₹ 1,37,73.67 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 27,62.36 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 3,22,89.38 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,88,25.41 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(viii) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 04-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 16,88.73 लाख की बचत, जो कि ₹ 2,69,88.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
	103 ग्राम विकास			
1.	04 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,70,52.00}	2,45,52.00	2,19,90.74	-25,61.26
	अनुपूरक 75,00.00}			

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	07 मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (योजना)			
	अनुपूरक 19,08.01}	19,08.01	6,63.51	-12,44.50
3.	36 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- परामर्शी सेवाएं (योजना)			
	अनुपूरक 1,44.00}	1,44.00	74.28	-69.72
	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
4.	04 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- ग्रामीण पथों का निर्माण (योजना)			
	अनुपूरक 40,60.00}	40,60.00	29,12.83	-11,47.17
5.	10 मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (योजना)			
	अनुपूरक 70,82.50}	70,82.50	62,42.63	-8,39.87
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
6.	07 मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (योजना)			
	अनुपूरक 36,62.39}	36,62.39	17,08.79	-19,53.60
7.	20 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- परामर्शी सेवाएं (योजना)			
	मूल 50.00}	2,46.00	1,56.28	-95.72
	अनुपूरक 1,96.00}			

उपर्युक्त सात मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 55 - क्रमशः

(ix) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 103 ग्राम विकास 14 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत डी०पी०आर० का निर्माण (योजना)	2,00.00	2,00.00	-2,00.00
2.	15 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण (योजना)	60.00	60.00	-60.00
3.	19 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत पुल (योजना)	25,00.00	25,00.00	-25,00.00
4.	20 जे०एम०आर०आर०डी०ए० का सुदृढीकरण (योजना)	50.00	50.00	-50.00

अनुदान संख्या - 55 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
5.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 14 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत डी०पी०आर० का निर्माण (योजना)	3,00.00 }	3,00.00	...	-3,00.00
6.	15 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण (योजना)	40.00 }	40.00	...	-40.00
7.	19 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत पुल (योजना)	50,00.00 }	50,00.00	...	-50,00.00

उपर्युक्त सात मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(x) अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय				
103 ग्राम विकास				
10 मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (योजना)				
अनुपूरक	1,21,57.10 }	1,21,57.10	2,22,50.73	+1,00,93.63

₹ 1,00,93.63 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 56 - पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी०
(विशेष प्रमंडल) विभाग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2015			
2515			
3451			
3604			
6515			

राजस्व :

मूल	16,72,28,33}	23,37,93,48	8,69,88,66	-14,68,04,82
अनुपूरक	6,65,65,15}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	14,38,91,67
(दिसम्बर 2013 : 5,20,97,00	
10 फरवरी 2014 : 20,60,68	
31 मार्च 2014 : 8,97,33,99)	

पूँजी :

मूल	2,75,00}	2,75,00	2,70,99	-4,01
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)	4,01
---	------

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 14,68,04.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अगस्त 2013 (₹ 12.50 लाख), दिसम्बर 2013 (₹ 5,10,01.12 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 1,55,51.53 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,65,65.15 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 14,38,91.67 लाख), अंतिम बचत (₹ 14,68,04.82 लाख) से ₹ 29,13.15 लाख कम था।

(iii) शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता, 01-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को सामान्य क्षेत्र के लिए अंगीभूत अनुदान (गैर-योजना) और 198-ग्राम पंचायत को सहायता, 01-13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को सामान्य क्षेत्र के लिए अंगीभूत अनुदान (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 2,03.83 लाख एवं ₹ 2,75.69 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 45,36.00 लाख एवं ₹ 1,36,08.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2015 निर्वाचन 109 पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिये प्रभार 01 राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज) (गैर-योजना)			
	मूल 2,61.04}			
	अनुपूरक 5.00}	1,70.76	1,70.54	-0.22
	पुनर्वि० -95.28}			
	₹ 95.28 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			
2.	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 001 निदेशन एवं प्रशासन 03 जिला पंचायत स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 1,23,32.54}	98,10.67	89,65.72	-8,44.95
	पुनर्वि० -25,21.87}			
	₹ 33,66.82 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
3.	04 राज्य वित्त आयोग (गैर-योजना)			
	मूल 85.77}			
	अनुपूरक 10.00}	14.69	14.69	...
	पुनर्वि० -81.08}			
	₹ 81.08 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	05 पंचायत चुनाव (गैर-योजना)			
	मूल 51.00}	5.89	5.89	...
	पुनर्वि० -45.11}			
	₹ 45.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 44.10 लाख) के कारण हुई थी।			
5.	06 जिला पंचायत स्थापना- दलपतियों से संबंधित व्यय (गैर-योजना)			
	मूल 1,27.20}	91.62	61.77	-29.85
	पुनर्वि० -35.58}			
	₹ 35.58 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 15.58 लाख की बचत निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 20.00 लाख की शेष प्रत्याशित बचत एवं 29.85 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
6.	14 पंचायत मुख्यालय स्थापना (गैर-योजना)			
	मूल 1,45.74}			
	अनुपूरक 1.50}	64.14	64.20	+0.06
	पुनर्वि० -83.10}			
	₹ 83.10 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 16.06 लाख की बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 67.04 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
7.	15 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 1,45,40.00}	44,47.00	44,47.00	...
	पुनर्वि० -1,00,93.00}			
	₹ 1,00,93.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रथम एवं द्वितीय किश्त की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	20 क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण) (योजना)			
	मूल 2,40.00}	1,20.00	1,20.00	...
	पुनर्वि० -1,20.00}			
₹ 1,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।				
9.	38 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिला (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	अनुपूरक 2,00,00.00}	68,00.00	68,00.00	...
	पुनर्वि० -1,32,00.00}			
₹ 1,32,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत द्वितीय एवं तृतीय किश्त की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।				
10.	003 प्रशिक्षण 01 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत (गैर-योजना)			
	मूल 2,87.04}	2,49.12	2,28.27	-20.85
	पुनर्वि० -37.92}			
11.	101 पंचायती राज 04 पंचायतों को निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को मानदेय दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता का भुगतान (गैर-योजना)			
	मूल 20,00.00}	19,69.41	17,78.39	-1,91.02
	पुनर्वि० -30.59}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 58.77 लाख एवं ₹ 2,21.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
12.	102 सामुदायिक विकास 18 पंचायत भवनों का निर्माण/अनुरक्षण/ परिवर्तन/ सुसज्जीकरण आदि (योजना)			
	मूल 1,00.00}	30.00	30.00	...
	पुनर्वि० -70.00}			
₹ 70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
13.	196 जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता 02 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में परिषदों को विशेष क्षेत्र के लिए बेसिक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 5,47.00}	3,50.00	3,50.00	...
	पुनर्वि० -1,97.00}			
14.	03 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा की आलोक में जिला परिषदों को सामान्य क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 30,99.00}	3,05.91	3,05.91	...
	पुनर्वि० -27,93.09}			
15.	197 प्रखण्ड पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत को सहायता 02 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को विशेष क्षेत्र के लिए बेसिक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 5,47.00}	3,50.00	3,50.00	...
	पुनर्वि० -1,97.00}			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
16.	03 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में प्रखण्ड पंचायतों को सामान्य क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 30,99.00}	3,05.91	2,88.21	-17.70
	पुनर्वि० -27,93.09}			
17.	198 02 ग्राम पंचायत को सहायता 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को विशेष क्षेत्र के लिए बेसिक अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 16,39.00}	10,50.00	10,50.00	...
	पुनर्वि० -5,89.00}			
18.	03 13वें वित्त आयोग में जिला परिषदों को सामान्य क्षेत्र के लिए परफारमेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 92,97.00}	9,17.74	9,17.74	...
	पुनर्वि० -83,79.26}			
उपर्युक्त छः मामलों में प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई थी।				
19.	789 15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 85,00.00}	8,49.00	8,49.00	...
	पुनर्वि० -76,51.00}			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
20.	38 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिला (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	अनुपूरक 80,00.00}	17,00.00	17,00.00	...
	पुनर्वि० -63,00.00}			
21.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 1,95,00.00}	19,61.00	19,61.00	...
	पुनर्वि० -1,75,39.00}			
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 76,51.00 लाख, ₹ 63,00.00 लाख एवं ₹ 1,75,39.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रथम एवं द्वितीय किशत की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।				
22.	18 पंचायत भवनों का निर्माण/ अनुरक्षण/परिवर्तन/सुसज्जीकरण (योजना)			
	मूल 1,00.00}	45.00	45.00	...
	पुनर्वि० -55.00}			
₹ 55.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
23.	20 क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण) (योजना)			
	मूल 2,40.00}	1,20.00	1,09.66	-10.34
	पुनर्वि० -1,20.00}			
24.	26 प्रमण्डल/जिला कार्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 58.00}	53.36	1.68	-51.68
	पुनर्वि० -4.64}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,30.34 लाख एवं ₹ 56.32 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
25.	38 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिला (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)			
	मूल 2,30,00.00}	85,00.00	85,00.00	...
	पुनर्वि० -1,45,00.00}			
	₹ 1,45,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रथम एवं द्वितीय किश्त की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी।			
26.	39 मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना (योजना)			
	अनुपूरक 90,00.00}	90,00.00	80,48.00	-9,52.00
	₹ 9,52.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
27.	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय 17 पंचायती राज एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमण्डल) (गैर-योजना)			
	मूल 1,26.00}			
	अनुपूरक 0.12}	89.19	89.12	-0.07
	पुनर्वि० -36.93}			
	₹ 36.93 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है।			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम० सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 001 निदेशन एवं प्रशासन 21 पंचायती राज संस्थानों के लिए विशेष अनुदान एवं उपहार (योजना)			
	मूल 8,00.00}
	पुनर्वि० -8,00.00}			
राजीव गांधी सशक्तिकरण अभियान (नई योजना) के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 8,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
2.	29 समेकित कार्य योजना (योजना)			
	मूल 2,00,00.00}
	पुनर्वि० -2,00,00.00}			
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों (नई योजना) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 2,00,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
3.	196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता 04 13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को विशेष क्षेत्र के लिए परफॉरमेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 5,47.00}
	पुनर्वि० -5,47.00}			

अनुदान संख्या - 56 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
4.	197 प्रखण्ड पंचायत/ जिला स्तर पंचायत को सहायता 04 13वें वित्त आयोग के आलोक में जिला परिषदों को विशेष क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 5,47.00}
	पुनर्वि० -5,47.00}			
5.	198 ग्राम पंचायत को सहायता 04 13वें वित्त आयोग के आलोक में ग्राम पंचायतों को विशेष क्षेत्र के लिए परफॉर्मेंस अनुदान (गैर-योजना)			
	मूल 16,39.00}
	पुनर्वि० -16,39.00}			
उपर्युक्त तीन मामलों में भारत सरकार से निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ₹ 5,47.00 लाख, ₹ 5,47.00 लाख एवं ₹16,39.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।				
6.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 18 पंचायत भवनों का निर्माण अनुरक्षण/परिवर्तन/सुसज्जीकरण (योजना)			
	मूल 50.00}
	पुनर्वि० -50.00}			
7.	20 क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण) (योजना)			
	मूल 1,20.00}	35.31	...	-35.31
	पुनर्वि० -84.69}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 1,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 56 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	21 पंचायती राज संस्थानों के लिए विशेष अनुदान एवं उपहार (योजना)			
	मूल 3,00.00}
	पुनर्वि० -3,00.00}			

राजीव गांधी सशक्तिकरण अभियान (नई योजना) के लिए निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

9.	29 समेकित कार्य योजना (योजना)			
	मूल 80,00.00}
	पुनर्वि० -80,00.00}			

वामपंथी उग्रवान प्रभावित जिलों (नई योजना) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु निधि उपलब्ध कराए जाने के कारण ₹ 80,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

10.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	21 पंचायती राज संस्थानों को विशेष अनुदान एवं उपहार (योजना)			
	मूल 13,00.00}
	पुनर्वि० -13,00.00}			

राजीव गाँधी सशक्तीकरण अभियान (नई योजना) हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 13,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

11.	29 समेकित कार्य योजना (योजना)			
	मूल 2,30,00.00}
	पुनर्वि० -2,30,00.00}			

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों (नई योजना) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु निधि उपलब्ध कराये जाने के कारण ₹ 2,30,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ।

**अनुदान संख्या - 57 - आवास विभाग
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2216	आवास			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
6216	आवास के लिए उधार			
राजस्व :				
मूल	10,39,18}	10,86,18	1,32,66	-9,53,52
अनुपूरक	47,00}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				9,47,59
पूंजी :				
मूल	6,00,00}	6,00,00	6,00,00
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 9,53.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 47.00 लाख अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,47.59 लाख), अंतिम बचत (₹ 9,53.52 लाख) से ₹ 5.93 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 57 - क्रमान्त

(iii) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090 सचिवालय 04 आवास विभाग (गैर-योजना)			
	मूल 39.18}			
	अनुपूरक 47.00}	38.59	38.59	...
	पुनर्वि० -47.59}			

₹ 47.59 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2216 आवास 02 शहरी आवास 103 आवास बोर्डों की सहायता 06 भूमि अधिग्रहण एवं विकास कार्य (योजना)			
	मूल 4,00.00}
	पुनर्वि० -4,00.00}			
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 06 भूमि अधिग्रहण एवं विकास कार्य (योजना)			
	मूल 5,00.00}
	पुनर्वि० -5,00.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 4,00.00 लाख और ₹ 5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 58 - माध्यमिक शिक्षा
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2202 सामान्य शिक्षा			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	7,40,97,74}	7,99,93,39	5,82,89,35	-2,17,04,04
अनुपूरक	58,95,65}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (9 जुलाई 2013)				37,40,00

पूंजी :

मूल	42,35,00}	94,63,46	73,07,81	-21,55,65
अनुपूरक	52,28,46}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (11 फरवरी 2014)				21,55,65

टीका और टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 2,17,04.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2013 (₹ 37,40.00 लाख) एवं फरवरी 2014 (₹ 21,55.65 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 58,95.65 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 37,40.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,17,04.04 लाख) से ₹ 1,79,64.04 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 101 निरीक्षण, 02-जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी (गैर-योजना), 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 12-झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत +2 सरकारी विद्यालयों के लिए पद सृजन (योजना), 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना 12-झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत +2 सरकारी विद्यालयों के लिए पद सृजन (योजना) एवं 03-विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा, 103-राजकीय कॉलेज तथा संस्थान, 01-इंटरमीडिएट शिक्षा (+2-व्यावसायिक शिक्षा सहित) (गैर-योजना) के अन्तर्गत ₹ 87.22 लाख, ₹ 2,81.13 लाख, ₹ 1,39.71 लाख एवं ₹ 61.06 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 12,17.42 लाख, ₹ 29,00.65 लाख, ₹ 29,05.00 लाख एवं ₹ 18,12.36 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 101 निरीक्षण 03 क्षेत्रीय उप निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी (गैर-योजना)			
	मूल 1,91.18}	1,91.18	1,57.67	-33.51
	अनुपूरक -10.00}			
	₹ 33.51 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
2.	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01 माध्यमिक विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 4,21,39.16}	4,21,29.16	2,85,94.22	-1,35,34.94
	अनुपूरक -10.00}			
	जे०पी०एस०सी० द्वारा चयनित शिक्षकों के इस्तीफे के कारण ₹ 10.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कटौती की गई। ₹ 1,35,34.94 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।			
3.	06 इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग में भवन का निर्माण (योजना)			
	मूल 2,50.00}	2,50.00	89.03	-1,60.97
4.	08 विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 2,85.00}	2,85.00	37.06	-2,47.94

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	11 राज्य में बी०एड० कॉलेज का निर्माण (योजना)			
	मूल 1,04.00}	2,29.00	1,03.58	-1,25.42
	अनुपूरक 1,25.00}			
6.	28 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा (योजना)			
	मूल 4,20.00}	4,20.00	3,77.89	-42.11
उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 1,60.97 लाख, ₹ 2,47.94 लाख, ₹ 1,25.42 लाख एवं ₹ 42.11 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
7.	35 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०) (योजना)			
	मूल 17,34.00}	7,34.00	7,34.00	...
	पुनर्वि० -10,00.00}			
₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।				
8.	57 प्रकाशन एवं शिक्षण के लिए सेमिनार (योजना)			
	मूल 51.00}	51.00	15.81	-35.19
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
9.	11 राज्य में बी०एड० कॉलेज का निर्माण (योजना)			
	मूल 64.00}	64.00	31.59	-32.41

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
10.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 08 विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 1,80.00}	1,80.00	47.34	-1,32.66

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 35.19 लाख, ₹ 32.41 लाख एवं ₹ 1,32.66 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

11.	35 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०) (योजना)			
	मूल 11,22.00}	1,22.00	1,22.00	...
	पुनर्वि० -10,00.00}			

₹ 10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 109 राजकीय माध्यमिक शिक्षा 18 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 1,05.00}	1,05.00	...	-1,05.00

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	24 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)			
	मूल 2,55.00}	2,55.00	...	-2,55.00
<p>उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,05.00 लाख एवं ₹ 2,55.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
3.	36 केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना की स्थापना (योजना)			
	मूल 12,24.00}	5,24.00	...	-5,24.00
	पुनर्वि० -7,00.00}			
<p>₹ 7,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के स्वीकृत नहीं होने एवं वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान विमुक्त की गई राज्यांश के उपयोग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 5,24.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
4.	54 क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	अनुपूरक 1,35.00}	1,35.00	...	-1,35.00
5.	58 बालिकाओं के बीच निःशुल्क वर्दी, कॉपी एवं सोलर लैंप का वितरण (योजना)			
	मूल 2,55.00}	2,55.00	-2,55.00

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 1,35.00 लाख एवं ₹ 2,55.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
6.	59 जे०सी०ई०आर०टी० की स्थापना (योजना)			
	मूल 60.00}
	पुनर्वि० -60.00}			
पूर्व वर्षों में विमुक्त की गई राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण ₹ 60.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।				
7.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	06 इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हजारीबाग में भवन निर्माण (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
8.	08 विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत निर्धन्ता-सह- मेधा छात्रवृत्ति (योजना)			
	मूल 85.00}	85.00	...	-85.00
9.	18 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 30.00}	30.00	...	-30.00
10.	24 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)			
	मूल 80.00}	80.00	...	-80.00

उपर्युक्त चार मामलों में ₹ 50.00 लाख, ₹ 85.00 लाख, ₹ 30.00 लाख एवं ₹ 80.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	36	केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (योजना)		
	मूल	3,84.00}	1,44.00	...
	पुनर्वि०	-2,40.00}		-1,44.00
<p>₹ 2,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की स्वीकृति नहीं मिलने एवं वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान विमुक्त की गई राज्यांश का उपयोग न होने के कारण हुई थी। ₹ 1,44.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
12.	51	नेतरहाट विद्यालय समिति को अनुदान (योजना)		
	मूल	42.00}	42.00	...
				-42.00
13.	55	क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढीकरण (योजना) (योजना)		
	अनुपूरक	2,55.00}	2,55.00	...
				-2,55.00
14.	58	(वर्ग 9 से 12) की बालिकाओं के बीच वर्दी, कॉपी एवं सोलर लैंपों का निःशुल्क वितरण (योजना)		
	मूल	80.00}	80.00	...
				-80.00
15.	796 03	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट (योजना)		
	मूल	1,58.00}	1,58.00	...
				-1,58.00

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
16.	18 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 65.00}	65.00	...	-65.00
17.	24 झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (योजना)			
	मूल 1,65.00}	1,65.00	...	-1,65.00
<p>उपर्युक्त छः मामलों में संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
18.	36 केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत मॉडल विद्यालयों की स्थापना (योजना)			
	मूल 7,92.00}	92.00	...	-92.00
	पुनर्वि० -7,00.00}			
<p>₹ 7,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की स्वीकृति नहीं मिलने एवं वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान विमुक्त की गई राज्यांश का उपयोग नहीं होने के कारण हुई थी। ₹ 92.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।</p>				
19.	53 क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 10.00}	1,10.00	...	-1,10.00
	अनुपूरक 1,00.00}			

अनुदान संख्या - 58 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
20.	58 वर्ग 9-12 की बालिकाओं के बीच वर्दी, कॉपी एवं सोलर लैंपों का निःशुल्क वितरण (योजना)			
	मूल 1,65.00 }	1,65.00	...	-1,65.00
21.	800 अन्य व्यय 04 सैनिक स्कूल, तिलैया (योजना)			
	मूल 42.00 }	42.00	...	-42.00

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,10.00 लाख, ₹ 1,65.00 लाख एवं ₹ 42.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूँजी :

(v) ₹ 21,55.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 52,28.46 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 202 माध्यमिक शिक्षा 03 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 17,35.00 }	6,59.35	6,59.35	...
	पुनर्वि० -10,75.65 }			

अनुदान संख्या - 58 - क्रमान्त

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 03 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में निर्माण कार्य (योजना)			
	मूल 16,90.00}	6,10.10	6,10.00	...
	पुनर्वि० -10,80.00}			

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 10,75.65 लाख एवं ₹ 10,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किए जाने के कारण हुई थी।

अनुदान संख्या - 59 - प्राथमिक एवं जन शिक्षा
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष				
2202	सामान्य शिक्षा			
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :				
मूल	43,69,23,80}	43,69,23,80	26,28,96,60	-17,40,27,20
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 जनवरी 2014)				6,00,00,00
पूंजी :				
मूल	8,00,00}	8,00,00	5,27,13	-2,72,87
अनुपूरक	शून्य}			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				शून्य
टीका और टिप्पणियाँ :				
राजस्व:				
(i)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,00,00.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 17,40,27.20 लाख) से ₹ 11,40,27.20 लाख कम था।			

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

(ii) शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, (गैर-योजना) एवं 112-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 02-गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सहायता, 03-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय- सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (योजना) के अन्तर्गत ₹ 3,11.67 लाख तथा ₹ 2,90.22 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 1,85,00.00 लाख और ₹ 55,60.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 01 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 24,13,20.60}	18,13,20.60	16,80,28.22	-1,32,92.38
	पुनर्वि० -6,00,00.00}			
₹ 6,00,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी। ₹ 1,32,92.38 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
2.	03 सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,74,00.00}	1,74,00.00	1,22,45.66	-51,54.34
3.	14 झारखण्ड राज्य के राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय हेतु मेधा छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ (योजना)			
	मूल 62.00}	62.00	28.37	-33.63
4.	24 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,80.00}	3,80.00	2,07.75	-1,72.25

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	27 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न का मूल्य हेतु राशि (के०प्रा०यो०)			
	मूल 36,00.00}	36,00.00	14,94.91	-21,05.09
6.	104 निरीक्षण 01 निरीक्षण (गैर-योजना)			
	मूल 54,29.41}	54,29.41	36,03.45	-18,25.96
7.	105 अनौपचारिक शिक्षा 04 सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवन एवं मूल्यांकन हेतु) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 5,88.00}	5,88.00	99.00	-4,89.00
8.	107 अध्यापक प्रशिक्षण 01 प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय (गैर-योजना)			
	मूल 13,35.98}	13,35.98	7,37.83	-5,98.15
9.	111 सर्व शिक्षा अभियान 25 सर्व शिक्षा अभियान को सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 2,06,00.00}	2,06,00.00	96,82.00	-1,09,18.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
	789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
10.	03	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय- सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (के०प्रा०यो०)			
	मूल	74,00.00}	74,00.00	44,11.96	-29,88.04
11.	03	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय-सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (योजना)			
	मूल	26,69.00}	26,69.00	12,62.63	-14,06.37
12.	04	सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) (के०प्रा०यो०)			
	मूल	2,50.00}	2,50.00	1,56.21	-93.79
13.	25	सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल	87,55.00}	87,55.00	41,14.85	-46,40.15
14.	27	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल	15,30.00}	15,30.00	8,60.98	-6,69.02

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
15.	796 03	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय- सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) (के०प्रा०यो०)			
	मूल	1,87,00.00}	1,87,00.00	1,36,73.52	-50,26.48
16.	03	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय-सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) (योजना)			
	मूल	62,71.00}	62,71.00	53,06.68	-9,64.32
17.	04	सरस्वतीवाहिनी (मध्याह्न भोजन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु) (के०प्रा०यो०)			
	मूल	6,30.00}	6,30.00	1,51.90	-4,78.10
18.	14	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों हेतु मेधा छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ (योजना)			
	मूल	66.00}	66.00	34.54	-31.46
19.	24	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल	4,00.00}	4,00.00	2,26.00	-1,74.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
20.	25 सर्व शिक्षा अभियान हेतु अनुदान (योजना)			
	मूल 2,21,45.00}	2,21,45.00	1,04,08.15	-1,17,36.85
21.	27 मध्याह्न भोजन के लिए खाद्यान्न का मूल्य हेतु राशि (के०प्रा०यो०)			
	मूल 38,70.00}	38,70.00	14,89.78	-23,80.22
22.	42 डायट (योजना)			
	मूल 1,29.00}	1,29.00	29.99	-99.01

उपर्युक्त बाइस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iii) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 05 स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 14,40.00}	14,40.00	...	-14,40.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	05 स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (योजना)			
	मूल 7,20.00 }	7,20.00	...	-7,20.00
3.	07 बर्तन क्रय एवं अन्य उपकरणों का बदलाव तथा क्रय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,00.00 }	4,00.00	...	-4,00.00
4.	43 छात्राओं को निःशुल्क पोषाक वितरण (योजना)			
	मूल 7,20.00 }	7,20.00	...	-7,20.00
5.	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 34 गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों को पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों के नामांकन हेतु सहायता (योजना)			
	मूल 1,20.00 }	1,20.00	...	-1,20.00
6.	107 अध्यापक प्रशिक्षण 42 डायट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,60.00 }	3,60.00	...	-3,60.00
7.	42 डायट (योजना)			
	मूल 1,20.00 }	1,20.00	...	-1,20.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	111 33 सर्व शिक्षा अभियान 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान को विशेष राज्यांश (योजना)			
	मूल 1,43,60.00 }	1,43,60.00	...	-1,43,60.00
9.	41 मुख्यमंत्री बाल छात्रवृत्ति योजना (योजना)			
	मूल 8,00.00 }	8,00.00	...	-8,00.00
10.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 05 स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 6,00.00 }	6,00.00	...	-6,00.00
11.	07 बर्तन का क्रय एवं बदलाव तथा अन्य उपकरणों का क्रय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,70.00 }	1,70.00	...	-1,70.00
12.	22 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु खाद्यान्न उठाव हेतु हथालन व्यय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,60.00 }	1,60.00	...	-1,60.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
13.	26 कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 85.00}	85.00	...	-85.00
14.	33 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान हेतु विशेष सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 61,03.00}	61,03.00	...	-61,03.00
15.	34 गैर-सरकारी शिक्षण-संस्थानों को पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों के नामांकन हेतु सहायता (योजना)			
	मूल 51.00}	51.00	...	-51.00
16.	41 मुख्यमंत्री बाल छात्रवृत्ति योजना (योजना)			
	मूल 3,40.00}	3,40.00	...	-3,40.00
17.	42 डायट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,53.00}	1,53.00	...	-1,53.00
18.	42 डायट (योजना)			
	मूल 51.00}	51.00	...	-51.00
19.	43 छात्राओं को निःशुल्क पोशाक वितरण (योजना)			
	मूल 3,06.00}	3,06.00	...	-3,06.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
20.	44 राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस०एल०एम०ए०) को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 68.00}	68.00	...	68.00
21.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 05 स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (के०प्रा०यो०)			
	मूल 15,60.00}	15,60.00	...	-15,60.00
22.	05 स्टोर-सह-किचन शेड का निर्माण (योजना)			
	मूल 4,80.00}	4,80.00	...	-4,80.00
23.	07 बर्तन का क्रय एवं बदलाव तथा अन्य उपकरणों का क्रय (के०प्रा०यो०)			
	मूल 4,30.00}	4,30.00	...	-4,30.00
24.	26 कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 2,15.00}	2,15.00	...	-2,15.00
25.	33 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान को विशेष राज्यांश (योजना)			
	मूल 1,54,37.00}	1,54,37.00	...	-1,54,37.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
26.	34 गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों को पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत छात्रों के नामांकन हेतु सहायता (योजना)			
	मूल 1,29.00}	1,29.00	...	-1,29.00
27.	41 मुख्यमंत्री बाल छात्रवृत्ति योजना (योजना)			
	मूल 8,60.00}	8,60.00	...	-8,60.00
28.	42 डायट (के०प्रा०यो०)			
	मूल 3,87.00}	3,87.00	...	-3,87.00
29.	43 छात्राओं को निःशुल्क पोशाक वितरण (योजना)			
	मूल 7,74.00}	7,74.00	...	-7,74.00
30.	44 राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस०एल०एम०ए०) को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 1,72.00}	1,72.00	...	-1,72.00
31.	800 अन्य व्यय 26 कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय (योजना)			
	मूल 2,00.00}	2,00.00	...	-2,00.00

अनुदान संख्या - 59 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
32.	44 राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एस०एल०एम०ए०) को सहाय्य अनुदान (योजना)			
	मूल 1,60.00}	1,60.00	...	-1,60.00

उपर्युक्त बत्तीस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूँजी :

(iv) बचत का कोई भी भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(v) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक को) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत-
1.	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 201 प्रारंभिक शिक्षा 01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 3,20.00}	3,20.00	2,83.14	-36.86
2.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 01 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सुदृढीकरण (योजना)			
	मूल 3,44.00}	3,44.00	1,08.97	-2,35.03

उपर्युक्त दोनों मामलों में ₹ 36.86 लाख एवं ₹ 2,35.03 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

**अनुदान संख्या - 60 - समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236 पोषण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	12,33,96,52}	12,36,38,45	8,41,04,99	-3,95,33,46
अनुपूरक	2,41,93}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 41,40
 (27 जून 2013 : 23,50
 दिसम्बर 2013 : 17,90)

पूंजी :

मूल	1,08,00,00}	1,08,00,00	1,02,62,96	-5,37,04
अनुपूरक	शून्य}			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व:

(i) ₹ 3,95,33.46 लाख की अंतिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2013 (₹ 2,35.00 लाख) एवं दिसम्बर 2013 (₹ 6.93 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,41.93 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 41.40 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,95,33.46 लाख) से ₹ 3,94,92.06 लाख कम था।

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

(iii) शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 18-स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन (योजना) एवं 2236-पोषण, 02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 02-परिवार और बाल कल्याण के लिये पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (के०प्रा०यो०) के अन्तर्गत ₹ 2,76.83 लाख एवं ₹ 10,19.27 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹ 28,80.00 लाख एवं ₹ 1,08,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
1.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 03 मूक एवं बधिर विद्यालय तथा कर्मशाला (गैर-योजना)	89.81}	89.81	50.64 -39.17
2.	102 बाल कल्याण 47 मेडिसीन किट्स (के०प्रा०यो०)	1,99.00}	1,99.00	56.54 -1,42.46
3.	49 प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के०प्रा०यो०)	1,80.00}	1,80.00	1.14 -1,78.86
4.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय की स्थापना) (के०प्रा०यो०)	1,94,40.00}	1,94,40.00	1,24,48.26 -69,91.74

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
5.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय की स्थापना) (योजना)			
	मूल 22,00.00}	22,00.00	14,31.15	-7,68.85
6.	55 किशोरी शक्ति योजना (के०एस०वाई०) (के०यो०यो०)			
	मूल 90.00}	90.00	11.43	-78.57
7.	58 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गांधी योजना (सबला)- नई योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 1,62.00}	1,62.00	54.43	-1,07.57
8.	88 विश्व बैंक सम्पोषित आई०सी०डी०एस० परियोजना-IV (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 1,01.50}	1,01.50	5.19	-96.31
9.	103 महिला कल्याण 26 हेल्पलाईन योजना- सहायक अनुदान (योजना)			
	मूल 48.00}	48.00	9.52	-38.48
10.	28 आंगनवाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (योजना)			
	मूल 24,00.00}	24,00.00	20,94.64	-3,05.36

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
11.	36 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (योजना)			
	मूल 6,15.00}	6,15.00	5,25.75	-89.25
12.	66 आँगनवाड़ी केन्द्रों का जीर्णोद्धार (योजना)			
	मूल 96.00}	96.00	56.50	-39.50
13.	71 जीवन आशा (योजना)			
	मूल 20,50.00}	20,50.00	5.94	-20,44.06
14.	79 आंगनवाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन की आपूर्ति (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,19.00}	1,19.00	44.63	-74.37
15.	106 सुधारक सेवाएं 01 किशोर न्याय/बोर्ड/बाल कल्याण समितियों एवं विकलांगता से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति/कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के बैठक भत्ता/मानदेय तथा रिमाण्ड होम के के लिये परिवहन (गैर-योजना)			
	मूल 1,10.00}	1,10.00	55.45	-54.55
16.	39 प्रतिप्रेक्षण गृह (गैर-योजना)			
	मूल 3,14.87}	3,14.87	1,87.65	-1,27.22

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
17.	789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 18 स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (योजना)	6,60.00	5,25.60	-1,34.40
18.	36 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (योजना)	1,65.00	1,25.40	-39.60
19.	57 इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई०जी०एम०एस०वाई०) (के०यो०यो०)	1,00.00	18.54	-81.46
20.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 28 आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (योजना)	26,00.00	22,96.35	-3,03.65
उपर्युक्त बीस मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
21.	32 आयुक्त निःशक्तता के लिए कार्यालय की स्थापना (योजना)	50.00	17.33	-28.17
	पुनर्वि० -4.50	45.50		
₹ 32.67 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
22.	36 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (योजना)	7,20.00	6,28.33	-91.67

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
23.	47 मेडिसीन किट्स (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,15.00}	2,15.00	1,23.46	-91.54
24.	49 प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,96.00}	1,96.00	1.17	-1,94.83
25.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 2,10,60.00}	2,10,60.00	1,44,42.45	-66,17.55
26.	51 समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (योजना)			
	मूल 23,00.00}	23,00.00	13,29.27	-9,70.73
27.	55 किशोरी शक्ति योजना (के०एस०वाई०) (के०यो०यो०)			
	मूल 1,06.00}	1,06.00	17.00	-89.00
28.	57 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई०जी०एम०एस०वाई०) (के०यो०यो०)			
	मूल 8,00.00}	8,00.00	3,00.11	-4,99.89

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
29.	58 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नई योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 1,90.00}	1,90.00	69.53	-1,20.47
30.	62 राज्य परियोजना सहायक ईकाई (के०यो०यो०)			
	मूल 44.00}	44.00	1.75	-42.25
31.	66 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन (योजना)			
	मूल 1,04.00}	1,04.00	72.50	-31.50
32.	71 जीवन आशा (योजना)			
	मूल 24,00.00}	24,00.00	9.75	-23,90.25
33.	75 आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका को पोषाक (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,50.00}	1,50.00	1,18.05	-31.95
उपर्युक्त बारह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
34.	77 झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय स्थापना (योजना)			
	मूल 50.00}	36.60	9.19	-27.41
	पुनर्वि० -13.40}			
₹ 40.81 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।				
35.	79 आंगनवाड़ी केन्द्रों में तैल मशीन की आपूर्ति (के०प्रा०यो०)			
	मूल 1,29.00}	1,29.00	48.69	-80.31

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
36.	88 विश्व बैंक संपोषित आई०सी०डी०एस० परियोजना-IV (के०प्रा०यो०)			
	अनुपूरक 1,10.00}	1,10.00	5.41	-1,04.59
	2236 पोषण			
	02 पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
	101 विशेष पोषण कार्यक्रम			
37.	02 परिवार और बाल कल्याण के लिये पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 92,25.00}	92,25.00	75,90.68	-16,34.32
38.	02 परिवार और बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (योजना)			
	मूल 92,25.00}	92,25.00	69,56.16	-22,68.84
39.	05 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नई योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 10,98.00}	10,98.00	3,92.74	-7,05.26
40.	05 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नई योजना (योजना)			
	मूल 10,98.00}	10,98.00	4,99.86	-5,98.14

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -	
41.	789 02 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना परिवार और बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (के०प्रा०यो०)	24,75.00}	24,75.00	19,32.64	-5,42.36
42.	02 परिवार और बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (योजना)	24,75.00}	24,75.00	17,14.26	-7,60.74
43.	05 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नई योजना (के०प्रा०यो०)	2,95.00}	2,95.00	1,03.59	-1,91.41
44.	05 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नई योजना (योजना)	2,95.00}	2,95.00	1,23.95	-1,71.05
45.	796 02 जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता परिवार और बाल कल्याण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की विशेष योजना (योजना)	1,08,00.00}	1,08,00.00	88,61.19	-19,38.81

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
46.	05 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नई योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 12,86.00}	12,86.00	5,66.99	-7,19.01
47.	05 किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)- नई योजना (योजना)			
	मूल 12,86.00}	12,86.00	6,88.09	-5,97.91

उपर्युक्त तेरह मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

(iv) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
1.	40 नवनिर्मित नेत्रहीन विद्यालय का संचालन तथा नेत्रहीन विद्यालय हेतु गैर-सरकारी संस्था को सहायता (योजना)			
	मूल 48.00}	48.00	...	-48.00

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
2.	102 बाल कल्याण 48 स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (योजना)	48.00	...	-48.00
	मूल 48.00 }	48.00	...	-48.00
3.	103 महिला कल्याण 24 कार्यकारी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण (योजना)	96.00	...	-96.00
	मूल 96.00 }	96.00	...	-96.00
4.	64 स्वधार गृह योजना (के०प्रा०यो०)	30.00	...	-30.00
	मूल 30.00 }	30.00	...	-30.00
5.	81 महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम की योजना (योजना)	1,20.00	...	-1,20.00
	मूल 1,20.00 }	1,20.00	...	-1,20.00
6.	85 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) (के०प्रा०यो०)	8,64.00	...	-8,64.00
	मूल 8,64.00 }	8,64.00	...	-8,64.00
7.	85 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) (योजना)	2,78.00	...	-2,78.00
	मूल 2,88.00 } पुनर्वि० -10.00 }	2,78.00	...	-2,78.00

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
8.	86 आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के लिए बीमा योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 37.00}	37.00	...	-37.00
9.	106 सुधारक सेवाएं 42 ओल्ड एज होम का निर्माण (योजना)			
	मूल 55.00}	55.00	...	-55.00
10.	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 71 जीवन आशा (योजना)			
	मूल 5,50.00}	5,50.00	...	-5,50.00
11.	81 महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम की योजना (योजना)			
	मूल 35.00}	35.00	...	-35.00
12.	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 नवनिर्मित नेत्रहीन विद्यालय का संचालन तथा नेत्रहीन विद्यालय हेतु गैर-सरकारी संस्था को सहायता (योजना)			
	मूल 52.00}	52.00	...	-52.00
13.	42 ओल्ड एज होम का निर्माण (योजना)			
	मूल 55.00}	55.00	...	-55.00

अनुदान संख्या - 60 - क्रमशः

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
14.	48 स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (योजना)			
	मूल 52.00}	52.00	...	-52.00
15.	52 आप्टर केयर होम का संचालन (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
16.	65 स्वधार गृह योजना (के०प्रा०यो०)			
	मूल 30.00}	30.00	...	-30.00
17.	67 किशोरी बालिकाओं तथा धाइयों को एन्टी ट्रैफिकिंग से बचाव हेतु पुनर्वास केन्द्र की स्थापना (योजना)			
	मूल 50.00}	50.00	...	-50.00
18.	81 महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिये क्षमता विकास कार्यक्रम की योजना (योजना)			
	मूल 1,45.00}	1,45.00	...	-1,45.00
19.	82 एच०आई०वी०/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास की योजना (योजना)			
	मूल 33.00}	33.00	...	-33.00

अनुदान संख्या - 60 - क्रमांत

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख रुपयों में)	अधिक व्यय + बचत -
20.	85 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) (के०प्रा०यो०)			
	मूल 9,36.00}	9,36.00	...	-9,36.00
21.	85 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) (योजना)			
	मूल 3,12.00} पुनर्वि० -13.50}	2,98.50	...	-2,98.50
22.	86 आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के लिये बीमा योजना (के०यो०यो०)			
	मूल 40.00}	40.00	...	-40.00

उपर्युक्त बाईस मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2014)।

पूँजी:

(v) बचत के किसी भी भाग को प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

(vi) शीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, 02-समाज कल्याण, 103-महिला कल्याण, 59-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण (योजना) के अन्तर्गत ₹ 5,37.04 लाख की बचत, जो कि ₹ 54,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

परिशिष्ट

लेखे में समायोजित व्यय में कमी के रूप में वसूली से संबंधित प्राक्कलन/वास्तविकी का अनुदानवार विवरण
(पृष्ठ संख्या xvi पर विनियोग लेखे का सारांश में संदर्भित)

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम		बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक व्यय (+)/कमी (-)
1		2	3	4
			(हजार रुपयों में)	
03 - भवन निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत	30,00	...	(-) 30,00
12 - वित्त विभाग	पूंजी दत्तमत	11,80,55	...	(-) 11,80,55
39 - आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व दत्तमत	3,00,34,00	21,29,19	(-) 2,79,04,81
49 - जल संसाधन विभाग	पूंजी दत्तमत	...	2,01,08,99	(+) 2,01,08,99
जोड़ :	राजस्व दत्तमत	3,00,64,00	21,29,19	(-) 2,79,34,81
	पूंजी दत्तमत	11,80,55	2,01,08,99	(+) 1,89,28,44
कुल जोड़ :	राजस्व	3,00,64,00	21,29,19	(-) 2,79,34,81
	पूंजी	11,80,55	2,01,08,99	(+) 1,89,28,44